इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

18 वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2016-17

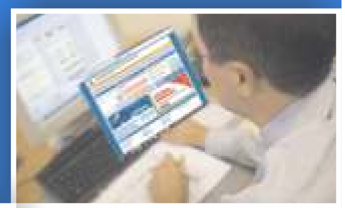
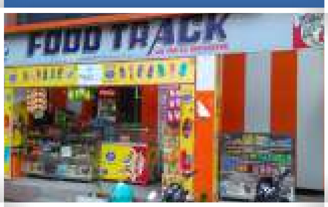

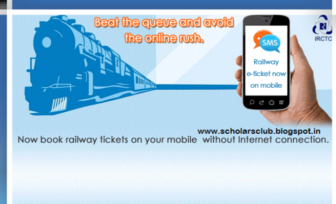

18वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

18th ANNUAL REPORT 2016-17

दृष्टिकोण VISION

"विभिन्न ग्राहक क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य–सत्कार संबंधी उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में अग्रणी बनने के साथ–साथ ग्राहक संतुष्टि का निरंतर उच्च स्तर बनाए रखना."

"To be the leading provider of high quality travel, tourism and hospitality related services, for a range of customer segments, with consistently high level of customer satisfaction."

मिशन MISSION

''आईआरसीटीसी आतिथ्य–सत्कार सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल तथा इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्रों में यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध करवाकर स्वयं को अग्रणी साबित करेगा, जिसके लिए भारतीय रेलवे तथा गैर–भारतीय रेलवे संबंधी सेवाओं, जैसे एक लचीले बिजनेस पोर्टफोलियो का निर्माण करना, जो आरोह्य है और कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, को लक्ष्य बनाया गया है।'

"IRCTC will establish itself as a leader in the area(s) of hospitality services , Travel and Tourism, packaged drinking water, and Internet Ticketing by providing value added products and services for passengers, tourists and other customers, targeting IR and Non-IR related services alike, building a resilient business portfolio that is scalable and based on core competence."

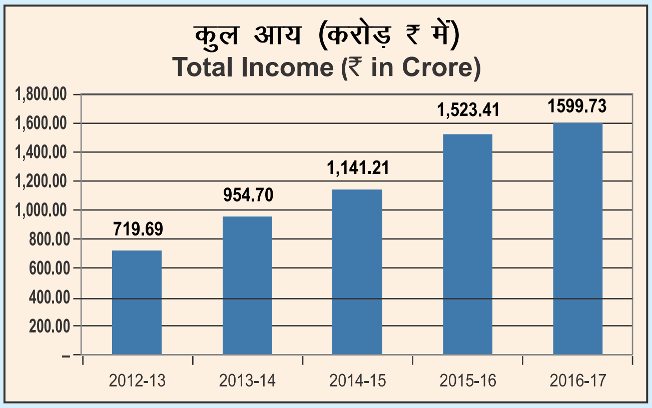

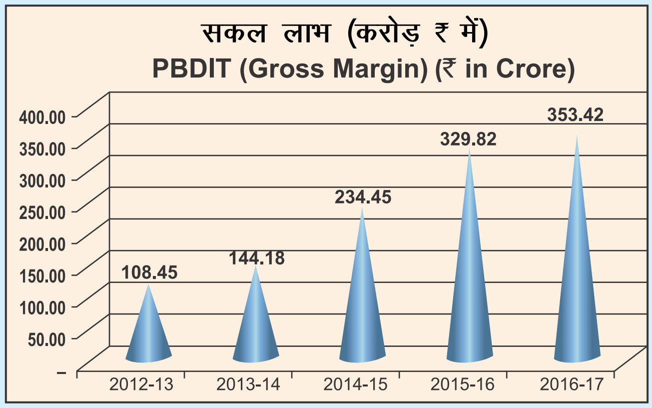

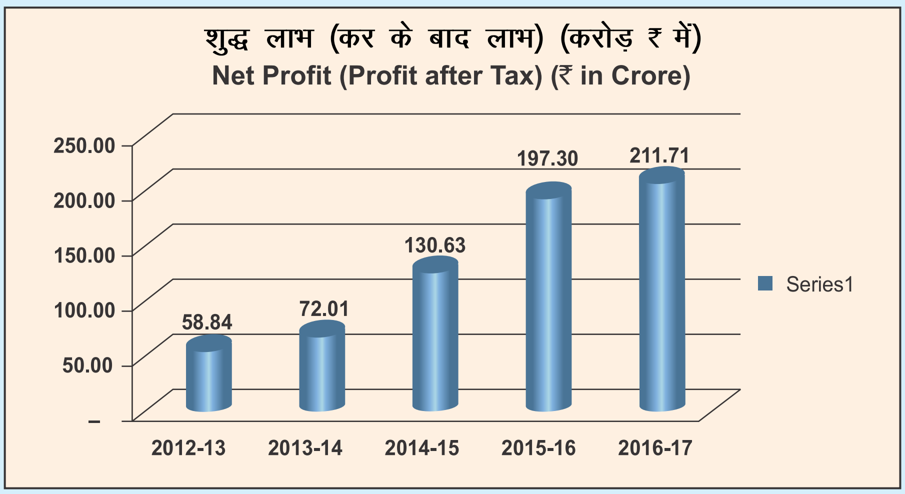

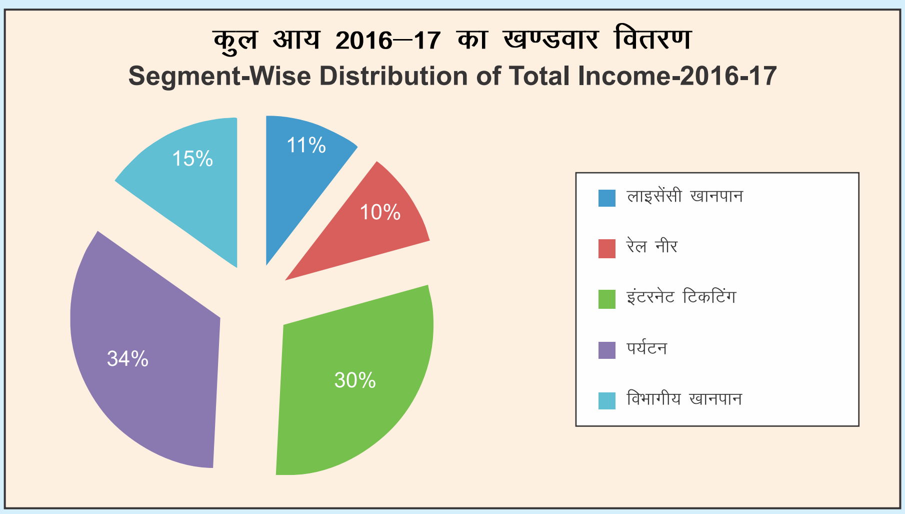

निदेशक मंडल (आम सभा बैठक के दिन) Board of Directors (As on date of AGM)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(18.09.2017 से) Chairman & Managing Director (w.e.f 18.09.2017)

श्री एम.पी. मल्ल
Shri M.P. Mall

पूर्ण–कालिक निदेशक Whole time Directors

श्रीमती ए.के. बरार, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
Smt. A. K. Brar, Director (Tourism & Marketing)

श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं)
Shri V. Sriram, Director (Catering Services)

अंशकालिक (सरकारी) निदेशक Part time (official) Directors

श्री बी. प्रशांत कुमार, कार्यकारी निदेशक (पीएम), रेलवे बोर्ड
Mr. B. Prashanth Kumar, Executive Director (PM), Railway Board

श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (टीएण्डसी), रेलवे बोर्ड(दिनांक 08.12.2016 से)
Smt. Smita Rawat, Executive Director (T&C), Railway Board (w.e.f 08.12.2016)

अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक Part time (non-official) Directors

डॉ रबी नारायण बोहिदर
(31.01.2017 से)
Dr. Rabi Narayan Bohidar
(w.e.f. 31.01.2017)

डॉ. धीरज शर्मा
(31.01.2017 से)
Dr. Dheeraj Sharma
(w.e.f. 31.01.2017)

श्रीमती कनक अग्रवाल
(31.01.2017 से)
Smt. Kanak Aggarwal
(w.e.f. 31.01.2017)

18th Annual General Meeting of Company
कम्पनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

रजिस्टर्ड एवं कॉरपोरेट कार्यालय
11वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23311263-64, फैक्स : 011-23311259
सीआईएन : U74899DL1999GOI101707

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं.
दस वर्ष की वित्तीय विशेषताएं	1
अध्यक्ष का संबोधन	2–3
निदेशकों की रिपोर्ट	4–27
निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	
(i) अनुबंध – क : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	28–37
(ii) अनुबंध – ख : कॉरपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट।	38–54
अनुबंध – ख–1: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन	55
अनुबंध – ख–2: कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	56
(iii) अनुबंध – ग: कॉरपोरेट सामजिक दायित्व एंड सतत् विकास पर रिपोर्ट	57–59
(iv) अनुबंध – घ: वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष (फॉर्म नं एमजीटी–9)	60–65
(v) अनुबंध – ङ: 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा रिपोर्ट (फॉर्म नं एमआर–3)	66–67
सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों/कथनों पर प्रबंधन का उत्तर	68
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्टें (अनुबंध से रिपोर्ट)	69–75
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	76
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	77
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश–फ्लो) विवरण	78
तुलन–पत्र और लाभ और हानि लेखा के साथ संलग्न टिप्पणियां	79–134
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	135

पूर्ण–कालिक निदेशक
डॉ. ए.के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 तक)
श्री एम. पी. मल्ल, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में (01.08.2017 से)

श्रीमती ए. के. बरार, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)

श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं)

अंश–कालिक (सरकारी) निदेशक
श्रीमती सुनीरा बस्सी, सलाहकार (टीएण्डसी) रेलवे बोर्ड (15.11.2016 तक)
श्री बी. प्रशांत कुमार, कार्यकारी निदेशक (पीएम), रेलवे बोर्ड
श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (टीएण्डसी) रेलवे बोर्ड (08.12.2016 से)

अंश–कालिक (गैर–सरकारी) निदेशक
डॉ. रबि नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2017 से)

डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2017 से)

श्रीमती कनक अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2017 से)

पूरक सूचना

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री अजय श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव
श्रीमती सुमन कालरा

सांविधिक लेखा–परीक्षक
मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
8/28 डब्ल्यू. ई. ए. अब्दुल अज़ि‍ज़ मार्ग,
तीसरा तल, शास्त्री पार्क के सामने,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

आंतरिक लेखा–परीक्षक
मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड क.,
408, नई दिल्ली हाऊस, 27, बाराखंभा रोड,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

लागत लेखा–परीक्षक
मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स,
सी4ई/135, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058

सचिवीय लेखा–परीक्षक
मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कम्पनी,
कम्पनी सचिव,
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054

बैंकर्स
1. एचडीएफसी बैंक
2. आईसीआईसीआई बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहायक बैंक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक
17. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. येस बैंक
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक
21. फेडरल बैंक
22. कर्नाटका बैंक
23. इन्ड्सइन्ड बैंक
24. कोटक महिन्द्रा बैंक
25. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
26. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
27. इलाहाबाद बैंक
28. आइएनजी वैश्य बैंक
29. करूर वैश्य बैंक
30. इंडियन ओवरसीज बैंक
31. आर.बी.एल. बैंक लिमिटेड
32. साउथ इण्डियन बैंक
33. आई.डी.एफ.सी. बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
11वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाऊस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग सेन्टर
नया परिचालन सेन्टर, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय, आईआरसीए परिसर, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–1100055

पर्यटन कार्यालय
एम–13, पुंज हाऊस, एम–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

रेल नीर संयंत्र

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :
उत्तर रेलवे वायरलेस स्टेशन एरिया,
नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई,
दिल्ली–110041

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स, खगौल,
दानापुर–801105 (बिहार)

रेलनीर संयंत्र, पालूर :
रेलवे स्टेशन, तालुक चेंगलपट्टू
जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु –603101

रेलनीर संयंत्र, अम्बरनाथ :
जीआईपी डैम, नजदीक एडिशनल एमआईडीसी,
पोस्ट आनन्द नगर, अम्बरनाथ (पूर्व),
जिला– थाने, महाराष्ट्र–421506

रेलनीर संयंत्र, अमेठी :
प्लाट नं. सी–11 व 12,
यूपीएसआईडीसी इडण्डस्ट्रियल एरिया,
टकरिया, गौरीगंज, जिला– अमेठी

रेलनीर संयंत्र, पारासल्ला
रेलवेयार्ड, नजदीक पारासल्ला रेलवे स्टेशन, केरल–695502

रेलनीर संयंत्र, बिलासपुर
प्लॉट नं. 22/23, सेक्टर–बी, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र,
जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – 495004

सेन्ट्रल किचन :
प्लॉट नं. ए60, सेक्टर–64,
नोएडा – 301201

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर जोन :
रेलयात्री निवास, भू–तल,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली–110001

पूर्व जोन :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता–700001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सेन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–440001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड,
चेटपेट, चेन्नै–600034

दक्षिण–मध्य जोन :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्प्लैक्स,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद–500071

दस वर्ष की वित्तीय विशेषताएं

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15	2015-16*	2016-17*
1	कुल आय	527.66	618.77	721.97	764.93	554.11	719.69	954.70	1,141.21	1,523.41	1596.31
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	486.12	536.68	614.63	620.69	462.83	611.24	810.52	906.76	1,193.58	1,246.31
3	परिचालनिक मार्जिन	41.54	82.09	107.34	144.24	91.28	108.45	144.18	234.45	329.82	353.42
4	ब्याज खर्च	–	–	0.03	0.30	–	–	–	–	1.81	2.54
5	मूल्यह्रास	8.28	10.10	12.55	14.15	14.74	16.04	16.77	20.42	21.22	22.41
6	कर पूर्व लाभ	33.26	73.85	94.76	129.79	76.54	92.41	127.41	214.03	306.79	328.47
7	कर बाद लाभ	20.75	46.50	63.05	60.79	48.54	58.84	72.01	130.63	197.30	211.71
8	घोषित लाभांश	4.15	9.31	12.61	12.16	9.71	11.77	14.40	26.13	75.45	84.68
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	सामान्य आरक्षित को स्थानांतरण	16.00	35.00	45.00	45.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	अन्य आरक्षित	–	–	–	2.00	–	–	–	–	–	–
12	आरक्षित एवं सरप्लस	58.85	94.46	142.76	191.41	226.70	271.77	326.92	424.25	680.57	738.34
13	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां (ग्रास ब्लाक)	61.38	76.36	126.84	135.18	178.76	203.12	213.52	276.84	310.69	338.23
14	वस्तु सूची	5.73	5.19	7.79	6.21	5.45	9.08	9.53	9.54	8.26	6.58
15	विदेशी मुद्रा आय	0.45	30.85	13.48	13.27	12.53	11.06	11.80	21.89	35.23	47.51
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00
17	नियोजित पूंजी	80.53	103.87	151.72	195.05	204.97	210.67	320.35	456.74	768.33	858.33
18	सरकारी निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	शुद्ध मूल्य	78.85	114.46	162.76	211.41	246.70	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (प्रतिशत में)	41.30	71.10	62.46	66.54	37.34	43.86	39.77	46.86	39.93	38.27
21	नियोजित पूंजी पर परिचालन मार्जिन (प्रतिशत में)	51.58	79.03	70.75	73.95	44.53	51.48	45.01	51.33	42.93	41.17
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ (प्रतिशत में)	103.75	232.50	315.25	303.95	242.70	294.19	360.05	653.15	986.48	529.28
23	आय पर व्यय (प्रतिशत में)	92.13	86.73	85.13	81.14	83.53	84.93	84.90	79.46	78.35	77.91
24	कर्मचारियों की संख्या	4,963	3,780	2,645	1,934	1,762	1,725	1,672	1,511	1,483	1,494
25	प्रति कर्मचारी आय	0.11	0.16	0.27	0.40	0.31	0.42	0.57	0.76	1.03	1.07
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
27	वर्तमान अनुपात	1.12	1.13	1.13	1.22	1.23	1.20	1.45	1.55	1.96	1.80
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	निवेश	–	2.50	2.50	–	–	–	–	–	–	–

*आंकडें तुलन पत्र के संशोधित अनुसूची VI के प्रपत्र के अनुसार हैं।
**आंकडे भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अनुसार है

अध्यक्ष का संबोधन

देवियों और सज्जनों

यह मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मैं, कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यग्रहण करने के पश्चात् आईआरसीटीसी के सभी सम्मानीय शेयर धारकों का पहली बार स्वागत एवं संबोधित कर रहा हूं। आप सभी को आज यहां उपस्थित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद और यह आपका निरंतर समर्थन ही है जिसके बिना कम्पनी की महत्वपूर्ण सफलता संभव न होती। मैं आईआरसीटीसी के निदेशक मण्डल की ओर से आप सभी का आपकी कम्पनी की 18वीं वार्षिक आम सभा में स्वागत करता हूं। वित्त वर्ष 2016–17 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी आप सभी के पास पहले से उपलब्ध है। मैं आपकी अनुमति से इसे आपके द्वारा पढ़ लिया गया मान लेता हूं।

वित्त वर्ष 2016–17 कम्पनी के व्यवसाय के लिए अत्यधिक अपेक्षा वाला और चुनौतीपूर्ण रहा और दो महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्धनों में खानपान नीति 2017 जारी होना और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक की गई टिकटों पर दिनांक 23 नवम्बर 2016 से सेवा प्रभार समाप्त होना रहा। इन सभी के बावजूद आपकी कम्पनी ने इन चुनौतियों को उचित दृष्टिकोण और सही रणनीतियों के द्वारा स्वयं को उभारा।

मैं आप सभी के साथ संक्षिप्त में कम्पनी के आलोच्य वर्ष के कार्यनिष्पादन के महत्वपूर्ण पहलुओं और कम्पनी की भावी योजनाओं को साझा कर रहा हूं।

वित्तीय विशेषताएं

कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान 1436.67 करोड़ रू. का टर्नओवर और 211.71 करोड़ रू. करोपरांत लाभ प्राप्त किया जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 1381.73 करोड़ रू. और 197.29 करोड़ रू. था। इस टर्नओवर को इन्टरनेट टिकटिंग पर सेवा प्रभार समाप्त कर देने के बावजूद कम्पनी के टर्नओवर में 270 करोड़ रू. (लगभग) पी.बी.टी. घटने से रहा। कम्पनी की शुद्ध पूंजी भी 31.03.2016 के 700.57 करोड़ रू. की तुलना में 31.03.2017 को 778.34 करोड़ हो गई है।

रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के निर्देशानुसार निदेशक मण्डल ने वर्ष 2016–17 के लिए कर उपरांत 40 प्रतिशत लाभांश राशि पिछले वर्ष भुगतान किए 75.45 करोड़ रू. की तुलना में 84.68 करोड़ रू. (अन्तिम लाभांश सहित) भुगतान की सिफारिश की है।

कम्पनी ने कम्पनी की आरक्षित और सरप्लस से वर्तमान शेयरधारकों को 20 करोड़ रू. की पूंजी से 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर भी जारी किए। केन्द्रीय बजट 2017 में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा परीक्षा पर शून्य टिप्पणी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि यह कुशल लेखाकरण और प्रकटन पद्धतियों और वांछित जांचों और प्रणालियों के पालन से हो सका है।

मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्ता हो रही है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी को उत्कृष्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है।

मैं अब उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी के क्षेत्रवार कार्य– निष्पादन को संक्षिप्त रूप से रखना चाहता हूं।

1. खानपान एवं आतिथ्य–सत्कार :

आपकी कम्पनी का विभागीय खानपान राजस्व वर्ष 2015–16 के 255.56 करोड़ रूपए की तुलना में घटकर 234.98 करोड़ रूपए रहा और लाइसेन्सी खानपान का राजस्व वर्ष 2015–16 के 76.09 करोड़ रूपए की तुलना में बढ़कर 161.63 करोड़ रहा।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी नीति–2017 के अनुसार अधिग्रहण करने हेतु बेस किचन ग्रिडों की योजना और डिजायनिंग करके, बेस किचन और ऑनबोर्ड सेवाओं के मध्य भोजन उत्पादन और सेवाओं को अलग–अलग करने, ऑनबोर्ड सेवाओं का उन्नयन और बेस किचन में निवेश की प्रक्रिया शुरू की गई। वित्त वर्ष 2018 में कम्पनी ने 16 बेस किचन/स्थैतिक यूनिटों को स्थापित/नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूरे भारतीय रेलवे पर वर्तमान 228 फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों के अतिरिक्त कम्पनी ने 50 ऐसी अतिरिक्त यूनिटें लगाने की योजना बनाई है।

2. रेल नीर:

वर्ष 2016–17 के दौरान रेल नीर संयंत्रों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के 15.76 करोड़ बोतलों की तुलना में 18.70 करोड़ बोतल रहा। वर्ष के दौरान कम्पनी ने इस क्षेत्र में पिछले वर्ष के राजस्व 133.38 करोड़ रू. की तुलना में 159.10 करोड़ रू. प्राप्त किए।

इस समय परिचालित सात संयंत्र दिल्ली, पटना, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, पारासल्ला और बिलासपुर में हैं इसके अतिरिक्त कम्पनी 2017–18 में एक संयंत्र नागपुर में और 2018–19 में दो संयंत्र हापुड़ और संक्रेल में शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

आपकी कम्पनी ने पूरे भारतीय रेलवे पर 2500 वाटर वेन्डिंग मशीनों को स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित कर लिए हैं और वर्ष के दौरान 1011 वाटर वेडिंग मशीनों को लगा दिया गया है। लगभग 80 प्रतिशत ए–1 श्रेणी के स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों को लगा दिया गया है।

3. यात्रा एवं पर्यटनः

आईआरसीटीसी के यात्रा एवं पर्यटन राजस्व में भारी उछाल से वर्ष 2015–16 के 374.33 करोड़ रु की तुलना में 2016–17 में 527.35 करोड़ रू. रहा अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत सरकार के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की पहलों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आईआरसीटीसी ने 31 मई 2016 को उपयोगकर्त्ता अनुकूल एकीकृत ऐप 'आईआरसीटीसी एयर' और आईआरसीटीसी टूरिज़्म को शुरू किया।

कम्पनी ने आगे आने वाले वर्षों में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने और मज़बूत करने के लिए इसका विस्तार और वर्तमान व्यवसाय दिशा को सुव्यवस्थित के साथ – साथ नए उत्पाद शुरू करने की योजना है।

4. इंटरनेट टिकटिंगः

आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग सेवा भारतीय रेलवे की ऑनलाइन बुक की जाने वाली आरक्षित टिकटों का अब 62% हो गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान औसतन 5.73 लाख से अधिक टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन बिक्री की जाती है। जिसमें 14 अगस्त 2016 को सर्वाधिक एक मिनट में 16555 टिकटें बुक की गई।

रेल मंत्रालय ने 23 नवम्बर 2016 से सेवा प्रभार समाप्त कर देने का इस क्षेत्र में राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके कारण आईआरसीटीसी के इंटरनेट टिकटिंग क्षेत्र में राजस्व वर्ष 2015–16 के 632.15 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2016–17 में 466.05 करोड़ करोड़ रू. रहा।

आपकी कम्पनी के द्वारा इस क्षेत्र में की गई नई पहलों में नेक्स्ट जनरेशन ई–टिकटिंग प्रणाली पर नया एन्ड्रॉइड ऐप शुरू करना, को–ब्रॉन्डिंग और बैनर कंटेक्स्टचुअल विज्ञापनों को शुरू करना है।

5. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और कॉरपोरेट अभिशासनः

आपकी कम्पनी का दृढ़ विश्वास है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए समुदाय को वापस देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कम्पनी का सीएसआर केन्द्र बिन्दु क्षेत्र में स्वास्थ्य, साफ–सफाई, पीने का पानी और दिव्यांग–जनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी ने सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर निर्धारित बजट 4.36 करोड़ रू. की राशि पूरी तरह खर्च की गई।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन पर एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है और कम्पनी अधिनियम 2017 में निर्धारित के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव से प्रमाण–पत्र लिया गया है। इसके अतिरिक्त सचिवीय लेखा परीक्षा कराई गई है।

6. आभारः

समापन से पहले मैं अपने सम्मानीय शेयर धारकों, निदेशक मण्डल, और समग्र रूप से पूरी कम्पनी को मेरे प्रति आपके द्वारा जताए गए विश्वास और अमूल्य समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मुझे विश्वास है भविष्य में भी हमें आपका समर्थन गत वर्षों की तरह मिलता रहेगा।

मैं भारत सरकार की एजेन्सियों/संस्थाओं, विशेषरूप से रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और क्षेत्रीय रेलों, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सभी राज्य सरकारों, विभागों और हमारे सहभागियों द्वारा का उनके द्वारा दी गई सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं कम्पनी के व्यवसाय के लिए बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके द्वारा पूरे संगठन में स्वस्थ अभिशासन संस्कृति को बनाने में और निदेशक मण्डल की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं आईआरसीटीसी की पूरी टीम को ईमानदारी और कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सभी का कम्पनी को और अधिक मजबूती देने और बाहरी चुनौतियों को रोकने में निरंतर समर्थन की कामना करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी पूर्ववर्तियों को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद, देवियो और सज्जनों

हस्ता./.
(एम. पी. मल्ल)
निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन : 02316235

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2017

(टिप्पणीः इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का अंग न समझा जाए)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशकों के रूप हमें आपकी कंपनी के व्यापार एवं परिचालन की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ –साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखों के लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आलोच्य अवधि की लेखा के जांच की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कम्पनी का विस्तृत वित्तीय और परिचालन निष्पादन विवरण रिपोर्ट में दिया गया है।

1. वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश वित्त वर्ष 2015–16 की तुलना में निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है:–

वित्तीय निष्पादन (₹ करोड़ो में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	प्रतिशत बढ़ोत्तरी / गिरावट
टर्नओवर	1432.62	1381.73	3.68
कुल आय	**1596.31**	**1522.53**	**4.85**
कर पूर्व लाभ	**328.47**	**306.79**	**7.07**
कर के लिए प्रावधान	116.76	109.49	6.64
कर के बाद लाभ	**211.71**	**197.29**	**7.31**
अग्रेणीत लाभ	330.65	197.18	67.69
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	35.00	35.00	–
अन्तरिम लाभांश	37.50		
अंतिम लाभांश (अन्तरिम लाभांश और लाभांश वितरण कर सहित)	101.93	90.81	12.25
तुलनपपत्र को अग्रेणीत लाभ	**353.42**	**330.65**	**6.89**
आरक्षित एवं सरप्लस	738.34	680.57	8.49
शुद्ध मूल्य	778.34	700.57	11.10
प्रति शेयर आय (₹)	52.93	49.32	7.32

क. पूंजीगत संरचना

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को कम्पनी के आरक्षित पूंजी के द्वारा बोनस शेयर जारी करके 20 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी गई थी। तथापि कम्पनी की अधिकृत प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 50 करोड़ रूपए रही। कम्पनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के और इसके नामितियों के पास है। वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों का विवरण निम्न उल्लेखित पैरा में दिया गया है।

ख. बोनस

असाधारण आम सभा में शेयरधारकों के तथा बाद में रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पश्चात् निदेशक मण्डल ने 1:1 अनुपात में वर्तमान शेयरधारकों को 10/रूपए प्रत्येक का बोनस शेयर प्रत्येक 10/– रु. इक्विटी शेयर से कम्पनी के आरक्षित और सरप्लस से 20 करोड़ रू. पूंजी प्रदान करके जारी किया।

ग. लाभांश

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अन्तिम लाभांश 21.17 प्रतिशेयर की दर से 84.68 करोड़ रूपए (18.75 रूपए प्रतिशेयर की दर से 37.50 करोड़ रूपए के अन्तरिम शेयर सहित) की शिफारिश की है। अन्तिम लाभांश भुगतान आगे होने वाली वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त सहित होगा।

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कुल लाभांश में कम्पनी के प्रदत्त शेयर पूंजी का 212% रही जबकि पिछले वर्ष प्रदत्त पूंजी का 377% थी। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान भुगतान किया लाभांश की राशि 84.68 करोड़ रूपए थी जिसमें लाभांश वितरण कर 17.24 करोड़ रूपए शामिल नहीं था। इससे वित्त वर्ष के दौरान कुल लाभांश भुगतान पी.ए.टी. का 40% और 2015–16 की कुल पूंजी 778.34 करोड़ रूपए के 5% से अधिक होगी। इससे दिनांक 29.04.2016 के रेल मंत्रालय के राष्ट्रपति निर्देशों और निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन मंत्रालय (डीआईपीएएम) के दिनांक 27.05.2016 दिशानिर्देशों का अनुपालन हुआ।

घ. रेल मंत्रालय के राजस्व में योगदान

वर्ष के दौरान कम्पनी ने रेलवे के राजस्व में भी पिछले वर्ष के 396.45 करोड़ रूपए की तुलना में कुल 327.32 करोड़ रूपए का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में ढुलाई प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेन्स फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लांभाश शामिल हैं।

ड़ प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

केन्द्रीय बजट 2017 में आईआरसीटीसी के शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई थी।

निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और आईआरसीटीसी के प्रस्तावित आईपीओ को जारी करने के लिए बुक रनिंग लीड प्रबंधकों (बीआरएलएम), कानूनी सलाहकार और रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी के वर्तमान विधान में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए जाने हैं ताकि इसे कम्पनी अधिनियम 2013 में की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके और इस संबंध में सूचीबद्धता विनियमों का पालन किया जा सके।

2. परिचालनिक निष्पादन

वर्ष 2016–17 के दौरान क्षेत्रवार परिचालनिक निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया हैः–

क. खानपान एवं आतिथ्य सत्कार
ख. इंटरनेट टिकटिंग
ग. यात्रा एवं पर्यटन
घ. बोतलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

(क) <u>खानपान एवं अतिथि सत्कार :–</u>

आईआरसीटीसी के खानपान और अतिथि सत्कार के क्षेत्रवार कार्य निम्न प्रकार विभाजित हैः

1. **रेलवे खानपान** : रेलवे खानपान में विभागीय खानपान, चल खानपान, ई–खानपान, फूड प्लाजा, एवं जनाहार जैसे स्थैतिक खानपान, एक्जेक्यूटिव लाउंज, बजट होटल और रेल यात्री निवास, बेस किचन, छोटी इकाईयां आदि शामिल हैं।
2. **गैर रेलवे खानपानः** गैर रेलवे खानपान में सेन्ट्रल किचन, संस्थागत खानपान, कार्यालयीन खानपान, इवेन्ट खानपान और प्रबंधन, फैसीलिटी प्रबंधन, अतिथि गृह प्रबंधन, हाउस कीपिंग सेवाएं, परामर्शदात्री सेवाएं, फूड कोर्ट, कियोस्क इत्यादि शामिल हैं।

31.03.2017 को आईआरसीटीसी में 134 मोबाईल यूनिटों (17 दुरंतों सहित) 4 बेस किचन, 09 जन आहार और 2 अल्पाहार ग्रह हैं।

विभागीय खानपान व्यवस्था से वर्ष 2016–17 में 234.98 करोड़ की आय हुई जबकि, वर्ष 2015–16 में यह 255.56 करोड़ रू. थी। विभागीय खानपान इकाइयों से होने वाला घाटा वर्ष 2016–17 में घटकर 54.18 करोड रू. का हो गया है जबकि, पिछले वर्ष यह 66.09 करोड़ रूपए का था। 27.02.2017 से नई खानपान नीति लागू होने से विभागीय खानपान क्षेत्र में घाटा और कम होगा।

वर्ष 2016–17 में लाइसेन्सी खानपान क्षेत्र से 161.63 करोड़ रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2015–16 में यह 76.09 करोड़ रू. थी।

1. रेलवे खानपान

i. चल खानपान

आईआरसीटीसी 93 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस, 9 राजधानी और 5 शताब्दी गाड़ियों में अस्थाई लाईसेन्स प्रदान करके ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है। 31.03.2017 को आईआरसीटीसी ने 01 शताब्दी और 06 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में विभागीय परिचालनों के द्वारा परिचालित कर रहा है। रेल मंत्रालय ने गतिमान और हमसफर गाड़ियां (12571–72, गोरखपुर – आनन्द विहार टर्मिनल, 12595–96 और 22287–88 हावड़ा–यंशवंतपुर जंक्शन हमसफर गाड़ियां) शुरू की है और आईआरसीटीसी को इन गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं प्रबंधन का शासना देश दिया।

खानपान नीति–2017 के अनुसार आईआरसीटीसी को खानपान सेवाओं का चरणबद्ध रूप से प्रबंधन शुरू करना है और विशेष रूप भोजन तैयार करने और भोजन वितरण में प्राथमिक रूप से अन्तर करके अलग–अगल करना होगा। आईआरसीटीसी को भोजन तैयार करने की गुणवत्ता का उन्नयन करने का शासनदेश दिया गया है। और नई किचनों की स्थापना और वर्तमान का उन्नयन करेगा। खानपान नीति 2017 के अनुसार सभी चल यूनिटें रास्तें में आईआरसीटीसी द्वारा नामित किचनों से भोजन प्राप्त करेंगी। आईआरसीटीसी में आंशिक अनबंडलिंग सहित अनबंडलिंग कार्य 04 चरणों में किया जा रहा है। इस समय आईआरसीटीसी दूसरे चरण अर्थात् अस्थाई लाईसेन्स के माध्यम से आंशिक अनबन्डलिंग कर रहा है।

भारतीय रेलवे पर चल–खानपान एक चुनौतीपूर्ण कार्य जारी है। अनबन्डलिंग रणनीति में यह विचार करते हुए परिकल्पना की गई है कि भोजन उत्पादन की गुणवत्ता की नींव परोसे जाने वाले भोजन पर निर्भर करेगी। बृहत साईज और व्यवसाय के फैलाव से भारतीय रेलवे

पर खानपान क्षमता बढ़ेगी और इससे निजी निवेश पीपीपी के माध्यम से आकर्षित होगा।

भारतीय रेलवे द्वारा आधारभूत ढांचे के सुधार को लागू करने से भोजन सेवा कम्पनियों ऑनबोर्ड गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भाग ले सकती हैं। कम्पनी अपनी रणनीति प्रकाशित कर चुकी है। इस प्रक्रिया का ब्लू प्रिन्ट 2017 में कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

आईआरसीटीसी दिनांक 31.03.2017 को 10 दुरंतों और 08 राजधानी गाड़ियों का आंशिक अनबन्डलिंग प्रतिमान पर प्रबंधन कर रही है।

ii. स्थैतिक खानपान

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा 13 जनआहार, 05 अल्पाहार कक्ष और 128 छोटी इकाईयां (स्टाल ट्रॉलियां आदि) का प्रबंधन किया जा रहा है। इन यूनिटों में से 03 जन आहार, 03 अल्पाहार कक्ष और 02 छोटी इकाईयां क्षेत्रीय रेलों को सौंप दी गई है।

iii. बेस किचन

31 मार्च 2017 को आईआरसीटीसी नई दिल्ली, हावड़ा, अहमदाबाद और पटना में 04 बेस किचन विभागीय रूप से संचालित कर रही है। इन बेस किचनों से राजधानी/शताब्दी/दूरंतो जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति विभागीय परिचालनों से आईआरसीटीसी प्रबंधन कर रहा है। नई दिल्ली, हावड़ा और पटना स्थित बेस किचन ISO22000:2005 प्रमाणित हैं और भोजन व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। भोजन गुणवत्ता की निगरानी एवं बेस किचनों में बनाए जाने वाले भोजन का मानक सुनिश्चित करने के लिए भी नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। आईआरसीटीसी की नोएडा स्थित बेस किचन के बेस किचन आधारभूत संरचना का मानक माना गया है। ट्रंक और अन्य मार्गों पर रणनीतिक रूप से बेस किचनों के उन्नयन के लिए पहचान की गई है। इससे निजी निवेश आने से भविष्य में खानपान सेवाओं में बदलाव दिखेगा।

iv. फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां/फूड कोर्ट

वर्ष के दौरान कंपनी ने 18 फूड प्लाजा और 26 फास्ट फूड इकाइयों को चालू किया, इससे कुल इकाइयों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। 2016–17 के दौरान कंपनी ने 24 करोड़ रूपए के वार्षिक लाईसन्स शुल्क पर 54 इकाइयों को लाइसेन्स प्रदान किया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 18 फूड प्लाजा और 26 फास्ट फूड यूनिट को चालू किया इससे कुल इकाइयों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। 2016–17 के दौरान कम्पनी ने 24 करोड़ रूपए के वार्षिक लाइसेन्स शुल्क 54 इकाईयों को लाइसेन्स प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट इकाइयों से कुल आय 38.16 करोड़ रूपए रही। अक्टूबर 2016 से सभी फास्टफूड/फास्टफूड यूनीटों की निविदाएं ई–निविदा के माध्यम से मांगी जा रही हैं। इस व्यवसाय में प्रसिद्ध ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए रणनीतिक पहल की गई है। रेलवे स्टेशनों पर परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने पर बल दिया गया है और मूल ब्रांडों की स्वीकार्यता से ग्राहकों का अनुभव बढ़ाना रहा है।

v. ई–केटरिंग

ई–केटरिंग तेजी से विस्तार होने वाला व्यवसाय है और रेल मंत्रालय के आदेशों से इसे सभी 409 'ए' और 'ए–1' श्रेणी के स्टेशनों पर लागू करना है। लगभग 250 स्टेशनों पर इसे पहले ही शुरू किया जा चुका है और 10 स्टेशनों पर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी ई–केटरिंग के माध्यम से भोजन परोसा जा रहा है।

यह व्यवसाय 25.09.2014 से शुरू किया गया है। प्रारंभ में परियोजना कॉल सेन्टर आधारित टेली केटरिंग थी। इसके लिए एक अलग से वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in को 23.01.2015 को शुरू किया गया। यात्रियों के लिए ई–केटरिंग अब वेबसाइट के साथ–साथ टेलिफोन कॉल और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध है। यात्रियों को चलती गाड़ी में ऑनलाइन आदेश देने की सुविधा के लिए मोबाइल ऐपलिकेशन ''फूड ऑन ट्रैक'' विकसित किया गया है। प्रतिदिन बुक किए जाने वाले भोजन औसतन बढ़कर लगभग 5947 से अधिक प्रतिदिन हो गए हैं (जून 2017)। इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने से सेवा में वृद्धि के संकेत प्राप्त हुए हैं।

कम्पनी ने अधिक एफ एंड बी ब्रांडों जिनमें प्रसिद्ध स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड आकर्षित करने के कदम उठाएं हैं। इसे वर्तमान खानपान सुविधाओं के अलावा पसंद और विकल्प को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

गाड़ी के यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन और विश्वनीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी साझा प्रयास कर रहे हैं जिसमें जनता में जागरूकता इस प्रयास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आईआरसीटीसी ने सेवाओं के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति के अतिरिक्त पम्पलेट बांट कर, पोस्टर के माध्यम से पब्लिक में जागरूकता के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में रेलवे को स्टेशनों पर उद्घोषणा करने, जागरूकता अभियान और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टेशन क्षेत्र आदि में पोस्टर लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

बेहतर प्रयोगकर्त्ता वचनबद्धता के लिए अभिनव कदम उठाकर ई–खानपान के लिए वेब पेज को भी उन्नत और अधिक उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाया गया है।

vi. एक्जिक्यूटिव लाऊंज

रेल मंत्रालय के द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार आईआरसीटीसी को एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज के लिए बुनियादी ढ़ांचे में निवेश करने के लिए कहा गया था तद्नुसार, आईआरसीटीसी के द्वारा विशाखापट्टनम, नई दिल्ली एवं जयपुर में एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन और स्टेशनों जिनमें विजयवाड़ा, हावड़ा, और आगरा कैण्ट स्टेशन पर एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज परिचालन, अनुरक्षण और वापस अंतरण करने का ठेका प्रदान कर दिया है। अक्तूबर 2016 से एक्ज़ियूटिव लाऊन्ज की निविदाएं केवल ई–निविदा के माध्यम से की जा रही है।

एक्जिक्यूटिव लाऊंजों से वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 2.71 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

vii. बजट होटल

कम्पनी इस समय निम्न दो रेल यात्री निवासो और दो बजट होटलों को परिचालित कर रही है:

1. जिंजर रेल यात्री निवास, नई दिल्ली
2. सम्पथ रेल यात्री निवास, हावड़ा
3. बजट होटल, पुरी
4. बजट होटल, रांची

वर्ष 2016–17 के दौरान बजट होटलों से प्राप्त राजस्व 1.13 करोड़ रूपए रहा।

viii. ई–बैडरोल

ई–बैडरोल स्कीम को सात प्रमुख स्टेशनों पर 7 और 10 फरवरी 2016, 18 और 22 अगस्त 2016 को शुरू की गई और 31 मार्च 2017 तक 20,000 से अधिक बैडरोल किट बेचे गए।

2. गैर रेलवे खानपान

गैर–रेलवे खानपान वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व योगदान 15.87 करोड़ रूपए रहा जबकि 2015–16 के दौरान यह 27.28 करोड़ रूपए रहा। 31.03.2017 को गैर खानपान यूनिटों की संख्या 11 थी

भारतीय रेलवे से खानपान सेवा को ग्रहण करने को ध्यान में रखते हुए गैर रेलवे खानपान व्यवसाय से अलग होना होगा और इससे रिलीज़ संसाधनों को प्रभावी रूप से तैयार करना होगा। वर्ष 2016–17 के रेल बजट की घोषणा में आईआरसीटीसी को भारतीय रेलवे की खानपान सेवा को सौंपकर चरणबद्ध रूप से खानपान सेवा संभालनी है। प्रारंभिक चरण में सभी चल यूनिटों को आईआरसीटीसी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। चल यूनिटों के माध्यम से सेवाओं का प्रबंधन और निगरानी के लिए बड़ी संख्या में स्रोतों की आवश्यकता होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी गैर रेलवे खानपान व्यापार से अलग होगा और इससे उपलब्ध श्रम शक्ति को बेस किचन सहित चल यूनिटों में निगरानी/परिचालन के लिए पुर्ननियुक्त करेगा।

सेन्ट्रल किचन (आईएसओ 22000:2005 प्रमाणित)

सेन्ट्रल किचन के द्वारा प्रतिष्ठित गाड़ियां में गुणवत्ता भोजन और स्नैक्स की व्यवस्था की जा रही है। यह अपनी तरह की एक बड़ी एयर फ्लाइट कैटरिंग रसोई के प्रकार की उच्च गुणवत्ता और मानक भोजन का उत्पादन करने वाली अति आधुनिक खाद्य फैक्टरी है। फैक्टरी पूरी तरह से ऑटोमेटिड है जिसमें भारत और विदेशों के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं के उपकरणों सहित आतिथ्य उद्योग पेशेवरों के द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है और इसका प्रबंधन आईआरसीटीसी द्वारा एफ एंड बी उद्योग में योग्य पेशेवरों के द्वारा किया जा रहा है।

भावी संभावनाएं एवं योजना:

➢ **रेलवे खानपान :**

- फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां/फूड कोर्ट

  इस समय आईआरसीटीसी, भारतीय रेलवे पर 229 फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटें चला रही है। वित्त वर्ष 2017–18 में 58 स्थानों पर फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों की निविदा की योजना है। 84 और यूनिटें चालू किए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं। कंपनी की वर्ष 2017–18 में लगभग 50 यूनिटें शुरू करने की योजना है। जिनसे 15 करोड़ रूपए वार्षिक की अतिरिक्त आय होगी। ये यूनिट ए–1, ए और बी श्रेणी के स्टेशनों पर क्रमश: 81.3%, 49%, और 13% होगी। बी श्रेणी के स्टेशनों पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी के भविष्य की रणनीति में शामिल किया गया है। ऐसी सभी यूनिटों की कनेक्टिविटी डाटा ग्रिड पर जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है।

- एक्ज़िक्यूटिव लाऊंज

  वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी के 38 स्थानों पर एक्जिक्यूटिव लाऊंज लीज़ पर देने की योजना है।

- विश्राम कक्ष परिसर

  रेलवे स्टेशनों पर आगमन के पश्चात/प्रस्थान पूर्व सुविधाओं को अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्षों का नवीनीकरण, परिचालन और प्रबंधन का शासनादेश आईआरसीटीसी को दिया था। नवीनीकरण–परिचालन–अन्तरण मॉडल पर लाईसेन्स देने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी ने सभी ए और बी श्रेणी के स्टेशनों के विश्राम कक्ष का निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संगठनों का पैनल बनाने हेतु रूची की अभिव्यक्ति जारी की है। नीति तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

- ई–केटरिंग

  ई–केटरिंग का कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिटों के अतिरिक्त 409 ए–1 और ए श्रेणी के प्रत्येक स्टेशनों पर कम से कम 5 वेन्डरों को पैनल में रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्षेत्रीय व्यंजनों की अधिक विशिष्टताएं उपलब्ध की जाएगी, बाजार के स्तर और ग्राहक की आशाओं के अनुरूप वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उन्नयन राष्ट्रीय प्रचार के साथ किया जाएगा। ग्राहकों से प्रारंभ से अंत तक का एक पूर्णतः इलैक्ट्रॉनिक फीड बैक मैकेनिज़्म शिकायतों/सुझावों/फीडबैक पर निवारण कार्रवाई के लिए भी बनाया गया है।

- सेन्ट्रल किचन

  इस परियोजना को आईआरसीटीसी की खानपान क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षम करने हेतु शुरू किया गया है ताकि खानपान को अधिग्रहण के दौरान प्रस्तावित अनबन्डल प्रक्रिया और आधार स्थापित करने में उपयोगी हो सके। सेन्ट्रल किचन की शुरूआत का उपयोग पूरे भारतीय रेलवे पर गाड़ी खानपान को सहयोग के लिए किचन यूनिटों के परिचालन मानक, विर्निदेशों आदि के मापदंड स्थापित करने में किया जाएगा। सेन्ट्रल किचन सेवा प्रदात्ताओं के द्वारा भारतीय रेलवे पर परिचालित किचनों के मध्य प्रतिकारी संतुलन बनाएगा ताकि फ्रेंचाइजी भागीदारी रेग्यूलेटरी कन्ट्रोल में आईआरसीटीसी का पलड़ा मज़बूत रहे और ऐसे भावी साझेदारों के साथ दृढ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे।

मानीटरिंग प्रणाली – ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

आईआरसीटीसी में तृतीय पक्ष वाली व्यावसायिक एजेन्सियों द्वारा संतुष्टि सर्वेक्षण करके भोजन और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। आईआरसीटीसी ने ऐसी 7 (सात) एजेन्सियों को 3 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया है।

भोजन संरक्षा जांच

जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भोजन की संरक्षा के प्रभाव को देखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा संरक्षा ऑडिट तृतीय पक्ष एजेन्सी से कराई जिसे राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड संस्थाओं के प्रमाणन के लिए (एनएबीसीबी) से मान्यता प्राप्त है।

यूनिट का प्रकार	यूनिटों की संख्या	प्राप्त समस्त अंक
गाड़ियां	88	62.49%
फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट	95	67.92%
बेस किचन/फूड पिक–अप प्वॉइन्ट	26	71.14%

आईएसओ प्रमाणन

आईएसओ प्रमाणन सहित विभिन्न गुणवत्ता उपायों के ज़रिए खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान 20 फूड प्लाजाओं/फास्ट फूड यूनिटों को आईएसओ 22000:2005 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया। 31 मार्च 2017 तक लाइसेन्सियों द्वारा परिचालित 190 यूनिटों में से कुल 131 यूनिटों को आईएसओ प्रमाणपत्र मिल चुके हैं।

शिकायतों पर नज़र रखना और की गई कार्रवाई

वर्ष 2016–2017 के दौरान रेल यात्रियों से कुल 1073 शिकायते प्राप्त हुई थी जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 1252 थी इसमें 14.3 प्रतिशत की कमी आई है।

ख. इंटरेनट टिकटिंग

आईआरसीटीसी को भारत में रेलवे टिकटिंग की छवि में बदलाव के रूप में पहचाना जाता है। इसके द्वारा कम्पनी वेबसाइट के माध्यम से इन्टरनेट रेल टिकट बुकिंग के साथ–साथ मोबाइल फोन के द्वारा मार्ग प्रशस्त किया है।

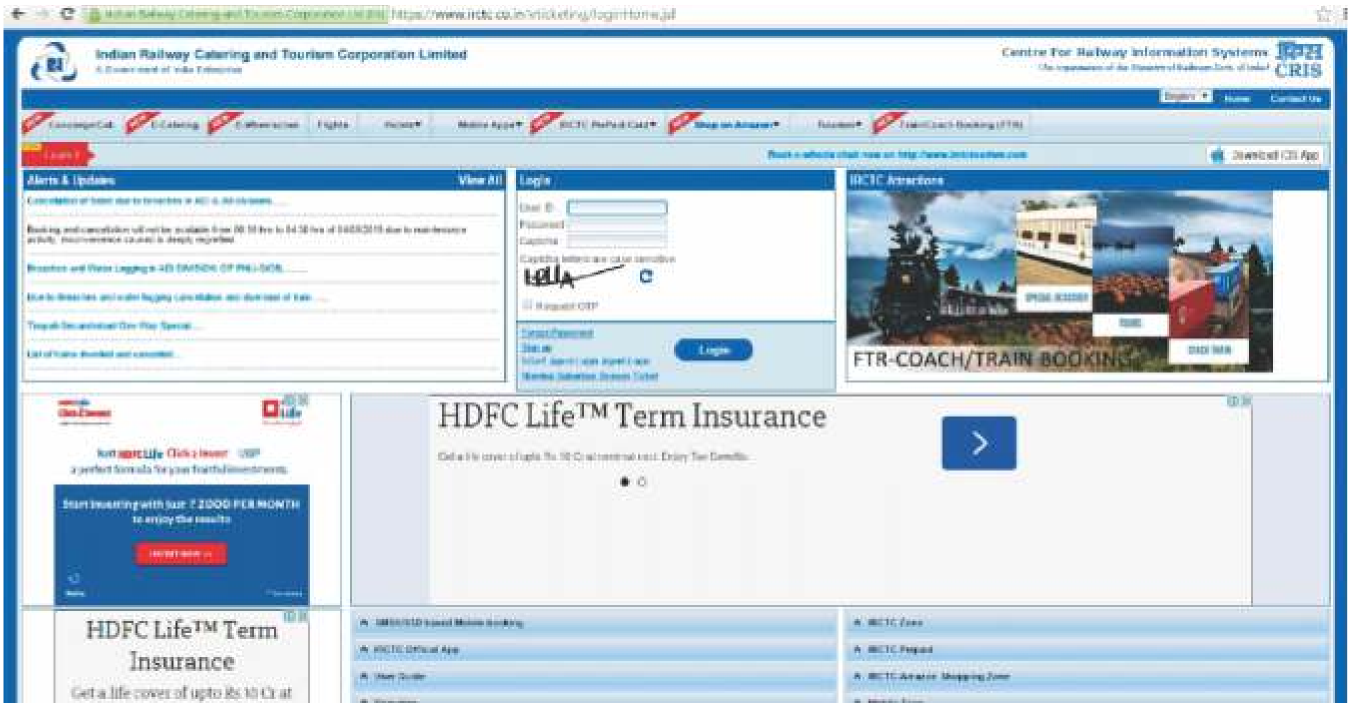

आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग सेवाएं जब से बाजार में शुरू हुई लगातार अपनी मज़बूती बढ़ा रही है और अब भारत में आरक्षित टिकटों में ऑनलाइन बुकिंग 62% प्रतिशत है जिसने दुनिया की कई उच्च प्रोफाइल ई–कॉमर्स साइटों को पीछे छोड़ दिया है। ई–टिकटिंग में कम्पनी की अभूतपूर्व वृद्धि ई–आरक्षण के लिए एक मजबूत प्रक्रिया है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड सहित पूर्व भुगतान इन्सट्रुमेन्ट वॉलेट और नेट बैंकिंग सुविधाओं से सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा से शुरू हो गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से औसतन प्रतिदिन 5.73 लाख से अधिक टिकटें बेची गई है।

ई–टिकटिंग साइट से 24 घंटे टिकट बुकिंग होती है सिवाए 23.45 बजे से 00.20 बजे तक केवल 35 मिनट के लिए ही बंद रहती है। साईट से विभिन्न रियायती दरों और पूरे टिकट किराए की टिकटें शामिल हैं।

सेवा प्रभार :

नाम मात्र का सेवा प्रभार प्रति ई–टिकट गैर एसी श्रेणी में 20/– रूपए और 40/–रूपए प्रति टिकट एसी श्रेणी) तक लगाया जाता रहा था। इसे रेल मंत्रालय ने दिनांक 23 नवम्बर 2016 से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अन्तर्गत समाप्त कर दिया था तथापि इसे केन्द्रीय बजट 2017–18 में भी समाप्ति जारी है।

सेवा प्रभार हटाने का आगे तक प्रभाव पडेगा इसके परिणामस्वरूप आईआरसीटीसी के टर्नओवर पर 575 करोड़ रूपए (अनुमानतः) की हानि होगी। उल्लेखित है कि आईआरसीटीसी वर्तमान में वेबसाइट पर टिकटिंग प्रणाली, विपणन, परिचालन और बिक्री पश्चात् सेवा पर वार्षिक खर्च 100 करोड़ रूपए कर रहा है और सेवा प्रभार को पूर्ण रूप से समाप्त करने से आईआरसीटीसी की वित्तीय स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो जाएगा। वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी के इन्टरनेट टिकटिंग क्षेत्र से वर्ष 2015–16 के 632.15 करोड़ रू. की तुलना में 466.05 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त किया।

आय :

क. बुक की गई ई–टिकटों और यात्रियों की संख्या

आईआरसीटीसी की वेबसाइट से वर्ष 2016–17 के दौरान 2092.95 लाख टिकटें पिछले वर्ष 2015–16 की 1992.80 लाख की तुलना में बुक की गई और 3730.87 लाख यात्रियों ने ई–टिकटें बुक की।

ख. ई–टिकटिंग से राजस्व संग्रहणः

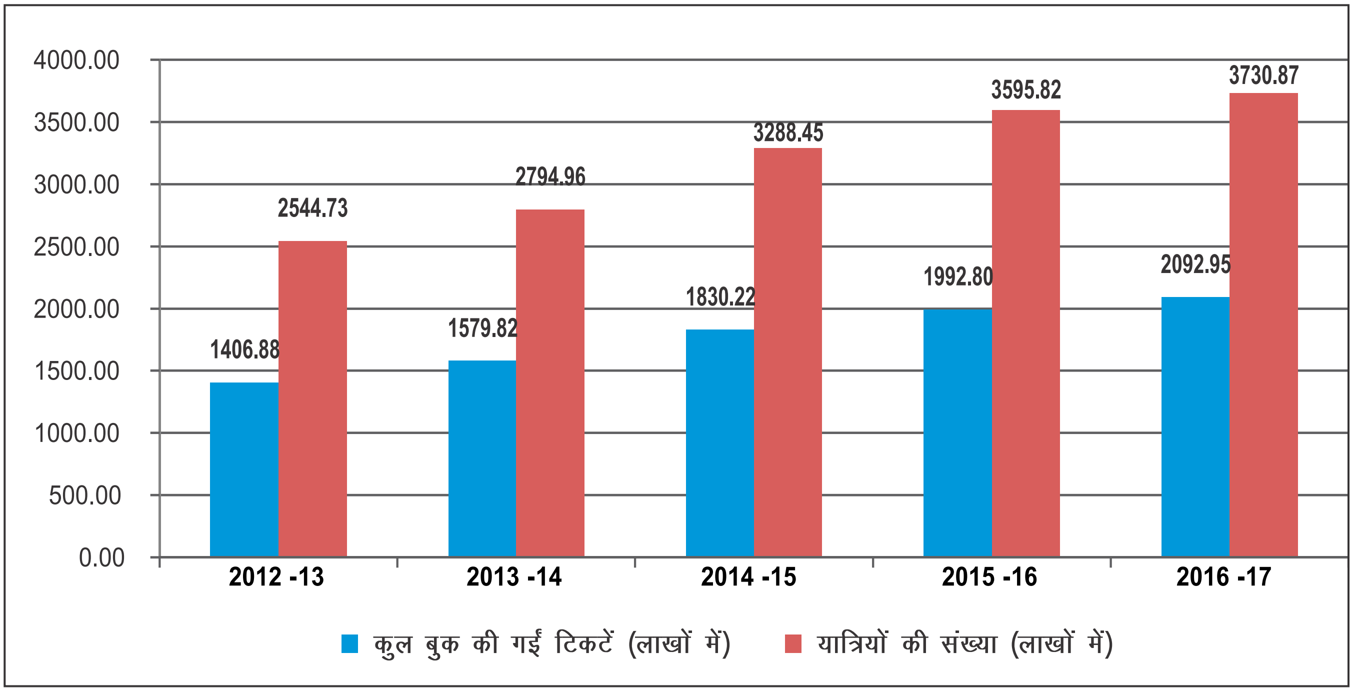

आईआरसीटीसी बेवसाइट के उपयोगकर्त्ताओं से गाड़ी के किराए और सेवा प्रभार से संग्रह किए गए राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 के दौरान उपयोगकर्त्ताओं से कुल 24485.21 करोड़ रू. एकत्र किए गए और गैर एसी श्रेणी की प्रति टिकट पर 20/–रू. तथा एसी टिकटों पर प्रति टिकट पर 40/–रू. नाम मात्र के सेवा कर सहित सेवा प्रभार वसूला गया।

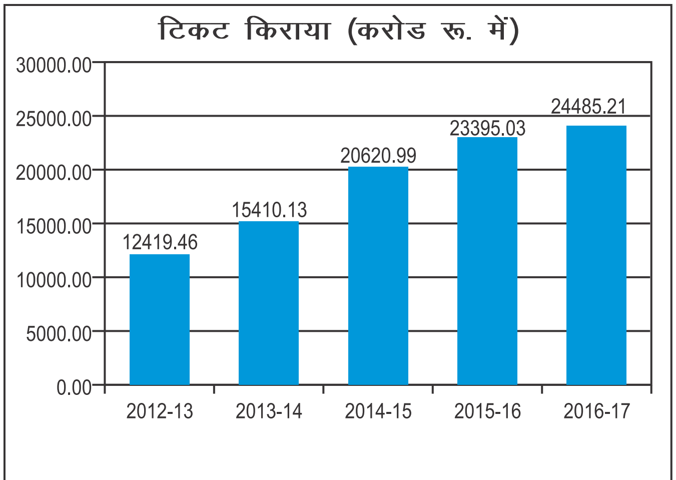

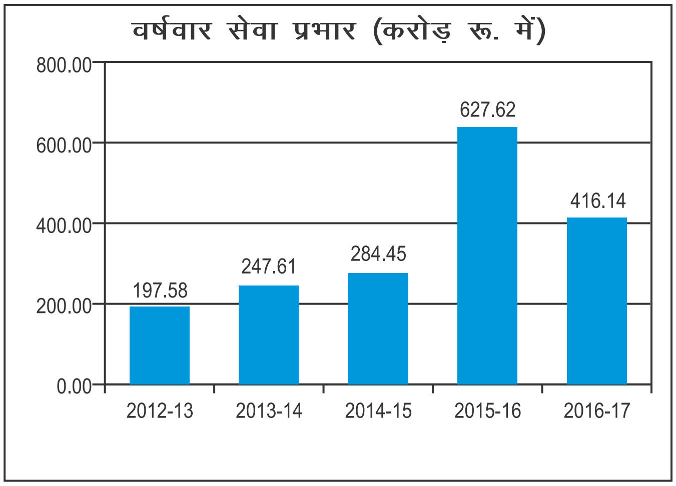

रेलवे बोर्ड द्वारा ई–टिकटों पर सेवा प्रभार दिनांक 23.11.2016 से 31.12.2016 तक जिसे आगे से 01.01.2017 से 31.03.2017 तक स्थगित कर दिया गया है।

2016–17 के दौरान उठाए नए कदम

- **मोबाइल बुकिंगः**– मोबाइल इंटरनेट हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी ने जनवरी 2017 से नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग प्रणाली पर नया एन्ड्रॉइड ऐप शुरू किया। वर्ष 2015–16 के दौरान मोबाइल टिकट बुकिंग 30,000 प्रतिदिन थी जो कि बढ़कर 80,000 टिकटें प्रतिदिन हो गई हैं। मोबाइल ऐप बुकिंग मार्च 2016 में 9,50,952 थी जो कि मार्च 2017 में बढ़कर 29,83,072 हो गई इसमें वित्त वर्ष 2016–17 में 213. 69% की बढ़त दर्ज की है।

- **को–बैन्डिंग** : को–ब्रैडिंग पहल के अन्तर्गत आईआरसीटीसी ने 07 करोड़ रूपए के राजस्व आय हुई।

- **बैनर विज्ञापन** : हमारी वेबसाइट पर बैनर विज्ञापन गुगल के माध्यम से दिया जाता है जिससे हमें 41 करोड़ रू. विज्ञापन राजस्व प्राप्त हुआ है और आगे भी इसकी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कम्पनी ने अनुबंध विज्ञापन को शुरू किया है और इससे 3 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ।

इंटरनेट टिकटिंग की मुख्य विशेषताएं:

✓ वर्ष के दौरान एनजीईटी (नेक्स्ट जनरेशन ई–टिकटिंग प्रणाली) के ज़रिए कुल 2092.95 लाख टिकटें बुक की गई थी।

✓ 14 अगस्त 2016 को एक मिनट में सर्वाधिक 16,555 टिकटें बुक की गई।

✓ वैकल्पिक यात्रा 01 सितम्बर 2017 से शुरू किया गया और 10 दिसम्बर 2016 से सभी कन्फर्म/आरएसी, यात्रियों को निशुल्क बीमा देने की व्यवस्था की गई।

✓ दिनांक 29 अप्रैल 2016 से काऊन्टर/प्रणाली टिकटों की ऑनलाइन रद्दीकरण शुरू किया गया।

✓ 29 अप्रैल 2016 से अन्तर्राष्ट्रीय उपभोगकत्ताओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बुकिंग शुरू की गई।

✓ 02 अप्रैल 2016 से गतिमान एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई।

✓ आईआरसीटीसी की मास्टर लिस्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया को 02 दिसम्बर 2016 से शुरू किया।

✓ लॉयल्टी प्रोग्राम को एनजीईटी पर ले जाया गया और 10 जनवरी 2017 से पुनः शुरू किया गया।

ग. यात्रा एवं पर्यटन

आईआरसीटीसी ने भारत में अग्रणी पर्यटन कम्पनियों में एक खास मुकाम बनाया है। आईआरसीटीसी में कई पर्यटन उत्पाद परिचालित हैं जिनमें लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस, एयर टिकटिंग, अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पैकेज, होटल बुकिंग और कार रेन्टल, कस्टोमाइज और एलटीसी टूर बुद्धिस्ट विशेष गाड़ी टूर, बजट गाड़ी टूर, विशेष रूची टूर आदि हैं। हम सभी बजट श्रेणी चाहे यह उच्च वर्ग या बजट यात्री हो, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

आईआरसीटीसी के यात्रा एवं पर्यटन राजस्व में भारी उछाल से वर्ष 2015–16 के 374.33 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2016–17 में 527.35 करोड़ रू. रहा अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि लाभ में 96.95 प्रतिशत की वृद्धि से 28.15 करोड़ की तुलना में क्रमशः 55.44 करोड़ रूपए हुआ।

❖ पर्यटन पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग

आईआरसीटीसी का पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com एक ही स्थान पर यात्रा समाधान सुलभ कराता है। इस पोर्टल को वर्ष 2008 में पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार और लगातार तीन वर्ष अर्थात 2014, 2015, एवं 2016 में लीशर एवं ट्रेवल

द्वारा ''वेबसाइट ऑफ द ईयर'' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यटकों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस वर्ष भी हमने अपने ग्राहकों को जो हमारी सेवाएं वेबपेज से प्राप्त करते हैं, के लिए ''गैलरी फॉर टूर एक्सपीरियंस'' को शामिल किया है और अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों को पैकेजों की बुकिंग के लिए सीट्रस पीजी भी जोड़ा गया है। सभी पर्यटकों को सभी घरेलू पैकेजों पर 4 लाख रू. का बीमा भी दिया गया है।

भारत सरकार के डिजिटलाइजेशन की पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए आईआरसीटीसी ने 31 मई 2016 को उपयोगकर्त्ता अनुकूल एकीकृत आईआरसीटीसी ऐप, 'आईआरसीटीसी एयर' और 'आईआरसीटीसी टूरिज़्म' जो कि रेल एयर टिकटिंग के लिए है और बाद में टूरिज़्म मोबाइल ऐप शुरू किया गया। वर्तमान में ऐपलिकेशन एन्ड्रॉइड प्रयोगकर्त्ताओं के लिए हैं और आईओएस वर्जन शीघ्र शुरू किया जाएगा।

❖ भारत दर्शन पर्यटन गाड़ियां

आईआरसीटीसी का भारत दर्शन एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन पैकेज है। यह पर्यटक गाड़ी बजट श्रेणी के पर्यटकों के लिए है जो एक दशक से अधिक से परिचालित है। इस उत्पाद को आकर्षक मूल्य 800 रूपए से 900 रूपए के बीच प्रतिदिन प्रति व्यक्ति + जीएसटी की दर से उपलब्ध कराई जाती है। सेवाओं में रेल एवं सड़क यात्रा, भोजन, पर्यटन स्थलों का दर्शन और आवास आदि का खर्च शामिल हैं। सभी पर्यटकों का 4 लाख रूपये की राशि का भी बीमा होता है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी ने 67 भारत दर्शन ट्रिप परिचालित किए गए जिसमें कुल 46,374 पर्यटकों ने लाभ उठाया।

❖ बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी

यह 07 रात/08 दिन का सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है जिसमें भारत के साथ–साथ नेपाल स्थित लुम्बिनी के प्रमुख बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल शामिल हैं। यह टूर अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया गया लेकिन घरेलू पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान विशेष गाड़ी टूर पैकेज की सुविधा का लाभ 369 यात्रियों ने उठाया और इससे 2.66 करोड़ रूपए की कुल आय हुई।

❖ आस्था सर्किट विशेष गाड़ी

आईआरसीटीसी ने भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए वित्त वर्ष के दौरान आस्था सर्किट पर्यटन गाड़ियों को शुरू किया और यह टूर पैकेज 800 रूपए से 900 रूपए तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति (+जीएसटी) उपलब्ध कराया जाता है, इसमें रेल यात्रा, सड़क यात्रा, भोजन, पर्यटक स्थलों का दर्शन, आवास, बीमा का मूल्य शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने दो आस्था सर्किट गाड़ियों का गुवाहटी तथा पटना से क्रमशः 17.02.2017 एवं 20.03.2017 को परिचालन किया और जिससे 744 पर्यटकों से 64.62 लाख रूपए की कुल आय अर्जित हुई।

❖ सेमी लग्ज़री गाड़ियां

आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2015–16 में सेमी लग्ज़री गाड़ी टूर घरेलू बाजार में मध्य क्षेत्र का लग्जरी उत्पाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शुरू किया। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी ने चार सर्किटों को परिचालित किया। जिनमें टाईगर ट्रेल, उदयपुर, डेजर्ट सर्किट और टाईगर एक्सप्रेस जिसमें कुल 111 पर्यटकों ने यात्रा की और इससे 30.99 लाख रूपए की आय अर्जित हुई।

❖ **टूर पैकेज**

(i) **रेल टूर पैकेज** – आईआरसीटीसी देश भर में पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज परिचालित करती है, जिसमें उचित मूल्यों पर पुष्ट रेल आरक्षण, सड़क मार्ग यात्रा, आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों की सैर करवाना शामिल है। 2016–17 के दौरान 21,442 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टूर पैकेज का लाभ उठाया।

(ii) **लैंड टूर पैकेज** – आईआरसीटीसी देश भर में अवकाश पैकेज (सड़क पैकेज) परिचालित करती है। 2016–17 के दौरान कुल 27,531 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टूर पैकेज का लाभ उठाया।

(iii) **चार्टर्ड कोच और गाड़ी के साथ रेल टूर पैकेज** – यह पूर्ण समावेशी रेल टूर पैकेज है। जिसमें आईआरसीटीसी गाड़ी यात्रा चार्टर्ड कोच और गाड़ी द्वारा व्यवस्था करती है। 2016–17 के दौरान कुल 1578 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के टूर पैकेज का लाभ उठाया।

(iv) **उपभोक्ताओं की इच्छानुसार टूर पैकेज** :– यह पर्यटकों की इच्छानुसार जिसमें बजट, लग्ज़री स्तर, रूची के स्थान आदि को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। 2016–17 के दौरान कुल 1841 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के इच्छानुसार टूर पैकेजों का लाभ उठाया।

❖ **शैक्षिक टूर**

आईआरसीटीसी ने अपनी ''सीखने के लिए भ्रमण करें'' योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया है और बच्चों के लिए शैक्षिक टूर के आयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा प्राइवेट स्कूलों के साथ उनके विद्यार्थियों को शैक्षिक/जानकारी के लिए परिचालित कर रही है। वर्ष 2016–17 में कुल 17,890 विद्‌यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण सुविधा का लाभ उठाया जिससे 4.57 करोड़ की आय हुई। आईआरसीटीसी ने लक्ष्यद्वीप के प्रशासन के साथ विद्यार्थियों के लिए मुख्य भूमि के टूर के शैक्षिक भ्रमण के लिए तालमेल किया। ये टूर 2017–18 में परिचालित किए जाएंगे।

❖ **चार्टर – ट्रेन और कोच**

आईआरसीटीसी ने विभिन्न वर्गों के लिए वित्त वर्ष 2016–17 में 384 (47 गाड़ियां/337 कोचों) चार्टर परिचालित किए। आईआरसीटीसी कालका–शिमला और दार्जिलिंग हिल रेलवे पर्वतीय रेलों पर हिल चार्टर्स चला रही है।

❖ **राज्य विशेष गाड़ियां**

आईआरसीटीसी इन गाड़ियों को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से चलता है। सरकारें इसके लिए लाभ प्राप्त करने वाले लोगों का चयन करती है। इस टूर में भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, ओडिसा, और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ गठबंधन करके उनके लिए राज्य विशेष गाड़ियां चलाई गई और 260 फेरों से 273.52 करोड़ की आय अर्जित की।

❖ **महाराजा एक्सप्रेस**

इस गाड़ी को 2012 से लगातार विश्व की अग्रणी लग्ज़री पर्यटन गाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। यह गाड़ी 6 विभिन्न यात्रा कार्यक्रमों पर चलायी जाती है। जिनमें से तीन में 7 रात/8 दिन वाले हैं जबकि दो में 3 रात/4 दिन वाले हैं। यात्रा कार्यक्रम में अजन्ता, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, बालासिनौर, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, वाराणसी और लखनऊ, ओसियान और उदयपुर जैसे स्थान शामिल हैं। आईआरसीटीसी अगले वित्त वर्ष से दक्षिण भारत के लिए नई गाड़ी के परिचालन का यात्रा कार्यक्रम लाएगी।

वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 938 यात्रियों ने महराजा एक्सप्रेस के 31 फेरों में यात्रा की जिससे कुल 40.56 करोड़ रूपए की आय हुई।

❖ **एलटीसी यात्रा अवकाश शुल्क**

भारत सरकार ने आईआरसीटीसी को तीन पीएसू से एक को एलटीसी टूर परिचालन के लिए प्राधिकृत किया है। आईआरसीटीसी सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पेकेज और स्वयं की इच्छा पर एलटीसी पैकेज प्रदान कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी ने एलटीसी पैकेज सेवा 217 यात्रियों को दी है।

❖ **चुनाव विशेष गाड़ियां**

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी ने गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर, पुदुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और आसाम विधान सभा चुनाव के लिए 197 गाड़ियां परिचालित की जिससे कुल 59.07 करोड़ रूपए की आय हुई।

❖ **ऑनलाइन हवाई टिकटें**

आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.air.irctc.co.in एयर टिकटिंग माइक्रो साइट शुरू की है जिसके ज़रिए अत्याधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हवाई टिकटें बुक की जा सकती हैं। इसमें बाजार की तुलना में ऑनलाइन ट्रेवल एजेन्ट (ओटीए) के सर्वाधिक न्यूनतम सुविधा शुल्क हैं। इस सूची में और अधिक एयर लाइनों को शामिल किया जा रहा है। एयर टिकटिंग के लिए एन्ड्रॉइड प्रयोगकर्त्ताओं के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया। इस समय आईआरसीटीसी के माध्यम से औसतन 3500 एयर टिकटें प्रतिदिन बुक की जा रही है। आईआरसीटीसी ने (कमीशन और पीएलबी के रूप) एयर टिकटिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2016–17 में 12.45 करोड़ रूपए की आय हुई।

❖ **कॉरपोरेट यात्रा व्यवसाय**

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेटों को संपूर्ण यात्रा सेवा, जिनमें हवाई टिकट, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय होटलों की बुकिंग, वीजा सुविधा, बीमा और विदेशी मुद्रा विनिमय जैसी सुविधाएं शामिल है, प्रदान करती है। इस समय आईआरसीटीसी की कॉरपोरेट यात्रा सेवाओं का उपयोग 151 पीएसयू एवं मंत्रालय कर रहे हैं। इस व्यवसाय के द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कुल आय 1.35 करोड़ रूपए रही है।

❖ **आऊटबाउंड एयर पैकेज**

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी के सभी जोनों से परिचालित अन्तर्राष्ट्रीय टूरों मे कुल 2,791 पर्यटकों ने लाभ लिया जिससे 16.14 करोड़ रूपए की आय अर्जित हुई।

❖ **घरेलू हवाई पैकेज**

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आईआरसीटीसी ने 3,737 पर्यटकों के लिए देश के विभिन्न गन्तव्यों के लिए 181 घरेलू एयर पैकेजों (मुम्बई हैलीकॉप्टर सवारी सहित) को परिचालित किया जिससे 5.30 करोड़ रू. की आय हुई।

भावी संभावनाएं एवं योजनाएं

कंपनी की योजना आगामी वर्षों में पर्यटन व्यापार को बढ़ाकर और संगठित करने के साथ–साथ पर्यटन के वर्तमान व्यवसाय दिशा का विस्तार और कारगार करने के साथ–साथ नए उत्पाद शुरू करना है। भविष्य में विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र निम्न हैं:–

1. पर्यटन कार्यकलापों को ''रेल आधारित'' और ''गैर रेल'' आधारित पर्यटन को पुनः समूह करके प्रत्येक श्रेणी के टूरों पर विशेष ध्यान देना।
2. भारत के विभिन्न शहरों परिचालित अर्न्तराष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेजों पर अधिक ध्यान देना।
3. **राज्य विशेष गाड़ियां** : आईआरसीटीसी विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य विशेष गाड़ियों के परिचालन के लिए सम्पर्क कर रही है।
4. **कांच की छत वाले कोच**: यह भारत में इस प्रकार पहला और अद्वितीय रेलवे पर्यटन उत्पाद है। कांच की छत वाले तीनों कोचों की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर, चेन्नई में निर्माण किया गया जिसमें से दो कोच अरकू वैली में और एक कोच कश्मीर घाटी में परिचालित किया जाएगा। एक कोच का उद्घाटन, रेल मंत्री के द्वारा 16.04.2017 को कर दिया है।
5. **ऑनलाइन हवाई टिकटः** आईआरसीटीसी के ऑनलाइन एयर टिकटिंग प्लेटफार्म पर और अधिक एयर लाइन कम्पनियों को जोड़ा जा रहा है और ग्राहकों के साथ अपने संबंध को और मज़बूत करने के प्रयास के अन्तर्गत रद्द की गई टिकटों की वापसी का रद्द किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर 90 प्रतिशत से अधिक के रिफंड के लक्ष्य को पूरा करेगा।
6. **कॉरपोरेट यात्रा** : आईआरसीटीसी कॉरपोरेट, विशेषकर सभी मंत्रालयों/सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कम किफायती और सक्षम यात्रा समाधान उपलब्ध कराने पर निरंतर ध्यान देती रहेगी।
7. **कैब सेवाएं** : वर्तमान में यह सेवा दिल्ली/एनसीआर में उपलब्ध है। आईआरसीटीसी अन्य शहरों में विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके लिए ऐसी एजेन्सी से समझौता कर रहा है जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है।

घ. बोतलबंद पीने का पानी (रेलनीर)

इस समय आईआरसीटीसी के ''रेल नीर'' के 7 प्लांट चल रहे हैं जो कि दिल्ली, पटना, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, बिलासपुर और पारासल्ला में हैं, जिनमें से अमेठी और परसल्ला के रेल नीर पीपीपी योजना के तहत चल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान रेल नीर ने व्यवसाय के क्षेत्र में 159.10 करोड़ रूपए की आय हुई जबकि 2015–16 के दौरान यह राशि 133.38 करोड़ रूपए थी। इसमें विभागीय खानपान द्वारा बेचे जाने वाले रेल नीर की बिक्री से प्राप्त होने वाली 13.20 करोड़ रूपए की राशि है जो कि पिछले वर्ष 15.54 करोड़ रूपए थी।

उत्पादनः नांगलोई, दानापुर, पालूर, अम्बरनाथ, अमेठी, पारासल्ला एवं बिलासपुर स्थित संयंत्रों का कुल उत्पादन 18.70 करोड बोतल रहा, जबकि पिछले वर्ष कुल उत्पादन 15.76 करोड़ बोतल था। रेल नीर संयंत्र बिलासपुर में वाणिज्यिक उत्पादन मार्च 2017 में शुरू किया गया

वितरणः नांगलोई में उत्पादित रेलनीर को चलती हुई गाड़ियों और स्थैतिक खानपान यूनिटों, मुख्य रूप से दिल्ली क्षेत्र और अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे बोर्ड और विदेश मंत्रालय आदि में भी आपूर्ति की जाती है।

पालूर प्लांट में उत्पादित रेलनीर की बोतलों को दक्षिण भारत के दो मेट्रों शहरों अर्थात् चेन्नै और बेंगलुरू से चलने वाली गाड़ियों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा इन्हें तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेष और केरल के कुछ भागों में वितरित किया जाता है और दानापुर में उत्पादित रेलनीर को बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा में वितरित किया जाता है। अम्बरनाथ में उत्पादित रेल नीर की बोतलों को मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य के मुंबई क्षेत्र, पुणे और भुसावल के साथ–साथ गुजरात के सूरत और बड़ोदरा में वितरित किया जाता है।

अमेठी ने उत्पादित रेल नीर को मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पारासल्ला से उत्पादित रेल नीर को केरल और तमिलनाडु राज्यों मं वितरित किया जाता है।

बिलासपुर में उत्पादित रेल नीर को छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ एवं दुर्ग में, मध्य प्रदेश में जबलपुर एवं कटनी में, महाराष्ट्र के गोन्दिया, इतवारी और भण्डारा में वितरित किया जाता है।

गुणवत्ताः रेल नीर संयंत्र दानापुर, नांगलोई, पालूर और अम्बरनाथ को भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का आईएसओ9001–2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। रेल नीर अम्बरनाथ भी 22000:2015 प्रमाणित है।

रेल नीर के बोतलबंद पीने के पानी की प्रमाणित प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षण से स्पष्ट है कि रेल नीर की गुणवत्ता कीटनाशक अवशिष्टों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के मापदंडों के अनुरूप है।

तकनीकी/क्षमता उन्नयन:

नांगलोई और पालूर संयंत्रों में उत्पादन कम करने के लिए बोतलों के नैक साइज को 30 मिमी से 27 मिमी में बदला गया है।

2016–17 के लिए सभी रेल नीर संयंत्रों का निष्पादन (व्यावहारिक एवं वित्तीय) नीचे सारणी में दिखाया गया है:–

संयंत्र का नाम	बिक्री (बोतलों की संख्या करोड़ में)	बिक्री का टर्नओवर परस्पर क्षेत्र बिक्री सहित (करोड़ रू.में)
नांगलोई	4.17	36.68
दानापुर	3.15	28.12
पालूर	4.05	35.95
अम्बरनाथ	4.17	37.98
अमेठी	1.95	17.84
पारासल्ला	1.14	11.70
कुल	**18.63**	**168.27**

उत्पादन की प्रति यूनिट के लिए खपत

विवरण	बिजली (किलो वाट घंटे/100 बोतलें)	
	2016-17	**2015-16**
रेल नीर बोतलबंद पीने का पानी	5.4	5.4

भावी संभावनाएं एव कार्य योजना:

- ✓ एक अध्ययन के अनुसार, भरतीय रेलवे के नेटवर्क पर हर रोज़ पीने के पानी की लगभग 25 लाख बोतलों की प्रतिदिन आवश्यकता है जबकि, इस समय केवल 8.34 लाख बोतलें प्रतिदिन ही आईआरसीटीसी की क्षमता है, जो कि वर्ष 2017–18 में बढ़कर 9.06 लाख बोतलें प्रतिदिन हो जाएंगी, जब नागपुर का संयंत्र काम करना शुरू कर देगा तब। आईआरसीटीसी इससे भारतीय रेलवे की कुल जरूरत का 33 प्रतिशत पूरा हो पाएगा।
- ✓ पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले तीसरा प्लांट नागपुर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस संयंत्र का 2017–18 के दौरान शुरू हो जाने की संभावना है। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 72,000 लीटर प्रतिदिन की है।
- ✓ दो और संयंत्र हापुड़ एवं संक्रेल में संयंत्र वर्ष 2018–19 में शुरू हो जाने की संभावना है।
- ✓ सात और संयंत्र अहमदाबाद, भोपाल, भुसावल, जागी रोड (गुवाहटी के नजदीक), विजयवाड़ा, रांची और जबलपुर निविदा देने के स्तर पर हैं और 2019–20 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

वाटर वेन्डिंग मशीन

रेल मंत्रालय के आईआरसीटीसी को वाटर वेन्डिंग मशीनें के लिए दिशा निर्देशों में एक सस्ती दर पर रेल यात्रियों को शुद्ध ठंडा व पेयजल (5/–प्रति 1लीटर की दर से) उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि, प्लास्टिक की बोतलों की कम खपत से प्रदूषण कम किया जा सके और रोजगार उत्पन्न हो सके।

इस संबंध में, आपकी कम्पनी ने भारतीय रेलवे पर पहले ही 2500 वाटर वेन्डिंग मशीनों की स्थापना के लिए स्थान चिन्हित कर दिए है और वर्ष के दौरान 1011 वाटर वेडिंग मशीनों को लगा दिया है। लगभग 80 प्रतिशत ए–1 श्रेणी के स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों को लगा दिया है।

3. मानव संसाधन विकास

संगठन में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यकलाप को इस प्रकार डिजायन किया गया है कि कर्मचारियों की जानकारी, क्षमता, कौशल और अन्य प्रतिभाओं में सुधार करना है। आईआरसीटीसी अपनी सबसे महत्वपूर्ण परिसम्पति अर्थात् मानव संसाधन की शक्ति में पूर्णतया विश्वास रखता है। कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कम्पनी सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का पालन करके उनकी समावेशी संवृद्धि और विकास के द्वारा अपने कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करती है।

31 मार्च 2017 तक कम्पनी में कुल जनशक्ति 2124 थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
नियमित कर्मचारी	1414
प्रतिनियुक्ति	66
अनुबंध पर/जेडटीओ	14
परामर्शदाता	40
आऊटसोर्स	590

कम्पनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों, विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और प्रतिशत का नीचे उल्लेख किया है:–

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	नियमित कर्मचारियों की सं. का कुल %
महिला कर्मचारी	117	7.91
अनुसूचित जाति कर्मचारी	270	18.24
अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	73	4.93
अन्य पिछड़ा वर्ग	340	22.97
दिव्यांग कर्मचारी	05	0.34
भूतपूर्व सैनिक	शून्य	–

भारत सरकार ने समय–समय पर आरक्षण संबंधी नीतियां जारी की हैं, जिनमें विशिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आईआरसीटीसी केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर आधारित पद अनुरक्षण के ज़रिए आरक्षण नीतियों का कड़ाई से अनुपालन करती है।

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, विकलांग और पूर्व सैनिकों के आरक्षित श्रेणी में कोई भर्ती नहीं हुई सिवाय 01 (एक) भर्ती अन्य पिछड़ा वर्ग में की गई।

4. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी में औद्योगिक सद्भाव बनाए रखा गया और मानव दिवस की कोई हानि नहीं हुई। कम्पनी में सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण और प्रबंधन में भागीदारिता के द्वारा प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है।

5. कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां) नियम 2014 के नियम 5(2) के अन्तर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को, कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां) नियम 2014 के नियम 5(2) के अन्तर्गत प्रकट की जाने वाली निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

6. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और उद्यमिता संसाधन योजना (ईआरपी)

वर्ष के दौरान आईटी विभाग द्वारा एक वेब आधारित 'ओपन ईआरपी' नाम का ओपन सोर्स ईआरपी प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आईआरसीटीसी कर्मचारियों का वेतन की सफलतापूर्वक गणना होती है और वेब आधारित तकनीक के द्वारा जोनों और रिज़नों द्वारा देखी जा सकती है। लग्ज़री पर्यटन गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी में वाईफाई हॉट–स्पॉट/राऊटर/स्विच्स से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करके ऑन बोर्ड मेहमानों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही है। विभिन्न इनहाऊस विकसित सिम्स/फाइल ट्रेकिंग जैसी ऐपलिकेशन में विशेषताएं और तौर तरीकों को बढ़ाने की पहल की गई। कम्पनी ने आईआरसीटीसी पोर्टल और केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर 100 प्रतिशत टेन्डर अपलोडिंग से सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड की गई निविदाओं की संख्या में अधिक स्पष्टता आई हैं।

कम्पनी ने सफलतापूर्वक माल एवं सेवा कर जानकारी स्थानांतरण को सफलतापूर्व लागू किया जिसमें विभिन्न जोनों और रिजनों को कॉरपोरेट कार्यालय के साथ विडियों कॉन्फ्रेन्स से जोड़े गए।

7. सर्तकता

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कार्य में अनियमितता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके बल दिया गया। सीवीसी के द्वारा वर्ष के लिए सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार उन्मूलन को प्रोत्साहन देने के लिए जन भागीदारी के एक भाग में रूप में कर्मचारियों, लाइसेन्सियों और ई–टिकट एजेन्टों को संवेदनशील बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया।

सतर्कता विभाग द्वारा 10 शिकायतों की भी जांच की गई और 94 निवारक/औचक जांच की गई परिणामस्वरूप खानपान लाइसेन्सियों, ई–टिकटिंग एजेन्टों आदि से 19,63,751/– रूपए का जुर्माना वसूला गया। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई(यां) भी की गई। आईआरसीटीसी के विभिन्न विभागों द्वारा सतर्कता विभाग की सिफारिश पर 05 प्रणालीगत सुधार संबंधी कार्य निष्पादित किए गए हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन दिनांक 31 अक्तूबर 2016 से 05 नवम्बर 2016 तक किया गया प्रणालीगत सुधार के द्वारा निवारक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में अनेक कार्यक्रम/प्रतियोगिता/गोष्ठियां आयोजित की गई।

सर्तकता जागरूकता सप्ताह 2016 के दौरान, आईआरसीटीसी के सतर्कता विभाग द्वारा सीएसटी रेलवे स्टेशन, थाणे रेलवे स्टेशन, कल्याण रेलवे स्टेशन और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 05 लघु नाटकों का आयोजन किया गया जिसमें ई–टिकटिंग के लाभ, आईआरसीटीसी के प्राधिकृत ई–टिकट एजेन्टों से टिकट बुक करते समय क्या करें और क्या न करें का पालन करने का संदेश दिया गया। सप्ताह के दौरान आईआरसीटीसी के इंटरनेट टिकटिंग सेन्टर से ई–टिकट प्रयोगकर्त्ताओं को लगभग तीन करोड़ ईमेल भेजकर उन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की सूचना ई–टिकटिंग प्रक्रिया, ई–केटरिंग से भोजन बुक कराने के संबंध में क्या करें, क्या न करें ताकि धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार के मामलों की रोकथाम हो सके और सीवीसी वेबसाइट पर ई–शपथ लेना सूचित किया गया। आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग वेबसाइट पर हाईपरलिंक (http://pledge.cvc.nic.in) को 31.10.2016 से लगातार दिखाया जा रहा है।

8. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः

वर्ष 2016–2017 के दौरान कम्पनी ने सीएसआर और धारणीयता के अर्न्तगत जन स्वास्थ्य, वृद्ध और दिव्यांग जनों, सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में कई गतिविधियों के लिए पहल की गई। वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न हैः–

i. नम्माः शौचालयों का निर्माण

आईआरसीटीसी के सीएसआर पहलों के अर्न्तगत मॉड्यूलर टाईप नम्माः शौचालयों की व्यवस्था आगरा, गोरखपुर, ग्वालियर, जयपुर, और बड़ौदरा स्टेशन पर की गई। परियोजना की स्वीकृत लागत 1,25,00,000/– रूपए में से वित्त वर्ष 2016–17 में 60,65,000/– रूपए खर्च किए गए।

ii. अखिल भारतीय आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान, (एम्स) नई दिल्ली को चिकित्सा उपकरण

आईआरसीटीसी ने जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेन्टर एम्स, नई दिल्ली और डॉ. भीमराव अम्बेडकर इन्सटीट्यूट रोटरी कैन्सर हॉस्पिटल, एम्स, नई दिल्ली को चिकित्सा उपकरणों में 02 इन्टेन्सिव केयर वेन्टीलेटर, 70 व्हील चेयर और 30 पेशेन्ट ट्रॉली की आपूर्ति की है।

iii. रेलवे स्टेशनों पर पीईटी बोतल क्रशर

कांचीगुडा रेलवे स्टेशन पर 1,90,757/– मूल्य की एक पीईटी बोतल क्रशर मशीन लगाई गई।

iv. बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांग जनों के लिए रेल परिसर में गोल्फ कार्ट का परिचालन और वाटर वेन्डिंग मशीन की व्यवस्था।

आईआरसीटीसी ने रेलवे परिसर में बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन परिसरों में गोल्फ कार्ट का परिचालन की पहल की है। कम्पनी ने थाने, नगर निगम के लिए भी वाटर वेन्डिंग मशीन की व्यवस्था की है।

v. वाराणसी में टॉयलेट ब्लॉक का नवीनीकरण और गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट ब्लॉक की व्यवस्था।

यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए 10,11,174/–रूपए की लागत से वाराणसी स्टेशन पर टॉयलेट ब्लॉक का नवीनीकरण और 3,97,125/–रूपए लागत से गाजीपुर रेलवे स्टेशन में एक टॉयलेट ब्लॉक की व्यवस्था की गई।

vi. सीएसआर फंड के कुल का 33 प्रतिशत स्वच्छ भारत गतिविधियों को आबंटन।

सीपीएसई के द्वारा स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड के आबंटन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आईआरसीटीसी के द्वारा कुल सीएसआर फंड का 33 प्रतिशत फंड की राशि 1,50,00,000/–रूपए भारत सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में आबंटित किया।

vii. जरूरतमंद कैंसर मरीजों को कैंसर पेशेन्ट ऐड एसोसिएशन और स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर मरीज फंड के माध्यम से गोद लेना।

कम्पनी ने जरूरतमंद कैन्सर पेशेन्टों को गोद लेने के लिए कैन्सर पेशन्ट ऐड एसोसिएशन को 10,00,000/– रूपए और स्वास्थ्य मंत्री के कैन्सर पेशेन्ट फंड में 1,81,33,841/– रूपए का योगदान किया।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिनियम, 2005 को नागरिकों के लिए व्यावहारिक **सूचना के अधिकार** का शासन स्थापित करके लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच कर पारदर्शिता और जबावदेही का बढ़ावा देना है। सूचना के अधिकार के आवेदनों को त्वरित रूप में निपटान करने के लिए आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन को एक यूनिक पंजीकरण नम्बर (यूआरएन) देता है और इसका उत्तर संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व दिया जाता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की व्यवस्था के अनुरूप कॉरपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। जन सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं मुख्य जन सूचना अधिकारी की सूची आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016–17 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 731 आवेदन प्राप्त हुए जिनका समय पर निपटारा कर दिया गया।

10. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम 2013 (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) और उसके अन्तर्गत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की कोई घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करती है। अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए आईआरसीटीसी के कॉरपोरेट कार्यालय के साथ–साथ कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय अपेक्षित संरचना के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति(यां) का गठन किया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

11. जमा

समीक्षाधीन आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी (जमा स्वीकार करना) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के

अन्तर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया या, कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है। अतः कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(5) के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना **शून्य** है।

12. ऋण एवं दी गई गारंटियों, किए गए निवेश और दी गई प्रतिभूतियां का विवरण।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत किसी प्रकार का ऋण, निवेश या कोई गांरटी नहीं दी गई है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना **शून्य** है।

13. संबंधित पार्टियों के साथ संविदा और करार

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने, कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अन्तर्गत किसी प्रकार की संविदा/करार/लेनदेन नहीं किया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 और उप–धारा के खंड (एच) और कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म एओसी–2 में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना **शून्य** है।

14. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाई है जो आकार, स्तर और परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। आंतरिक लेखा परीक्षा कम्पनी की समग्र आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंश है। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का दायरा सुपरिभाषित है ओर इसमें कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त स्वतंत्र व्यावसायिक फर्म के द्वारा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण **अनुबंध–''क''** प्रबंधन विचार विमर्श और विशलेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

15. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने निदेशक मण्डल स्तर की एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित है और इसकी सरंचना आयोजित बैठकों और कार्यक्षेत्र का विवरण **अनुबंध–'ख'** पर कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अन्तर्गत दिया गया है।

कम्पनी में बोर्ड स्तर से नीचे की भी समिति गठित की है जिसमें समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों की एक समिति है जिसे मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सहयोग करते हैं। समिति का कार्य आईआरसीटीसी के विशिष्ट व्यवसाय संबंधी क्षेत्रों में जोखिमों का पता लगा कर कम्पनी में उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना है। समिति अपनी रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति को भी भेजती है।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति वेबसाइट www.irctc.com पर भी उपलब्ध है।

16. महत्वपूर्ण एवं सामग्रीपरक आदेश

नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा सामग्रीपरक आदेश नहीं पारित किए गए जिससे कम्पनी की वर्तमान स्थिति अथवा उसके भावी परिचालनों पर कोई प्रभाव पड़े।

17. सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों से प्रापण (एमएसएमईएस)

सूक्षम, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आपूर्ति नीति आदेश 2012 में कुल खरीद का न्यूनतम 20% खरीद एमएसएमई फर्मों तथा 40 प्रतिशत एससी/एसटी फर्मों से खरीद की जानी आवश्यक है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि आईआरसीटीसी मुख्यतः गाड़ियां और प्लेटफार्मों पर खानपान व्यवसाय करता है। आईआरसीटीसी खानपान मदों को कच्चे माल के रूप में रेल यात्रियों को बिक्री और सेवा के लिए भोजन उत्पादन हेतु खरीदता है। सूचीबद्ध 358 मदों में से कम्पनी केवल एमएसएमई फर्मों से केवल दो मदें यथा (i) कॉरगेटिड पेपर बोर्ड और बक्से और (ii) पेपर कनवर्ज़न उत्पाद खरीदता है जो कि एमएसएमई से खरीदने के लिए आरक्षित 358 मदों में आती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने वर्ष 2016–17 के दौरान एमएसई फर्मों से कुल का 17.68 प्रतिशत ही खरीद पाना संभव हुआ। 20 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाने के कारण आईआरसीटीसी का पूर्व भुगतान के साथ–साथ बाद में भुगतान के द्वारा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाओं का कार्य है और आईआरसीटीसी के लिए यह व्यावहारिक नहीं होगा कि वह ऐसे ब्रांड जिनकी यात्रियों से मांग नहीं है, को खरीदें। वेसे अधिकांश प्रसिद्ध ब्रांड जिनकी अत्याधिक मांग है, वे एमएसएमई फर्में नहीं हैं।

आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय से सार्वजनिक आपूर्ति नीति 2012 के अनुपालन में छूट के लिए आवेदन किया है। मंत्रालय से इसका प्रत्युत्तर प्रतिक्षित है।

18. ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण।

ऊर्जा संरक्षण, टेक्नॉलाजी समाहन और विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि के संबंध में विवरण कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3) (एम) के अन्तर्गत प्रकटन अपेक्षित है जो निम्न प्रकार है :

आईआरसीटीसी पर्यावरण बचाव और संरक्षण, टेक्नोलॉजी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास ओर विदेशी मुद्रा सरंक्षण के बारे में भली भांति परिचित हैं। आईआरसीटीसी अपने परिचालनों, उत्पादों एवं सेवाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभावों को न्यूनतम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहता है इसके लिए ऐसी प्रक्रिया, कार्य विधियों, सामग्रियों और उत्पादों का प्रयोग करता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, कम होता और नियंत्रित रहता है। संबंधित पर्यावरणी कानूनों का अनुपालन किया जाता है और सभी प्लांटों/यूनिटों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। आईआरसीटीसी ने पांच रेल नीर संयंत्रों अम्बरनाथ, बिलासपुर, दानापुर, नांगलोई और पालूर में 4,36,80,000/– (चार करोड़, छत्तीस लाख, अस्सी हजार रूपए केवल) की लागत से 120 केडब्ल्यूपी के ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टाप पावर प्लांट लगाएं हैं। कुल लागत में सोलर पावर प्लांटों की कीमत और सभी सोलर पावर प्लांटों की 05 वर्ष की एएमसी की लागत शामिल है।

सौलर ऊर्जा उत्पन्न होने से आईआरसीटीसी अपनी विद्युत खपत को कम कर देगा और वातावरण से कार्बन फुटप्रिन्ट की कमी में योगदान देगा। गैर पराम्परिंग ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुमानों में आईआरसीटीसी स्थापित सौलर पावर प्लांट क्षमता से प्रति वर्ष लगभग 9,00,000 किलोवाट घंटे यूनिटों की बचत करेगा। सोलर पावर प्लांट के 25 वर्षों के जीवन काल में कार्बन डाईऑक्साईड (CO2) उत्सर्जन में 17,860 टन की कमी स्थापित क्षमता से कर देगा जो कि सोलर पावर प्लांट के जीवन काल में 28,000 टीक के वृक्षों के बराबर होगा।

(क) टेक्नोलॉजी समाहन

इसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	स्तर
(क)	आयातित टेक्नोलॉजी का विवरण	शून्य
(ख)	आयात का वर्ष	लागू नहीं
(ग)	क्या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समाहित कर लिया गया है	लागू नहीं
(घ)	यदि पूरी तरह समाहित नहीं किया गया है तो वे क्षेत्र बताएं जहां समाहन नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है, और	लागू नहीं

(ख) अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च

आपकी कम्पनी की उपस्थिति इस क्षेत्र में नहीं होने के कारण विशिष्ट अनुसंधान परियोजना नहीं है। तथापि तकनीकी क्षमता में सुधार और सक्षमता में वृद्धि, कुछ उपायों और तकनीकी विकास तथा नवपरिवर्तनशील प्रणाली शुरू की गई।

(ग) विदेश मुद्रा अर्जन और व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान वास्तविक अंत प्रवाह के अन्तर्गत अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक बाह्य प्रवाह के अन्तर्गत खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:

(करोड़ रू. में)

विवरण	2016–17	2015–16
विदेशी मुद्रा अर्जन	47.51	35.23
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा पर होने वाला खर्च	0.30	0.31

19. राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय के आदेश सं. 2011/पीएल/64/3/भाग–1 दिनांक 29.04.2016 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए जिसने भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सीपीएसई को निर्देश दिए गए हैं कि वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लाभांश करोपरांत लाभ का 40 प्रतिशत दर से भुगतान किया जाएगा। तदुनुसार अन्तरिम लाभांश वर्ष 2016 में 2015–16 के अन्तर्गत लाभांश से 20 प्रतिशत अधिक होगा और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कुल लाभांश करोपरांत लाभ का न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा, इसका अनुपालन किया गया है।

20. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। कम्पनी में राजभाषा के प्रयोग को बढाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

कम्पनी ने राजभाषा के प्रयोग–प्रसार के लिए कई प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, बैठकें, विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी कई गतिविधियां की हैं। कम्पनी की ई–टिकटिंग साईट द्विभाषी है। राजभाषा में उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए कई प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं लागू है।

सितम्बर 2015 में कॉरपोरेट कार्यालय में एक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा हिंदी–प्रश्न मंच, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी निबंध और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

21. प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में इसके व्यवसाय वातावरण, परिकल्पना एवं उद्देश्य, दृष्टिकोण, क्षेत्रवार और खंडवार परिचालन निष्पादन, इसके संसाधन और प्रणाली, शक्ति, अवसर, बाध्यता, जोखिम और चिंता, रणनीति, संभावनाएं, इसके आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में कम्पनी के काम काज का परिदृश्य हैं। प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण पर एक अलग से रिपोर्ट **अनुबंध–''क''** पर दी गई है।

22. कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

कॉरपोरेट अभिशसान रिपोर्ट में कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन, 31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल और इसकी समितियों की सरंचना, उपस्थिति, निदेशकों का पारिश्रमिक, सीईओ/सीएफओ प्रमाणनपत्र और अन्य संबंधित प्रकटीकरण अनुबंध–''ख'' में दिए गए हैं। इसमें निम्नलिखित पूरक अनुपालन प्रमाण पत्र भी हैः

(i) निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में और समूह महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में का प्रमाणपत्र जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण की प्रमाणिकता के संबंध में है। **(अनुबंध ''ख–1 पर संलग्न)**

(ii) कॉरपोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रैक्टिसिंग सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित अुनपालन प्रमाणपत्र **(अनुबंध–''ख–2'')** पर संलग्न है।

23. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत् विकास पर रिपोर्ट।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत् विकास और एसडी गतिविधियों, बजट, खर्चे और मूल्यांकन प्रक्रिया आदि सहित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत् विकास की रिपोर्ट **अनुबंध–''ग''** में संलग्न है।

24. वार्षिक विवरण का सार

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अनुपालन में वार्षिक विवरण का सार निर्धारित फार्म एमजीजी–9 निदेशक रिपोर्ट में **अनुबंध–''घ''** में संलग्न है।

25 समझौता ज्ञापन

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वित्त वर्ष 2015–16 में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार कम्पनी का कार्य निष्पादन को 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया। समझौता ज्ञापन में वित्तीय और भौतिक लक्ष्य परिलक्षित होते है जिसे कम्पनी और रेल मंत्रालय के द्वारा 23 सितम्बर 2016 को हस्ताक्षरित किया गया।

26. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

आईआरसीटीसी द्वारा सर्वांगिण विकास के लिए किए जा रहे अथक प्रयास पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची में स्पष्ट झलकता हैः–

1. पर्यटन क्षेत्र में अभिनव विचारों को लागू करने के लिए न्यू इन्क लेजेन्ड पीएसयू शाइनिंग अवार्ड 2016 प्राप्त हुआ – दिनांक 19.07.2016.

2. आईआरसीटीसी को स्कोप कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन एक्सीलेन्स पुरस्कार 2016 का विशेष पुरस्कार –25.07.2016

3. आईआरसीटीसी को पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सरकारी संगठनों की श्रेणी में उपभोक्ता अनुकूल पहलों के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी का टुडे ट्रैवल पुरस्कार 2016 – 02.08.2016.

4. आईआरसीटीसी दूसरे वर्ष भी कम्पनियों की फार्च्यून नेक्स्ट 500 में रही तथा 2015 की 328 रैंक से 199 रैंक में रही – 16.08.2016.

5. आईआरसीटीसी को प्रतिष्ठित डुन एंड बैडस्ट्रीट अवार्ड पीएसयू पुरस्कार 2016 प्राप्त होने से गौरान्वित महसूस कर रही है। डुन एंड बैडस्ट्रीट अवार्ड पब्लिकेशन इंडिया टॉप पीएसयू में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, उत्पादन और सेवाओं में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन वाले पी.एस.यू. को उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करता है – 23.08.2016.

6. आईआरसीटीसी को सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं की श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय ई–कॉमर्स पोर्टल के लिए बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड गोल्डन कार्ट पुरस्कार से द लीला होटल, गुड़गांव में सम्मानित किया गया। – 27.08.2016.

7. आईआरसीटीसी का एयर फ्लाईट बुकिंग मोबाइल ऐप को यात्रा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया इसे बिजनेस इंटेलिसजेन्स ग्रुप इंक्सपेल सॉल्यूशन द्वारा स्थापित ड्राईवर ऑफ डिजीटल (डीओडी) द्वारा स्वर्ण प्रदान किया गया –29.09.2016.

8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी को ई–पहल के लिए पीएसयू नेतृत्व पुरस्कार दूसरे ई–झारखंड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रघुबरदास द्वारा प्रदान किया गया – 5.10.2016.

9. आईआरसीटीसी को विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी की योजना बनाने और सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए गर्वनेन्स नाऊ पीएसयू पुरस्कार 2016 इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली में शानदार समारोह में प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया – 15.10.2016.

10. विश्व की सर्वाधिक लग्जरी गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस आईआरसीटी के स्वामित्व में परिचालित की जाती है, को 2016 में मारबेला, स्पेन में सेवन स्टार लग्जरी, हॉस्पिटेलिटी और लाइफ स्टाइल पुरस्कार प्रदान किया गया – 16.10.2016.
11. आईआरसीटीसी का प्रसिद्ध उत्पाद रेल नीर को बोतलबंद पीने का पानी के क्षेत्र में शीर्ष बिजनेस मैनेजमेन्ट कंसलटेन्ट आईबीसी इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड पुरस्कार प्रदान किया गया – 17.10.2016.
12. आईआरसीटीसी की ''नेक्स्ट जनरेशन ई–टिकटिंग सिस्टम'' को स्कोच मोबिलिटी अवार्ड और स्कोच ऑर्डर ऑफ मैरिट से स्कोच के 46वें शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया – 19.12.2016.

27. निगरानी तंत्र की स्थापना

निगरानी तंत्र की स्थापना के संबंध में प्रकटन कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में शामिल करके **अनुबंध** –**''ख''** में है।

28. संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियां

कम्पनी का एक मात्र संयुक्त उपक्रम कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ 50:50 इक्विटी भागीदारी करके रॉयल इंडियन रेलटूर लिमिटेड (आईआरटीएम) के नाम तथा पद्धति के साथ अधिग्रहण, साज सज्जा, अनरक्षण, प्रबंधन ओर लग्ज़री गाड़ी का परिचालन करने हॉलीडे पैकेजो का विपणन के उद्देश्य से स्थापना 27 नवम्बर 2008 के और ऐसी लग्ज़री गाड़ियां का आन्तरिक हिस्सा बने।

तद्नुसार एक लग्ज़री गाड़ी जिसमें 20 कोच थो का कम्पनी के द्वारा निर्माण, साजसज्जा और फंड की व्यवस्था और महाराजा एक्सप्रेस के नाम से विपणन करने हेतु और संचालन, परिचालन और लग्ज़री पर्यटन गाड़ी को 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन हेतु रॉयल इंडिया रेल टुर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) की लीज़ पर दी गई तथापि इक्विटी भागीदारी के मध्य कुछ समस्याएं होने के कारण लग्ज़री गाड़ी की लीज़ समाप्त कर ली गई और संयुक्त उपक्रम करार दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को 12 अगस्त 2011 में समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी को इस लग्ज़री गाड़ी को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की है।

कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम करार की बहाली के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही की शुरूआत की और दावों का विवरण दायर किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मध्यता अग्रिम चरण में है।

आईआरसीटीसी ने रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्व कम्पनी लॉ बोर्ड) के कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 388 बी, 397, 398, 399 और 403 के अर्न्तगत याचिका दायर की है याचिका न्यायधीन है। संयुक्त उपक्रम का विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के नोट 37.3, 44 और 45 में दिया गया है। आरआईआरटीएल ने भी जुलाई 2013 में बिना अनुमोदन के बोर्ड और आम बैठकें नही करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति ले ली है।

29. वित्तीय विवरणों का समेकन

जैसा कि ऊपर पैरा में उल्लेख किया गया है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ बकाया विवाद के चलते वित्तीय वर्ष 2010–11 से कम्पनी के साथ बोर्ड की बैठकें और आम बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत धारा 129 (3) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के समेकन का कार्य नहीं किया जा सका जिसे 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणी के नोट 45 में स्पष्ट और प्रकटन किया जा चुका है।

30. लेखा परीक्षक

30.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2016–17 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स सर्वा एसोसिएट्स, को वित्त वर्ष 2016–17 के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षक को वर्ष 2016–17 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क लागू करों सहित तथा जेब खर्च के लिए 8.74 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

30.2 सचिवालयीन लेखा परीक्षा

बोर्ड ने, कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016–17 की सचिवालयीन लेखा परीक्षा करने के लिए, कम्पनी सचिवों की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स अखिल रोहतगी, कम्पनी सचिव को, नियुक्त किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध**–**''ड़''** के रूप में संलग्न है।

सचिविय लेखापरीक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट में आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने की टिप्पणी की हे।

सचिवीय लेखा परीक्षक के द्वारा उल्लेखित टिप्पणी का स्पष्टीकरण/उत्तर निम्न प्रकार है:

''आईआरसीटीसी एक सरकारी कम्पनी है और सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामन भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। तद्नुसार तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2017 को आदेश सं. 2008/पीएल/49/1 दिनांक 30 जनवारी 2017 के द्वारा की गई है।''

30.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखने के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट फर्म, मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट को नियुक्त किया है। इस फर्म के कार्य क्षेत्र और किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में **अनुबंध 'क'** के रूप में संलग्न है।

30.4 लागत लेखा परीक्षक

चूंकि कम्पनी व्यवसाय क्षेत्र की कम्पनी है और कम्पनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नए लागत लेखा परीक्षा के अन्तर्गत नहीं आती है। कम्पनी ने लागत लेखा परीक्षक मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्वैच्छिक आधार पर कम्पनी के रेल नीर संयंत्र द्वारा अनुरक्षित लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा कराई है।

31. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

32. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करता है:–

i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का समुचित स्पष्टीकरणों सहित अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विपथन नहीं किया गया है;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे, ताकि, उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी कार्यों की स्थिति का तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके;

iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं; और

v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उचित प्रणालियां खोज निकाली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और उनका संचालन प्रभावी ढंग से हो रहा था।

33. निदेशक और महत्वपूर्ण प्रबंकीय कर्मचारी (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और कम्पनी सचिव कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मी (केएमपी) है।

डॉ. ए. के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी की अधिवर्षिता के कारण और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार श्री एम. पी. मल्ल, निदेशक (वित्त), आईआरसीटीसी को दिनांक 01.08.2017 से सौंपने के कारण श्री अजय श्रीवास्तव, समूह महाप्रबंधक (वित्त) को कुछ समय के लिए मुख्य वित्त अधिकारी नामित किया गया है। इनकी दिनांक 21.08.2017 से नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए इन्हें कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी भी घोषित किया गया है।

पिछली वार्षिक आम सभा के पश्चात् निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:–

नियुक्तः

(i) **श्रीमती स्मिता रावत** (डीआईएन–07670758) कार्यकारी निदेशक (टीएण्डसी) रेलवे बोर्ड को दिनांक 08 दिसम्बर 2016 से निदेशक मंडल में अंशकालिक (सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया।

(ii) **डा. रबि नारायण बोहिदर** (डीआईएन–00637818) को दिनांक 31 जनवरी 2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया।

(iii) **डॉ. धीरज शर्मा** (डीआईएन–7683375) को दिनांक 31 जनवरी 2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया।

(iv) **श्रीमती कनक अग्रवाल** (डीआईएन–0074469) को दिनांक 31 जनवरी 2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक नियुक्त किया गया।

(v) **श्री अजय श्रीवास्तव, समूह महाप्रबंधक (वित्त–II)** को दिनांक 21 अगस्त 2017 से मुख्य वित्त अधिकारी नामित किया है।

पद से हटेः

(i) **श्रीमती सुनीरा बस्सी** (डीआईएन 075543378) तत्कालीन सलाहकार (यातायात एवं वाणिज्य), रेलवे बोर्ड को रेल मत्रांलय की सूचना पर अधिवर्षिता के कारण दिनांक 15 नवम्बर 2016 से निदेशक से हटी।

(ii) **श्री अरूण कुमार मनोचा** (डीआईएन 06976502), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता के कारण 31 जुलाई 2017 से हटे।

निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख को निम्नलिखित पदभार संभाल रहे थेः

क्र.सं.	विवरण	नियुक्ति का तिथि
1.	श्री महेंन्द्र प्रताप मल्ल (डीआईएन 02316235) निदेशक (वित्त) के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार सहित (01.08.2017 से)	21 जनवरी 2013 से
2.	श्रीमती अमृतबीर कौर बरार (डीआईएन 06780608) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	1 जनवरी 2014 से
3.	श्री श्रीराम वेंकटाचलम (डीआईएन 07445220) निदेशक (खानपान सेवाए)	11 मार्च 2016 से
4.	श्री प्रशांत कुमार बलसावर (डीआईएन 07189241) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	20 मई 2015 से
5.	श्रीमती स्मिता रावत (डीआईएनः 07670758) अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	08 दिसम्बर 2016 से
6.	डॉ. रबि नारायाण बोहिदर (डीआईएन 00637818) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
7.	डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन 07683375) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से
8.	श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन 00074469) अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक	31 जनवरी 2017 से

28. आभार

इस अवसर पर आपके निदेशकों के द्वारा कम्पनी के प्रभावी कार्यों और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समर्थन एवं सहयोग के लिए भारत सरकार विशेषकर रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उन सभी ग्राहकों को जिन्होंने आपकी कम्पनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए निरंतर संरक्षण दिया का भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल सम्मानीय शेयरधारकों, सभी पूर्ववर्तियों, संस्थानों, राज्य सरकारों जहां कम्पनी अपना व्यवसाय परिचालित कर रही अथवा विस्तार करने की योजना है और उन सभी एजेन्सियां जिन्होंने कम्पनी को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन में सहयोग किया है, का हार्दिक रूप से प्रशंसा और आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद करती है और निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए भी उनका आभारी है।

अंत में, निदेशक मंडल आईआरसीटीसी के कर्मचारियों द्वारा कम्पनी को उत्कृष्टता और सफलता के शिखर को प्राप्त करने के लिए किए गए कठिन परिश्रम, निष्ठा, बहुमूल्य योगदान और सतत् प्रयासों के लिए सभी की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

दिनांक 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/–
(एम. पी. मल्ल.)
निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन :02316235

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध –''क''

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1.1 आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2017 के अनुसार भरतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2018 में 6.75 और 7.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2017 में से 7 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है इसके पश्चात् यह वित्त वर्ष 2018 में से 7.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019 में से 7.8 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

भारत में सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में न केवल वर्चस्व वाला अपितु विदेशी निवेश प्रवाह को आकृषित करने, रोजगार देने, के साथ–साथ निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की पहले अग्रिम अनुमानों में सेवा क्षेत्र की 2016–17 में वृद्धि 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

1.2 उद्योग का परिदृश्य

1.2.1 खानपान

भारत में पर्याप्त भोजन उपभोक्ता आधार है जिससे भारत में कुल खुदरा बाजार में खाद्य और किराने का फुटकर बाजार का हिस्सा 60–65 प्रतिशत है।

खाद्य, पेय और किराने के सामान पर उपभोक्ता खर्च में लगातार बढ़ोत्तरी समग्र व्यापार और उपभोक्ताओं के मत में सुधार मुद्रास्फीति में कमी होने से आने वाले वर्षो में इस क्षेत्र में प्रभुत्व बना रहेगा। जनवरी 2016 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी भारतीय खाद्य रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारतीय खाद्य खुदरा बाजार विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा स्थान होकर वर्ष 2014 में 25.1 खरब रूपए के मूल्य से बढ़कर वर्ष 2017 में 35.6 खरब रूपये हो जाने ओर 2020 तक 61 खरब रूपये तक होने की उम्मीद है, छह साल की अवधि 2014–20 में 15 प्रतिशत से अधिक की एक कम्पाउंड वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) होगी, इसी तरह, भारत में भोजन सबसे बड़ा खुदरा उपभोग वर्ग होगा।

उद्योग की बढ़ोत्तरी को चलाने वाले प्रमुख पक्ष कारकों में युवा आबादी का बड़ा हिस्सा : खपत योग्य आय स्तर बढ़ानाः और उपभोक्ता जीवन शैली बदलना : जिसमें उपभोक्ता स्तर में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि शहरीकरण, ब्रांड और शैली जागरूकता, स्वास्थ्य चेतना इत्यादि हैं।

प्रमुख आपूर्ति कारक में उदारीकरण सुधार से देश में उद्योग में बढ़ोत्तरी के द्वार खुले, यात्रा और व्यंजनों की विविधता वृद्धि : देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में लगातार वृद्धि से भोजन सेवा उद्योग विशेष करके वैश्विक व्यंजनों में बड़ा उछाल आया है।

भारत की भोजन सेवा उद्योग ने पिछले दो दशकों में नए आयामों, सेवा स्तर में सुधार और कार्यनुकूल भोजन आपूर्ति श्रृंखला से महत्वपूर्ण विकास हुआ है। विदेशी के साथ–साथ घरेलू प्रदाताओं को देश में अपना आधार स्थापित करने से अवसर बढ़े हैं। इनमें से कुछ रूझान में (i) पेशकश का स्थानीयकरण से मेनू विकल्पों में स्थानीयता को बढ़ावा, नाशता मेन्यू शुरू करने, आऊटलेट्स को पारिवारिक आउटिंग का गन्तव्य स्थान के रूप में तेजी से जोड़ने आदि (ii) फ्यूजन भोजन ; (iii) स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता और भोजन के साथ संबंध, ग्राहकों को स्वस्थ खाने के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। (iv) साथ ले जाने और होम डिलीवरी और स्ट्रीट खाद्य प्रारूप का औपचारिकरण

1.2 पर्यटन

भारत में पर्यटन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन काऊन्सिल ने गणना की है कि पर्यटन से 2016 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद से 14.02 लाख करोड़ रू. (220 बिलियन यूएस डॉलर) अर्जन के अथवा 9.6 प्रतिशत का योगदान रहा और इससे 40.343 मिलियन रोजगार देन में सहयोग किया अर्थात इसके कुल रोजगार का 9.3 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र में 2027 तक वार्षिक वृद्धि 6.8 प्रतिशत से 28.49 लाख करोड़ रू. (440 बिलियन) (जीडीपी का 10 प्रतिशत) परिलक्षित होने की संभावना है।

भारत पर्यटन एवं यात्रा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 12वां स्थान ऊपर आकर 52वें में से 40वें स्थान पर पहुंच गया है और विश्व की 10वीं सबसे बड़ी यात्रा बाजार है और आगामी पाँच वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ी वृद्धि होगी।

सरकार की पहल

भारत सरकार के द्वारा भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों में से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- भारत सरकार ने वीजा की एक नई श्रेणी मेडिकल वीजा या एम वीजा, देश में चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की है। एमवीजा सेवा 16 देशों तक बढ़ाया है।
- भारत सरकार निम्न ने निम्न दो मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है जो कि गुगल प्ले–स्टोर पर उपलब्ध हैं:
- **''अतुल्य भारत ऐप''** अतुल्य भारत ऐप पर्यटन मंत्रालय की एक अभिनव परियोजना है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को सरकारी मान्यता प्राप्त पर्यटन सेवा प्रदात्ताओं से सूचनाएं प्राप्त करने से सहायता करता है।
- **''स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप:** स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप पर्यटन मंत्रालय की एक अभिनव परियोजना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित 25 विशिष्ट स्मारकों जिन्हें आदर्श स्मारक चिन्हित किया गया है, के आसपास साफ–सफाई से संबंधित मामलों में सहायता के लिए है।
- पर्यटन मंत्रालय ने आंन्ध्र प्रदेश के त्रिरूपति में भारतीय पाक संस्थान (आईसीआई) स्थापित की है जो कि अपने प्रकार का पहला है, संस्थान ने अपना अकादमिक सत्र अगस्त 2016 से शुरू कर दिया गया है।

पर्यटन व्यवसाय की भविष्य की रूप रेखा

- भारत में यात्रा और पर्यटन की मांग 2016 और 2026 के बीच 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होनी अनुमानित है और दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर होगा।
- भारत की यात्रा और पर्यटन क्षेत्र विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होने व 2026 तक 46,422,000 रोजगार की उम्मीद है। भारत के यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश 2016 और 2026 के बीच 6.3 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

1.2.3 बोतलबंद पानी

बोतलबंद पानी उद्योग निरंतर बढ़ रहा है और बाजार में कुछ ब्रांडों का वर्चस्व है। बोतलबंद पानी क्षेत्र में इसके आपूर्तिकत्ताओं के बीच बहुत ही स्पर्धा से वे अपने पैकेजिंग तरीकों से उपभोक्ताओं के बड़े आधार को आकर्षित कर के बाजार में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि, नल के पानी की खराब गुणवत्ता और बोतलबंद पानी की आसान उपलब्धता के कारण भारत में प्रतिव्यक्ति बोतलबंद पानी की खपत में वृद्धि हुई है। भारत में बोतलबंद पानी उद्योग में वित्त वर्ष 2018 में सीएजीआर 16 प्रतिशत की दर से वृद्धि और यह 20000 करोड़ रू. अनुमानित है।

बोतलबंद पीने के पानी उदारीकरण के प्रभाव

उदारीकरण से पूर्व के दौरान बोतलबंद पीन के पानी की परिकल्पना केवल पांच सितारा होटलों में अभिजात वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए मानी जाती थी। वर्ष 1990 में आर्थिक नीतियों में उदारीकरण के पश्चात् इस क्षेत्र में निवेश से बोतलबंद पीने के पानी के बाजार में उछाल आ जाने से इस क्षेत्र में क्षमता वृद्धि हुई।

भविष्य में वृद्धि अवसर

इसमें बाजार वृद्धि के कई कारक बने हैं। लगातार जनसंख्या वृद्धि से पीने के पानी की और सीवरेज उपचार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं यह अभी तक ज्यादा शहरी क्षेत्रों में है और आने वाले समय में यह मांग छोटे कस्बों और गांव तक बढ़ सकती है। सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए अपशिष्ट जल के उपचार और प्रवाह प्रबंधन के संबंध में कड़े कानून लागू किए हैं। इसके लिए केन्द्र और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मंजूरी अनिवार्य रखी गई है। अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायलय ने निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों को दिल्ली और अन्य मेट्रो से भी हटाने से भविष्य में पानी उपचार उपकरणों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। इस दौरान बहुत से वर्तमान उपचार प्लांटों को कड़े नियामक मानकों के कारण बदलने अथवा उन्नयन करने की भी आवश्यकता होगी। वृद्धि के क्षेत्र में बोतलबंद पानी के प्लांट भी भारत में बढ़ रहे हैं।

2) **एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण :–**

कम्पनी का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण निम्न है।

शक्ति(यां)

- अखिल भारतीय उपस्थिति
- एकल खिड़की पर सभी अतिथि सत्कार सेवाओं का समाधान उपलब्ध कराने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र कंपनी
- भारतीय रेल का समर्थन
- कर्मचारियों का आधार
- एशिया – पैसिफिक में सबसे विस्तृत ई–कॉमर्स प्रदाता
- प्रतिदिन सर्वाधिक देखी जाने वाली वेबसाइट
- प्रसिद्ध ब्रांड नाम
- 21 मिलियन से अधिक ग्राहकों का डाटाबेस
- विस्तृत एजेन्ट नेटवर्क

कमज़ोरियां

- रेलवे पर सर्वाधिक आश्रित
- लाभ के लिए केवल एक ही क्षेत्र पर आश्रित
- निजी क्षेत्र की तुलना में निर्णय लेने में कम स्वतंत्रता

अवसर

- अतिथि सत्कार एवं पर्यटन गतिविधियों में उच्च वृद्धि दर
- ऑनलाइन व्यवसाय में वृद्धि
- आईटी और ई–गर्वनेन्स
- प्रतिष्ठित ब्रैन्ड आईआरसीटीसी
- अन्य सरकारी निकायों के साथ संयुक्त उपक्रम
- रेलवे खानपान में कोई अन्य प्रतिष्ठित/वैश्विक भागीदार नहीं

चिंतावाले क्षेत्र

- खानपान और इंटरनेट टिकटिंग पर समय–समय पर नीति–निर्देश जारी किया जाना।
- अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र
- बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा

1. परिदृश्य

(3) परिदृश्य

आईआरसीटीसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र में एक मात्र खानपान और आतिथ्य कम्पनी है। जो कि मूल्यवर्धित उत्पादों को उपलब्ध कराने के द्वारा खानपान और आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, इंटरनेट टिकटिंग और पैकेज पेयजल (रेल नीर) के क्षेत्र और यात्रियों पर्यटकों और अन्य ग्राहकों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं उच्च स्तर की संतुष्टी के साथ प्रदान कर रही है।

रेल बजट 2016 की घोषणा के अनुसार खानपान को वापिस आईआरसीटीसी को दिया गया, रेलवे की खानपान अधिग्रहण के लिए आंतरिक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कर्मचारी प्रबंधन, निविदा दस्तावेजों को तैयार करना, उत्पादकों और सेवाओं को अलग–अलग करना, बेस किचन ग्रिड की डिजायनिंग बेस किचनों और ऑनबोर्ड सेवाओं के मध्य भोजन उत्पादन और सेवाओं को अलग–अलग करना, ऑनबोर्ड सेवाओं का उन्नयन, बेस किचन में निवेश आदि। कम्पनी ने वित्त वर्ष 18 में लगभग 16 बेस किचन / स्थाई यूनिटों की स्थापना / नवीनीकरण का लक्ष्य रखा है। ई–खानपान के माध्यम से औसतन 15,000 खाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे पर वर्तमान 278 फूड प्लाजा के अलावा कम्पनी 50 ऐसी अतिरिक्त यूनिटें लगाएंगी।

कम्पनी आगामी वर्षों में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ध्यान केन्द्रित करके मौजूदा व्यवसाय दिशा विस्तार के साथ ही नए उत्पादों जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, हैलीकॉप्टर हवाई सेवाओं, कैब सेवाएं, चिकित्सा पर्यटन और व्यक्तिगत यात्रियों के लिए इनबाऊंड के साथ–साथ आऊट बाऊंड यात्रा सेवाएं हैं।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ग्राहकों को बेहतर बुकिंग सेवा प्रदान करने के लिए इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर में सुधार, मोबाइल ऐप को शुरू करने से सभी एजेन्टों और उप एजेन्टों का आधार के माध्यम से शत–प्रतिशत सत्यापन, आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्वर स्टोरेज, बैकअप, नेटवर्क, सिक्योरिटी, एफएमएस, सॉफ्टवेयर आदि का विकास।

कम्पनी अपने रेल नीर प्लांटों में क्षमता उपयोग में सुधार की दिशा में भी कार्य कर रही है और पैकेज्ड पीने के पानी के पूरक के रूप में चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर अधिक संख्या में वाटर वैंडिंग मशीनों को लगा रही है।

4. जोखिम और चिंताएं

4.1 खानपान

कम्पनी का खानपान व्यवसाय मुख्यत रेलवे पर ही निर्भर है। 2001 ये व्यवसाय नीति में बार–बार बदलाव से यह एक अवसर से अधिक जोखिम हो गया है।एक नई खानपान नीति से रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी के बीच एक नया प्रोटोकॉल समझौता स्थापित हो जाने से काफी हद तक भारतीय रेलवे पर आतिथ्य और खानपान सेवाओं के स्तर में उन्नयन होगा।

वर्तमान में जोखिम और चिन्ताओं में निम्न शामिल है:

क) गाड़ी खानपान में वर्तमान भागीदारों के व्यवसाय में प्रवेश की बढ़ी रूकावटें

ख) भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की एफ एंड बी उद्योग के पुराने से नए भागीदारों को शामिल करने में असमर्थ स्थितियां ताकि भारतीय रेल में खानपान सेवा क्षमता को बढ़ा सके।

ग) गाड़ियों में बुनियादी ढांचों का उन्न्ययन रूका रहना, विशेषकर करके मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में पेन्ट्रीकार का प्राचीन डिजायन प्रदान किये जाने योग्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार, ये ऐसी चुनौती है जिसे शीघ्र दूर की जानी हमारा विशेषकर के ऑनबोर्ड और ऑफ बोर्ड सेवाओं को अलग–अलग किया जाना है यह विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर करेगा।

घ) ठेकों के स्ट्रक्चर का संशोधन किया जाए ताकि बोली में अत्याधिक छूट का जोखिम से मूल उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता पर बोली मापदण्ड पर बल दिया जाए।

ड़) प्रस्तावित मून्यू की दरों का पुर्नःगठन हो ताकि मूल्य ऐसे हो जो वहन योग्य अर्थात् न्यूनतम कीमत जो सेवा प्रदान कर सके।

मंत्रालय द्वारा नीतियों में की गई पहलों और आईआरसीटीसी के द्वारा सक्रिय कार्रवाई करते हुए तथा भारतीय रेलवे की फील्ड यूनिटों को सुनिश्चित करना है कि भारतीय रेलवे पर खानपान सेवाओं का वातावरण बेहतरी के लिए बना सके।

4.2 इंटरनेट टिकटिंग

भारतीय रेलवे के लिए इंटरनेट टिकटिंग सेवा कम्पनी के लिए लाभ अर्जित करने का मुख्य स्रोत हैं विशेष करके भारतीय रेल द्वारा लाइसेन्सधारी खानपान कारोबार के वापस लेने के बाद कम्पनी को गैर वातानुकूलित श्रेणी के लिए प्रति टिकट और 20 / – रू. और

वातानुकूलित श्रेणी पर प्रति टिकट 40/– रू. सेवा प्रभार सहित नाम मात्र का सेवा प्रभार प्राप्त होता है। सेवा प्रभार का राजस्व भारतीय रेलवे के साथ 50:50 के अनुपात में बांटा जाता है। ई–टिकटिंग पर सेवा प्रभार को 23.11.2016 से 31.12.2016 तक समाप्त कर दिया था जिसे पुनः 01.01.2017 से 31.03.2017 तक समाप्त कर दिया गया।

यदि इसे बहाल नहीं किया गया तो इससे कॉरपोरेशन के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे कम्पनी के टर्नओवर के साथ–साथ कर पूर्व लाभ और करोपरांत लाभ घटेगा।

कम्पनी की खानपान परिचालन से हानि को पूरा करने की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। रेलवे के राजस्व पर भी इसका प्रभाव ऑनलाइन ईटिकटिंग सेवा प्रभार से शेयर घटने और लाभांश भुगतान कम होने से असर पढ़ेगा। आईटी विभाग को लचीलापन के साथ–साथ आईआरसीटीसी द्वारा किए जा रहे नए कार्यों और कम राजस्व वाले यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों पर भी असर पड़ेगा।

4.3 पर्यटन :

पर्यटन उद्योग घरेलू के साथ –साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्याधिक प्रतिस्पर्द्धी है। आर्थिक मंदी और भारत के साथ दुनिया में राजनैतिक घटनाओं के कारण भारत में पर्यटन को प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं, नीतिओं और रेलवे द्वारा पर्यटन पैकेज के लिए लागू प्रभारों और गाड़ियों में बदलाव भी कारक हैं, जो कम्पनी के इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।

पर्यटन उद्योग में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, अनैतिक अभ्यास, उचित विपणन और आईआरसीटीसी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा, निजी प्रदात्ताओं की तुलना में कम लचिलापन भी कम्पनी के प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है जिसे कम्पनी के इस क्षेत्र में किसी भी नीति, प्रक्रियाओं और रणनीति को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.4 रेलनीरः

ऐसे ''सार्वजनिक हित'' का प्रावधान, मांग जिसकी अत्याधिक व न समाप्त होने वाली आईआरसीटीसी के लिए अपने खानपान कारोबार को पूरक के रूप में करने के लिए एक व्यावसायिक अवसर है। जिसमें निम्न जोखिम और चिंताए शामिल हैः

क) गलत निर्देशित अंत–उपयोग के कारण प्राकृतिक पानी की कमी को विशिष्ट पानी खपत में सुधार करने के लिए कुशल औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करने की आवश्यकता है।

ख) परिवहन लागतों को बचाने के लिए रेल के माध्यम से कुशल और कम लागत परिवहन उपायों की खोज करना, जिससे विपरीत प्रभाव से बाजार में अन्य ब्रांडों के मुकाबले रेल नीर गैर–प्रतिस्पर्धी हो। चयनित क्षेत्रों में ट्रेनों पर अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतियोगी किराए की मांग मंत्रालय से की जानी चाहिए।

ग) रेलवे को स्टेशनों पर जहां रेल नीर की पहुंच नहीं है वहां उपभोग के लिए शामिल ब्रांडों का क्यूसी परीक्षणों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

घ)आईआरसीटीसी द्वारा ओ एंड एम ऑपरेटर के द्वारा व्यापक आधार पर अपेक्षित मुख्य रूप से अनुबंध ढांचे के कारण वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे अत्यधिक ओ एंड एम भुगतान में वृद्धि हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए प्लांट की क्षमता में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि से व्यवसाय श्रेणियों में संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है।

5) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

आईआरसीटीसी के पास सभी कार्यात्मक और परिचालनिक क्षेत्रों में सुपरिभाषित और सुसंगठित नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। कंपनी ने प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वितीय सूचना तैयार करने सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभवी चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट के द्वारा कम्पनी के संबंधित अधिकारियों के समन्वय के साथ की जाती है।

कम्पनी ने वर्श के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 179 जिसे कम्पनी (बोर्ड बैठक और शक्तियां) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाने के अन्तर्गत मैसर्स विजय कुमार गुप्ता एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउटेंट को आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा में, वार्शिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आईआरसीटीसी के परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को, शामिल किया गया है। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वितीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों और की गई कार्रवाइयों की रिपोर्टों का एक सारांश लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और लेखा परीक्षा की सिफारिशों को विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है।

6. सत्यनिष्ठा समझौता

आईआरसीटीसी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को इस उद्देश्य से लागू किया है कि कम्पनी या सरकारी विभागों और उनके प्रदात्ताओं के साथ सभी गतिविधियां और लेन देन स्पष्ट, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सुनिश्चित हो सके सभी गतिविधिया और लेन–देन आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक पद्धतियों को स्थापित करने में मदद मिली है। सार्वजनिक खरीद/ठेकों में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी ने सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाया है। आईआरसीटीसी में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से बाहर के दो स्वतंत्र मानीटरों को नियुक्ति किया है। सत्यनिष्ठा समझौतें के लिए एक समन्वयक नियुक्त किया गया है जिसका अब उन सभी निविदाओं में प्रयोग किया जा रहा है जो कि प्रारंभिक मूल्य से अलग की पहचान करता है।

7. परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

मूल्य वर्ष 2016–17 के दौरान कुल राजस्व 152253 करोड़ रूपए से बढ़कर 159632 लाख रूपए होकर 4.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कर पूर्व लाभ 30679 लाख रूपए से 32847 लाख रूपए होकर 7.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर उपरांत लाभ 19730 लाख रूपए से 21171 लाख होकर 7.31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2016–17 के वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय मानकों का तुलनात्मक निष्पादन निम्नलिखित हैः–

(लाख रू. में)

विवरण	2016–17	2015–16
बिक्री का टर्नओवर	143262	138173
कर पूर्व लाभ ब्याज, मूल्यह्रास आपवादिक मदें और कर (ईबीआईडीटीए)	35001	32895
घटाएंः ब्याज और वित्तीय प्रभार	254	181
घटाएंः मूल्यह्रास	2241	2122
आपवादिक मदों से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	32506	30592
आपवादिक मदेंः घाटा (–)/प्राप्ति(+)	3.41	0.87
आपवादिक मदों के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	32847	30679
घटाएंः कर के लिए व्यवस्था	11676	10949
कर उपरांत लाभ (पीएटी)	21171	19730
लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में) नकद आधार पर	**282.38**	**130.65**
अंतिम लाभांश – नकद आधार पर	11295	2613
शुद्ध मूल्य	77834	70057
प्रतिशेयर आय (रू. में)	5293	4932

7.1 कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

कम्पनी के वित्त वर्ष 2015–16 की तुलना में वित्त वर्ष 2016–17 का वित्तीय निष्पादन लेखा परिक्षित विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया गया हैः–

(क) परिचालन से राजस्व

(लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
क.	**उत्पादों की बिक्री**			
	(i) रेल नीर (पीने का बोतलबंद पानी)	15,456.07	13,051.95	18.42
	(ii) विभागीय खानपान			
	–भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री	21,711.28	22,655.37	–4.17
	(iii) गैर रेलवे व्यवसाय			
	–खानपान से आय	1,574.72	2,655.06	–40.69
	–अन्य सेवाओं से आय	10.65	68.87	–84.54
	कुल – उत्पादों की बिक्री	**38,752.72 (i)**	**38,431.25(ii)**	**0.84**
ख.	**सेवा की बिक्री**			
	(i) इंटरनेट टिकटिंग			
	अर्जित सेवा प्रभार–भा. रे. की टिकटें	36,224.95	55.149.29	–34.31
	(क)	**36,224.95**	**55,149.29**	**–34.31**
	ii) लाइसेन्सी खानपान सेवा से प्राप्त आय			
	– खानपान एवं समग्र सेवा प्रदान करने से प्राप्त आय एवं – ऑन बोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाओं राजधानी/शताब्दी/ प्रीमीयम गाड़ियों से प्राप्त आय	3.604.29	2,209.09	63.16
	कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क आदि से प्राप्त आय			
	कंसेशन शुल्क से प्राप्त आय	68.65	145.97	–52.97
	लाइसेन्सी शुल्क से प्राप्त आय	8,330.22	1,714.89	385.76
	लाइसेन्सी शुल्क/उपयोगकर्त्ता प्रभारों आदि से प्राप्त आय			
	उपयोगकर्त्ता प्रभारो से प्राप्त आय–फूड प्लाजा	197.77	285.61	–30.75
	लाईसेन्स शुल्क से प्राप्त आय–फूड प्लाजा	3,617.95	2,948.99	22.68
	(ख)	**15,818.88**	**7,304.55**	**116.56**
	(iii) पर्यटन			
	– यात्रा एवं टूर आय	47,971.90	32,343.65	48.32
	–उपयोगकर्त्ता प्रभार से आय–रेल यात्री निवास	123.18	115.12	7.00
	–लाइसेन्सी शुल्क से आय–रेल यात्री निवास	194.28	196.39	–1.07
	–महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	4,050.56	4,578.71	–11.53
	(ग)	**52,339.92**	**37,233.87**	**40.57**
	कुल–सेवाओं की बिक्री (क+ख+ग)	**1,04,383.75**	**99,687.71**	**4.71**
	अन्य परिचालनिक आय			
	रद्दी की बिक्री – रेल नीर	51.84	45.70	13.44
	रद्दी की बिक्री – विभागीय खानपान	1.49	0.52	186.54
	रद्दी की बिक्री–गैर रेलवे खानपान	1.25	3.83	.67.36
	सर्वड फरॉम इंडिया योजना से ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स से प्राप्त आय	71.10	4.14	1617.39
		125.68(ii)	**54.19(iii)**	**131.92(iii)**
	परिचालन से प्राप्त राजस्व (सकल) (i+ii+iii)	**1,43,262.15**	**1,38,173.15**	**3.68**

(ख) अन्य आय (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
ब्याज आय			
– एफडीआर एवं टीडीआर से ब्याज आय (सकल)	4,439.13	4,803.63	–7.59
– अन्य ब्याज आय	28.07	69.71	–59.73
(क)	**4,467.20**	**4873.34**	**–8ण्33**
अन्य गैर–परिचालनिक आय			
– लाइसेन्सी शुल्क से आय–कॉल सेन्टर	250.00	225.00	11.11
– विज्ञापन/एसबीआई, को–ब्रैन्डिड कार्डों एवं लॉयल्टी कार्डों से आय	8,085.42	5,935.85	36.21
– आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से आय	2,078.63	1,885.15	10.26
– विविध आय	1,488.16	1,160.66	28.22
(ख)	**11,902.21**	**9,206.66**	**29.28**
कुल (क+ख)	**16,369.41**	**14,080.00**	**16.26**

(ग) व्यय (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
लाइसेन्सी खानपान सेवाओं का व्यय	8,162.44	4,992.10	63.51
पर्यटन का व्यय	41,561.19	29,869.95	39.14
उत्पादन एवं प्रत्यक्ष व्यय	25,343.97	35,482.21	–28.57
कर्मचारी हित लागतें	18,259.65	16,656.33	9.63
वित्तीय लागत	253.53	181.21	39.91
मूल्यह्रास एवं ऋण मुक्ति व्यय	2,241.37	2,122.32	5.61
अन्य व्यय	10,152.80	9,073.77	11.89

(घ) निवर्तमान/वर्तमान परिसम्पत्तियां (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
निवर्तमान परिसम्पतियां			
(क) परिसम्पतियां प्लांट औ उपस्कर	15,839.36	15,379.21	2.99
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	1,682.92	1,419.16	18.59
(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	1,261.92	1,118.39	12.83
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	0.32	0.32	0
(ii) ऋण	1,177.76	1,071.45	9.92
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	40.88	123.95	–67.02
(ड) अन्य आस्थिगित परिसम्पतियां (शुद्ध)	6,923.41	6,760.50	2.41
(च) अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तियां	1,179.42	1,760.15	–32.99
वर्तमान परिसम्पतियां			
(क) वस्तुसूचियां	658.05	826.07	–20.34
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तिया			
i. व्यवसाय प्रतिदेय	28,866.52	25,147.95	14.79
ii. नगद और नकद समकक्ष	48,611.71	19026.28	60.28
iii. उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक बैंलेस	36,684.50	42762.05	16.40
vi. अन्य	1,529.47	3.575.88	–57.23
(ग) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	683.59	811.78	–15.79
(घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	37,523.59	31,315.72	19.82
कुल	**1,82,663.41**	**1,51,098.87**	**20.89**

(ङ) निवर्तमान/वर्तमान देयताएं (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
निवर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	10,373.28	9,941.08	4.35
(ख) दीर्घकालीक व्यवस्थाएं	7,797.35	7,162.40	8.87
(ग) अन्य निवर्तमान देयताएं	833.06	807.66	3.15
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देयताएं	13,718.16	5,130.11	167.40
(ii) अन्य	35,899.41	29,737.55	20.72
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	35,535.66	25,431.56	39.73
(ग) प्रावधान	121.18	258.75	–53.17
(घ) वर्तमान कर देयताएं (षुद्ध)	551.42	2,572.60	–78.57
कुल	**1,04,829.52**	**81,041.71**	**29.35**

(च) नगदी प्रवाह (लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
परिचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकदी	33,823.81	28,824.31	17.34
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (इस्तेमाल किया)	–9356.52	–20691.81	–145.21
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	–13,594.90	–3,144.95	332.27
वर्ष के अन्त में नकदी और नकदी समतुल्य	**48,611.71**	**19026.28**	**155.49**

(छ) रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन के प्रतिमान	एमओयू 2016–17 (उत्कृष्ट रेटिंग के लिए)	2016–17 के वास्तविक आंकड़े
परिचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध) (करोड़ रू. में)	1450	1417
कर पूर्व लाभ (अन्य आय, असाधारण और आपवादिक मदों को छोड़कर) परिचालन से राजस्व प्रतिशत के रूप में (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	12.50	11.39
प्राईवेट पार्टियां (संख्या) के कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप मे स्वीकार नहीं किये गये है।	0	0
तैयार माल की वस्तु सूची में दिनों की संख्या और उत्पादों की बिक्री के कार्य प्रगति पर	6.00	3.94
व्यवसाय प्राप्तियों का परिचालन राजस्व (सकल) का प्रतिशत	17.50	20.15
लाभाश/पीएटी%	40.00	40.00
पीएटी/शुद्ध मूल्य या शेयरधारक निधि%	37.00	39.06
लाभांश/शुद्ध मूल्य%	14.80	15.62

(8) क्षेत्र–वार निष्पादन

आईआरसीटीसी के चार प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं जिनमें खानपान और अतिथि सत्कार (लाइसेन्सी खानपान, विभागीय खानपान सहित); यात्रा एवं पर्यटन; इंटरनेट टिकटिंग और बोतलबंद पीने का पानी ''रेल नीर''। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इन क्षेत्रों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख रू. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16	% में परिवर्तन
क्षेत्रवार राजस्व			
लाइसेन्सी खानपान	16163	7609	112.42
रेल नीर	15910	13338	19.28
इंटरनेट टिकटिंग	46605	63215	–26.27
पर्यटन	52735	37433	40.88
विभागीय खानपान	23498	25556	–8.05
क्षेत्रवार लाभ			
लाइसेन्सी खानपान	6690	1903	251.55
रेल नीर	2954	1630	81.23
इंटरनेट टिकटिंग	18448	26169	–29.50
पर्यटन	5621	2810	100
विभागीय खानपान	(5418)	(6649)	18.51

(9) मानव संसाधन के क्षेत्र में वास्तविक विकासः नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिक संबंध

कम्पनी में लोगों का एक व्यापक, संरचित तथा रणनीतिक प्रबंधन और कार्यस्थल का वातावरण है। मानव संसाधन प्रबंधन में भर्ती, प्रशिक्षण, प्रतिपुष्टि, मुआवजा, पुरस्कार, प्रोत्साहन, सुरक्षा, प्रशासन, प्रेरणा और निष्पादन प्रबंधन आदि गतिविधिया की जाती है। आईआरसीटीसी द्वारा निरंतर प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ मानव पूंजी को आकर्षित करने और उन्हें प्रेरित करके नियुक्त करते है।

कर्मचारियों के संबंध में विवरण का उल्लेख रिपोर्ट में कहीं और किया गया है।

(10) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

पर्यावरण बचाव एंव संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित सूचना रिपोर्ट में कहीं ओर दी गई है।

(11) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता

आईआरसीटीसी के पास कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम व सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्ग निदेशों के अनुरूप एक सुपरिभाषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास नीति मौजूद है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास (एसडी) के संबंध में एक अलग अध्याय अनुबंध **'ग'** के रूप में संलग्न है।

(12) चेतावनी परक कथन

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन है और वे लागू कानूनों और विनयमों के अंतर्गत एक प्रगतिशील कथन हैं। वास्तविक आंकड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं, जो आर्थिक परिस्थितयों, सरकारी नीतियों, और अन्य आनुषंगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(एम. पी. मल्ल.)
निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन :02316235

दिनांक 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–''ख''

कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट अभिशासन नियमों, प्रथाओं ओर प्रक्रियाएं की प्रणाली है जिसके अर्न्तगत कम्पनी का निर्देशन और नियंत्रण होता है। आईआरसीटीसी कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में हमेशा से विश्वास करता है और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 2013 तथा इसके नियमों के प्रावधानों और आईसीएसआई के द्वारा जारी सचिवीय मानकों (जहां लागू होती है) का अनुपालन करता है। आईआरसीटीसी इस समय भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यमों विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

कम्पनी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

आईआरसीटीसी का कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन, निम्न प्रकार है:–

''पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन हो, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ावा मिले''।

कम्पनी इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन के लिए करती है:–

- उत्कृष्टता और परिवर्तन लाने की उत्कृष्ट अभिलाषा;
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता;
- सभी व्यक्तियों की मान मर्यादा और उनकी सामर्थ्य का सम्मान;
- प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन करना;
- अनुक्रिया में तत्परता सुनिश्चित करना;
- सीखने, सृजनशीलता और मिलजुलकर काम करने को बढ़ावा देना;
- निष्ठावान होना और आईआरसीटीसी में होने का गौरव;

आईआरसीटीसी में कॉरपोरेट अभिशासन नियमों/विनियमों का अनुपालन मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है और सच्ची भावनाओं के द्वारा अनुपालन किया जाता है इसके लिए पारदर्शी प्रणाली/हितधारकों के हितों को बनाए रखने के लिए व्यवहार को बढ़ावा देना और विश्वास और भरोसे के वातावरण में पारदर्शिता और सूचनाओं को समय पर प्रकटन के द्वारा बनाना है।

कम्पनी के द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की स्थिति और अपेक्षित प्रकटन नीचे दिया गया है:

1. निदेशक मण्डल

अभिशासन प्रक्रिया में इसके लिए विज़न पर बल दिया जाता है अर्थात् **निरंतर उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि कायम रखते हुए विभिन्न वर्गों के यात्रा, पर्यटन और अतिथि सत्कार के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाना और इसका मिशन आईआरसीटीसी को भारतीय रेल और गैर भारतीय रेल सेवाओं को एक साथ लक्ष्य में रखकर यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराकर अतिथि सत्कार सेवाओं, यात्रा एवं पर्यटन, बोतलबंद पीने का पानी और इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्रों में अपने आप को एक अग्रणी स्थान पर स्थापित करना और ऐसा व्यवसाय कायम करना है, जो पूरी तरह दक्षता के आधार पर विकासशील होगा।**

निदेशक मंडल कम्पनी की अन्तिम निर्णय करने वाली समिति होती है जो कि नेतृत्व और दिशानिर्देश न्यायसंगत निर्णय और इसके साथ–साथ कम्पनी कम्पनी के सामरिक दिशा–निर्देशों की मॉनीटरिंग करना है। इसका उद्देश्य हितधारकों के मूल्यों को लम्बे समय तक बढ़ाना जिसमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता की पहल के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए बचनबद्धता शामिल है।

1.1 निदेशक मंडल की संख्या

आईआरसीटीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यथापरिभाषित एक ''**सरकारी कम्पनी**'' है और इसकी 100% प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रपति और उनके नामितों (रेल मंत्रालय के माध्यम से) के स्वामित्व के अन्तर्गत है।

कम्पनी के विधान अनुच्छेद के अनुसार कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। इसमें यह भी व्यवस्था है कि निदेशकों की संख्या तीन से कम और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान अनुच्छेद के संशोधन का प्रस्ताव अर्थात् निदेशकों की अधिकतम संख्या को 15 करने का नोटिस वार्षिक आम सभा में शामिल करने हेतु दिया गया हैं ताकि शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करें बशर्ते की रेल मंत्रालय इसका अनुमोदन दे सके।

1.2 निदेशक मंडल की संरचना :–

31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल में 09 निदेशक हैं जिसमें चार कार्यात्मक निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ओर एक महिला निदेशक सहित शामिल है, दो निदेशक जिसमें एक महिला निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशकों में एक महिला निदेशक सहित रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित है।

इस विषय पर कम्पनी अधिनियम 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर कार्यकारी निदेशकों का एक संतुलित संयोजन होगा जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक और निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत से कम गैर कार्यकारी निदेशक नहीं होने चाहिए।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 30 जनवरी 2017 तक नहीं करने के कारण निदेशक मंडल की संरचना कम्पनी अधिनियम 2013 और डीपीई के द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं रही। तथापि रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं. 2008/पीएल/49/1 दिनांक 31 जनवरी 2017 के द्वारा डॉ. रबि नारायण बोहीदर (डीआईएन 00637818), डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएन : 07683375) और श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन 00074469) को अंशकालिक (गैर सरकारी) स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति किया है।

वर्तमान में निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित है :–

(i) तीन कार्यकारी निदेशक जिसमें एक महिला निदेशक है। डॉ. ए.के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अधिवर्षिता के कारण श्री एम.पी.मल्ल निदेशक (वित्त) को 01.08.2017 से आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार दिया गया।

(ii). दो सरकारी नामित निदेशक जिसमें एक महिला निदेशक और

(iii) तीन स्वतंत्र निदेशक जिसमें एक महिला निदेशक है।

1.3 निदेशक की आयु और कार्यविधि :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है ये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा रेल मंत्रालय द्वारा अगले आदेश किए जाने तक नियुक्त किए जाते हैं जो भी पहले हो।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित सरकारी निदेशक नामित किए जाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर अथवा रेल मंत्रालय में अधिकारी के कार्यभार से पद मुक्त हो जाने तक रहते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा खोज समिति के माध्यम से अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव रखने वालों से नियुक्ति करती है ताकि वे कम्पनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान दे सके। इनकी निदेशक मंडल और समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के कारण निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये निदेशक मंडल द्वारा गठित विभिन्न समितियों जिनमें लेखा परीक्षा समिति, मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति और सीएसआर और एसडी समितियों के सदस्य होते हैं।

1.4 वित्त वर्ष के दौरान/बाद में नियुक्त हुए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

क. श्रीमति स्मिता रावत, अंशकालिक (सरकारी) निदेशक–डीआईएन 07670758 दिनांक 08.12.2016 से

श्रीमती स्मिता रावत, आयु 55 वर्ष, कम्पनी की अंशकालिक (सरकारी) निदेशक हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और अंग्रेजी में एम.फिल डिग्री धारी हैं। ये भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1986 बैंच की अधिकारी और इस समय रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (टीएण्डसी) के रूप में कार्यरत है। इन्हें 30 वर्ष का विभिन्न क्षेत्र जिनमें भारतीय रेलवे, क्रिस और समूह महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य क्षेत्र, आईआरसीटीसी आदि का अनुभव है और कम्पनी में 08 दिसम्बर 2016 को निदेशक नियुक्त हुई है।

ख. डॉ. रबि नारायण बोहिदर, अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक डीआईएन 07670758 दिनांक 31.01.2017 से

डॉ. रबि नारायण बोहिदर, कम्पनी में अंशकालिक (गैर–सरकारी) निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये संभलपुर यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक और आईआईटी/दिल्ली से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। ये भूतपूर्व

आईएएस अधिकारी हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित पदों, जिनमें सदस्य/अध्यक्ष, ओडिसा मानव अधिकार आयोग, कृषि उत्पादन आयुक्त/विकास आयुक्त और ओडिसा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं।

ग. डॉ. धीरज शर्मा, अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक, डीआईएन 07683375 दिनांक 31.01.2017 से

डॉ. धीरज शर्मा, कम्पनी के अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक नियुक्त किये गये है। इन्होंने यूएसए की लूजियाना, यूनिवर्सिटी से प्रमुख रूप से मार्केटिंग और फिजियोलॉजी ओर क्वान्टेटेटिव एनालिसिज़ में दोहरी डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। इन्हें 2006 में बेल स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट फैलो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये वर्तमान में आईआईएम रोहतक के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में 19 वर्ष का अनुभव है और इन्हें एकेडमिक ऑफ मार्केटिंग साइंस का ''प्रोसिडिंग एडीटर का 2010 में मार्केटिंग कॉफ्रेंस में सेकेण्ड एआईएम सेठ फाऊन्डेशन डाक्टोरल कान्सोटिरम 2014 'फैकल्टी फैलो पुरस्कार' आदि विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए है।

घ. श्रीमती कनक अग्रवाल, अंशकाालिक (गैर सरकारी) निदेशक डीआईएन 00074469 दिनांक 31.01.2017 से

श्रीमती कनक अग्रवाल, कम्पनी में अंशकाालिक (गैर सरकारी) निदेशक है। इन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और कम्पनी में 31 जनवरी 2017 से निदेशक नियुक्त हुई हैं। इन्हें सामाजिक गतिविधियों और परोपकारी में 30 वर्ष का अनुभव है।

2. कम्पनी के बोर्ड की बैठकों/समिति की बैठकों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कम्पनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में होती है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 173 के प्रावधानों, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ द्वारा जारी सचिवीय मानक के नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत बैठक के दौरान अर्थपूर्ण विचार विमर्श और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सभी सदस्यों को सामान्यतः कम से कम एक सप्ताह पूर्व अग्रिम में व्याख्यात्मक विवरणों सहित विस्तृत कार्य सूची की टिप्पणियां परिपत्रित की जाती है।

तथापि जब कभी अत्यावश्यक मामलों पर विचार–विमर्श किया जाना होता है तो सभी निदेशकों/सदस्यों की सहमति से अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जाती है अथवा किसी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में परिपत्रण द्वारा संकल्पों को पारित भी कर दिया जाता है और उनकी पुष्टि के लिए उन्हें निदेशक मंडल/समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और आपवादिक मामलों में या जहां ऐसा करना संभव न हो या मदें जब कभी कार्य सूची की मद के लिए कोई प्रलेख गोपनीय होने के कारण संलग्न करना व्यावहारिक नहीं होता तो उसे उपस्थित बोर्ड/समिति के अध्यक्ष एवं निदेशकों की अनुमति के साथ पटल पर रख दिया जाता है। प्रत्येक निदेशक मंडल और समितियों की बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मंडल/समिति को उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए परिपत्रित किया जाता है और अन्त में निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र के लिए निदेशक मंडल/समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली बैठक में संबंधित बोर्ड समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जिससे निर्णयों की प्रभावी समीक्षा में सहायता मिलती है।

2.1 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी से संबंधित पूरी सूचना होती है। बोर्ड/समिति के सदस्य ऐसे किसी भी मामले को कार्य सूची में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वंत्रत हैं जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। जब कभी आवश्यक होता है, प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक के दौरान बोर्ड/समिति द्वारा जिस विषय पर विचार विमर्श चल रहा होता है, उस संबंध में अतिरिक्त सूचना देने के लिए बुला लिया जाता है। बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना मे निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:

1. वार्षिक परिचालन परियोजनाएं तथा कोई नई सूचनाएं।
2. पूंजीगत बजट और कोई नई सूचनाएं।
3. कम्पनी के इसके परिचालनिक विभागों अथवा व्यवसाय क्षेत्रों के परिणाम।
4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
5. बोर्ड स्तर से तत्काल नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और उनकी परिलब्धियों से संबंधित जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी और कम्पनी सचिव की नियुक्तियों या उन्हें पद से हटाए जाने संबंधी सूचना शामिल हैं।

6. प्रमुख निवेश, संयुक्त उपक्रम/सहायक कम्पनियों का गठन।
7. कम्पनी को लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन की तिमाही आधार पर समीक्षा।
8. ऐसा कोई भी मामला, जिसमें बड़े आकार के सार्वजनिक अथवा उत्पाद दायिता के दावों की संभावना हो, जिनमें कोई ऐसा निर्णय अथवा आदेश शामिल हो जिसके द्वारा कम्पनी के आचरण पर रोक लगाई गई हो अथवा किसी अन्य उद्यम के संबंध मे प्रतिकूल टिप्पणी हो जिससे कम्पनी के फलितार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
9. ऐसे लेन देन जो कम्पनी की साख, ब्रैंड इक्विटी, अथवा बौद्धिक सम्पदा से जुड़े हुए हों।
10. फंड निवेश की त्रैमासिक रिपोर्ट।
11. निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
12. कम्पनी अधिनियम–2013 अथवा लागू नियमों और विनियमों अथवा डीपीई के द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देश के अन्तर्गत अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

3. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छः) बैठकों का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत दो निदेशक मंडल की बैठकों के मध्य अधिकतम समय तीन माह से कम था। 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	बोर्ड की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशक की संख्या
1.	80वीं	18 मई, 2016	6	6
2.	81वीं	17 अगस्त, 2016	6	6
3.	82वीं	16 नवम्बर, 2016	5	5
4.	83वीं	10 फरवरी, 2017	9	9
5.	84वीं	10 मार्च, 2017	9	9
6.	85वीं	30 मार्च, 2017	9	9

4. बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और 2016–17 के दौरान और पिछली वार्षिक आम सभा की बैठक और 31 मार्च 2017 को समितियों उनकी सदस्यता/अध्यक्षता

क्र. सं.	निदेशक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	पिछली आम सभा की बैठक में उपस्थिति (27.09.2016 को आयोजित)	31.03.2017 को अन्य निदेशक की आयोजित बैठक*	31.03.2017 को समितियों में सदस्यों की संख्या (आईआरसीटीसी सहित)	
						अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप में**
कार्यकारी निदेशक							
1.	**डॉ. अरूण कुमार मनोचा** (डीआईएन 06976502) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2017 तक)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** (डीआईएन 02316235) निदेशक(वित्त) (दिनांक 01.08.2017 से आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**श्रीमती अमृतबीर कौर बरार** (डीआईएन 06780608) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)

क्र. सं.	निदेशक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	पिछली आम सभा की बैठक में उपस्थिति 27.09.2016 को आयोजित	31.03.2017 को अन्य निदेशक की आयोजित बैठक	31.03.2017 को समितियों में सदस्यों की संख्या (आईआरसीटीसी सहित)	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
4.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** (डीआईएन 07445220) निदेशक (खानपान सेवाएं)	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार द्वारा नामित							
5.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड	6	6	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री रंजन प्रकाश ठाकुर** (डीआईएन 073809901) कार्यकारी निदेशक (यातायात एवं वाणिज्य), रेलवे बोर्ड (15.06.2016 से नियुक्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	**श्रीमती सुनीरा बस्सी** (डीआईएनः 07554378) सलाहकार (यातायात एवं वाणिज्य) रेलवे बोर्ड (27.06.2016 से 15.11.2016 तक)	1	1	उपस्थित	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	**श्रीमती स्मिता रावत** (डीआईएनः 07554378) कार्यकारी निदेशक (टीएण्डसी) रेलवे बोर्ड (08.12.2016 से)	3	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदंशक							
9.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** (डीआईएन 00637818) (31.01.2017 से)	3	3	लागू नहीं	i. उडिसा टूरिज़्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1 (लेखा परीक्षा समिति)	शून्य
10.	**डॉ. धीरज शर्मा** (डीआईएनः 07683375) (31.01.2017 से)	3	3	लागू नहीं	i. मिल्कफेड पंजाब ii. शैलवाई लिमिटेड	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)
11.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** (डीआईएनः 00074469) 31.01.2017 से)	3	3	शून्य	i. अविरल प्रा. लि. ii. जय श्री कॉरप. साइंस प्रा. लि. iii. रेडसन कॉरपकेयर प्रा. लि. iv. खादी हमारा मंत्र फाऊन्डेशन	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)

इनमें निजी कम्पनी, सेक्शन 8 कम्पनियां और विदेशी कम्पनियां शामिल नहीं है।

*****सीमा की गणना के उद्देश्य से केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्षता/सदस्यता ही शामिल की गई है।***

नोटः 1. निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों का कम्पनी के साथ धन संबंधी अथवा लेन देन नहीं होता है।

2. कम्पनी या कोई भी निदेशक एक साथ 20 (बीस) से अधिक कम्पनियों के निदेशक पद पर कार्यरत नहीं है। कोई भी निदेशक सभी उन कम्पनियों जिनमें निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 समितियों से अधिक का अध्यक्ष नहीं है।

3. निदेशक और सदस्यता/अध्यक्षता का आधार सम्बन्धित निदेशकों के द्वारा प्राप्त अद्यतन प्रकटन पर आधारित हैं।

5. निदेशकों द्वारा प्रकटन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के अर्न्तगत निदेशकों ने प्रकटन किया है कि वे आपस में एक–दूसरे के संबंधी नहीं है। सरकार के द्वारा नामित निदेशक रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं और वे संस्थापकों से संबंधित है। चूंकि आईआरसीटीसी की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) के स्वामित्व में है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) में अपेक्षित है कि निदेशकों का दो तिहाई का कार्यकाल रोटेशन में सेवा निवृत्ति से आम सभा मे निर्धारित की जाती है, को आम सभा में कम्पनी मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के द्वारा कम्पनी को छूट प्राप्त है।

कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अभी हाल के दिनांक 05 जुलाई 2017 की अधिसूचना में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैराग्राफ IV जिससे कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन किये जाने, को सरकारी कम्पनियों को छूट दी गई है।

6. बोर्ड की समितियां

कम्पनी के कामकाज के लिए बेहतर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्दश्यों से निदेशक मंडल ने कुछ मामलों को बोर्ड की समितियों को प्रत्यायोजित किया है। बोर्ड की उप समितियों का विवरण निम्नलिखित हैः

1. लेखा परीक्षा समिति
2. मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति
3. सीएसआर और एसडी समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. निवेश समिति
6. कार्यकारी बोर्ड समिति
7. प्रशासनिक समिति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की उपरोक्त वर्णित उप–समितियों को कम्पनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने/नियुक्ति होने से समय–समय पर पुर्नगठित किया जाता है, जैसा भी हो।

6.1 लेखा परीक्षा समिति

क. विचारार्थ विषयः

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में निम्नलिखित हैंः

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नज़र रखना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारण कर बोर्ड को सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन,
4. बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, विशेषकर, कम्पनी अधिनियम और डीपीई मार्गनिदेशों के विशेष संदर्भ में, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना।
5. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरण की समीक्षा।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य निष्पादन, रिर्पोटिंग संरचना कवरेज, आंतरिक लेखा परीक्षा की बारम्बारता की समीक्षा करना।
7. ऐसे मामलों में, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक छानबीन के निष्कर्षों की समीक्षा, जहां धोखाधड़ी का संदेह हो, या अनियमितता हो या महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विफल होना और उस विषय को बोर्ड के ध्यान में लाना।

8. व्हिसल ब्लोअर/चौकस तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की लेखा परीक्षा टिप्पणियों और सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
10. सम्बद्ध पक्षों के साथ कंपनी के किसी लेन–देन का अनुमोदन अथवा आगामी आशोधनों का अनुमोदन।
11. लेखा परीक्षा के समन्वयन प्रयासों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ समीक्षा ताकि पूरे कवरेज, अनावश्यक प्रयासों में कमी करने को सुनिश्चित किया जा सके और सभी लेखा परीक्षा स्रोतों की प्रभावी प्रयोग किया जा सके।
12. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और उसका कार्य निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पदकता की समीक्षा करना तथा उस पर नज़र रखना।
13. अन्तर कॉरर्पोरेट ऋण एंव निवेश की संवीक्षा।
14. जहां कहीं आवश्यक हो कम्पनी की परिसंम्पतियों आदि का मूल्यांकन।
15. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
16. कम्पनी अधिनियम 2013 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के मार्ग निदेशों के माध्यम से जारी किए गए कोई भी अन्य कार्य।

ख. सरंचना बैठकें, एवं उपस्थिति

31 मार्च 2017 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र. स.	सदस्य	स्थिति
1.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	**श्रीमती अमृतबीर कौर बरार** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 4(चार) बैठकें आयोजित हुई। कम्पनी अधिनियम और कॉरपोरेट अभिशासन पर डी.ई.पी. के दिशा निर्देशों के तहत वर्ष के दौरान किसी भी दो बैठकों के बीच चार माह/120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं था।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की स्वीकृत संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	39वीं	4 जुलाई, 2016	3	3
2.	40वीं	17 अगस्त, 2016	3	3
3.	41वीं	15 दिसम्बर, 2016	3	3
4.	42वीं	9 मार्च, 2017	4	4

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** सरकारी नामित निदेशक	अध्यक्ष (09.02.2017 तक)	3	3	100
2.	**श्री रंजन प्रकाश ठाकुर** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (15.06.2016 तक)	शून्य	लागू नहीं	–
3.	**श्रीमती सुनीरा बस्सी** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (29.06.2016 से 15.11.2016 तक)	2	2	100
4.	**श्रीमती स्मिता रावत** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (08.12.2016 से 09.02.2017 तक)	1	1	100
5.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य (9.02.2017 तक)	3	3	100
6.	**श्रीमती अमृतबीर कौर बरार** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100
7.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (10.02.2017 से)	1	1	100
8.	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100
9.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित होते हैं।

इन बैठकों में जब कभी आवश्यक होता है, समूह महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख, सांविधिक लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं। समिति को आवश्यक जानकारी देने के लिए जब कभी आवश्यक होता है, वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल ने स्वीकार कर लिया गया है।

6.2 मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति

क. विचारार्थ मदें

मनोनयम एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ मदें संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:

❖ डीपीई के 26 नवम्बर 2008 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर तथा दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यपालकों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों में वितरित किए जाने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और नीति से मौजूदा क्षेत्र का निर्णय करने के प्रक्रिया को जारी रखना।

❖ वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर से एक स्तर कम) और अन्य कर्मचारियों के लिए पारश्रमिक/भत्तों से संबंधित मानव संसाधन नीतियां बनाना और उन्हें बोर्ड के समक्ष संस्तुत करना।

❖ ऐसा अन्य कोई भी कार्य जो कम्पनी अधिनियम अथवा डीपीई मार्ग निदेशों में समय–समय पर शामिल किये गए हैं।

ख. सरंचना, बैठकें एवं उपस्थिति

i) सरंचना

31 मार्च 2017 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र. स.	सदस्य	स्थिति
1.	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कम्पनी सचिव समिति की सचिव है।

निदेशक (वित्त) और समूह महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थाई आमंत्रित सदस्य है।

वर्ष 2016–17 के दौरान 4 (चार) बार मनोयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित की गई। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	6वीं	18 मई, 2016	3	3
2.	7वीं	17 अगस्त, 2016	3	3
3.	8वीं	8 नवम्बर, 2016	3	3
4.	9वीं	9 मार्च, 2017	3	3

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों का विवरण और सदस्यों द्वारा उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सदस्य का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बैठक	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** सरकारी नामित निदेशक	अध्यक्ष (09.02.2017 तक)	3	3	100
2.	**श्री रंजन प्रकाश ठाकुर** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (15.06.2016 तक)	1	1	100
3.	**श्रीमती सुनीरा बस्सी** सरकारी नामित निदेशक निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (29.06.2016 से 15.11.2016 तक)	2	2	100
4.	**श्रीमती स्मिता रावत** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (08.12.2016 से 09.02.2017 तक)	शुन्य	लागू नहीं	–
5.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य (9.02.2017 तक)	3	3	100
6.	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (10.02.2017 से)	1	1	100
7.	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100
8.	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100

निदेशकों और कम्पनी के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक:

आईआरसीटीसी, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, इसमें कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यावधि और पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी के विधान के अन्तर्गत रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, कम्पनी पूर्णकालिक निदेशकों और कम्पनी के कम्पनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(रू. में)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	अनुलाभ	अन्य लाभ	निष्पादन पुरस्कार	पीएफ में अंशदान	स्टॉक विकल्प*	कुल
1.	**डॉ. अरूण कुमार मनोचा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	27,52,555	17,51,726	3,19,779	–	2,99,852	–	51,23,912
2.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** निदेशक (वित्त)	23,07,459	12,68,195	9,78,541	–	2,51,751	–	48,05,946
3.	**श्रीमती अमृतबीर कौर बरार** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	23,46,875	6,09,373	3,28,670	–	2,51,823	–	35,36,741
4.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	24,79,106	7,73,610	1,30,670	–	2,51,691	–	36,35,077
5.	**श्रीमती सुमन कालरा** कम्पनी सचिव	11,37,169	3,63,630	–	60,000	1,26,487	–	16,87,286
	कुल	**1,10,23,164**	**47,66,534**	**17,57,660**	**60,000**	**11,81,604**	**–**	**18,788,962**

कम्पनी के द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प उपलब्ध या पेशकश नहीं की गई क्योंकि कम्पनी के इक्विटी शेयर केवल भारत सरकार के पास हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों का पारिश्रमिक:

कंपनी के निदेशक मंडल में सरकार के द्वारा नामित निदेशकों को कम्पनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक

अंशकालिक (गैर–सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारश्रमिक नही दिया जाता। उन्हें केवल कम्पनी अधिनियम 2013 की निर्धारित सीमा और उसके नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड की अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए केवल 15000/– रूपए का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:

(रू. में)

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठक	
1	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	45,000	45,000	90,000
2	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	45,000	45,000	90,000
3	**श्रीमती कनक अग्रवाल** स्वतंत्र निदेशक	45,000	30,000	75,000

6.3 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास समिति (सीएसआर एवं एसडी)

क. विचारार्थ मदें

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सीपीएसई में स्थिरता हेतु डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय संक्षिप्त में निम्न हैं:

क. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति बनाना और निदेशक मंडल को सिफारिश करना जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट गतिविधियों को बताते हुए शुरू करना।

ख. कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति पर समय–समय पर नज़र रखना।

ग. अनुच्छेद 'क' में बताई गई गतिविधियों पर होने वाले खर्चों की सिफारिश करना।

घ. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की परिधि में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना।

ड. कम्पनी के द्वारा सीएसआर रणनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।

ख. सरंचना बैठक और उपस्थिति

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्र.सं.	सदस्य	समिति में स्थिति
1.	**डॉ. अरूण कुमार मनोचा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	**श्रीमती स्मिता रावत** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
4..	**डॉ. रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5..	**डॉ. धीरज शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

समूह महाप्रबंधक (इन्फ्रा) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास समिति के नोडल अधिकारी तथा समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य हैं

वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित हुई। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	11 वीं	18 मई, 2016	5	5
2.	12 वीं	17 अगस्त, 2016	5	5
3.	13 वीं	8 सितम्बर, 2016	5	5
4.	14 वीं	8 नवम्बर, 2016	5	5
5.	15 वीं	9 मार्च, 2017	5	4

समिति की आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	सदस्य का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकें	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत
1.	**डॉ. अरूण कुमार मनोचा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	5	5	100
2.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** निदेशक (वित्त)	सदस्य	5	5	100
3.	**श्रीमती अमृतबीर कौर बरार** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (09.02.2017 तक)	4	4	100
4..	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य (09.02.2017 तक)	4	4	100
5..	**श्री रंजन प्रकाश ठाकुर** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (09.02.2017 तक)	1	1	100
6.	**श्रीमती सुनीरा बस्सी** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (29.06.2016 से 15.11.2016 तक)	3	3	100
7.	**श्रीमती स्मिता रावत** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (08.12.2016 से 09.02.2017 तक)	1	0	0.00
8.	**रबि नारायण बोहिदर** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100
9.	**डॉ. धीरज शर्मा** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (10.02.2017 से)	1	1	100

6.4 शेयर होल्डिंग का स्वरूप/हितधारकों संबंध समिति/शेयर धारकों की परिवाद समिति

आईआरसीटीसी भारत में या उससे बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है चूंकि, कंपनी के एक हजार से अधिक शेयर धारक नहीं हैं और कम्पनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी–रेल मंत्रालय और उसके नामितों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 178(5) के अन्तर्गत अपेक्षित हितधारक संबंध समिति/शेयर धारक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है तथापि कम्पनी के शेयरों के प्रस्तावित सूचीबद्धता को देखते हुए हितधारक संबंध समिति का गठन किया जाएगा।

6.5 जोखिम प्रबंधन समिति

क. विचारार्थ विषयः

आईआरसीटीसी के जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कम्पनी के जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से गठन किया गया तथा लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल को पहचान, मूल्यांकन और परिचालन, रणनीति ओर बाहरी पर्यावरण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारियों पर नजर रखने में सहायता करना है

ख. सरंचना बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च 2017 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः—

क्र. स.	सदस्य	स्थिति
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
3.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य

समिति की बैठक में समूह महाप्रबधंक (वित्त–1) स्थायी आमंत्रित सदस्य है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति में सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	1	28 मार्च, 2017	3	3

सदस्यों उपस्थिति द्वारा आयोजित की गई समिति की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या		
			निदेशक कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1.	**श्री महेन्द्र प्रताप मल्ल** निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	1	1	100
2.	**श्री श्रीराम वेंकटाचलम** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य	1	1	100
3.	**श्री प्रशांत कुमार बलसावर** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	1	100

अन्य कार्यात्मक समितियां

6.6 निवेश समिति

डीपीई मार्ग निदेशों के अनुसार आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन इस प्रयोजन के लिए शक्तियों के वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष निधि को अल्पकाल के लिए निवेश के लिए निवेश संबंधी निर्णय करती है। समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), और निदेशक (खानपान) होते हैं। बैठकों का आयोजन जब कभी आवश्यक हो, किया जाता है और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

6.7 कार्यपालक बोर्ड समिति

कार्यपालक बोर्ड का गठन आईआरसीटीसी में ई–6 और उससे नीचे के कर्मचारियों की भर्ती समाहन और पदोन्नति के अवसरों के संबंध में नीति (नीतियां) तैयार करने और उसका प्रारूप बनाने और इसके अलावा यह समिति, आंतरिक विश्लेषण के लिए नए कार्यो, व्यावसायिक क्षेत्रों की वृद्धि और कम्पनी परिचालनिक निष्पादन के आंतरिक प्रयोजनों आदि पर भी विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) हैं।

कार्यपालक बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं जो 01 अप्रैल, 2016, 12 मई, 2016, 23 अगस्त, 2016 और 17 मार्च 2017 को आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव, इस समिति की सचिव हैं।

वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी कार्यपालक बोर्ड की बैठकों में यथा आवश्यक होने पर आमंत्रित किया जाता है।

6.8 प्रशासनिक समितियां

प्रशासनिक समिति का गठन करंट या एफडीआर बैंक खातों को खोलना और बंद करने के मामलों के अनुमोदन और रेल नीर परियोजनाओं के लिए कार्यात्मक पूंजी सुविधा के लिए वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क हेतु तथा आबकारी, आयकर और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण तथा कम्पनी की ओर से कागज़ातों को हस्तांतरित और निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए किया गया है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं निदेशक (खानपान सेवाएं) होते हैं।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान प्रशासनिक समिति की दिनांक 09 नवम्बर 2016 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

6.9 शेयर हस्तांतरण समिति

निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की ओर से कम्पनी सचिव को एक सदस्यीय समिति के रूप में शेयर हस्तांतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जब भी इसके लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त होंगे शेयर हस्तांतरण करेगें। रेल मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2016–17 के दौरान दो बार 19 सितम्बर 2016 एवं 24 मार्च 2017 को शेयर हस्तांतरण किए गए।

7. स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक :

रेल मंत्रालय द्वारा कम्पनी के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण कम्पनी अधिनियम 2013 की अनूसूची–IV की अपेक्षाओं के पालन और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन सं एफ नं. 16(4) 2012–जीएम दिनांक 20 जून 2013 के अनुसार केलेण्डर वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग से कोई बैठक आयोजित नहीं हो सकी। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के दिनांक 05 जुलाई 2017 को अधिसूचना में स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकों के संबंध में वर्ष में को हटाकर शब्द वित्त वर्ष कर दिया गया है।

तथापि रेल मंत्रालय पत्र सं. 2008/पीएल/49/1 दिनांक 31 जनवरी 2017 के द्वारा स्वतंत्र निदेशक डॉ. रबि नारायण बोहिदर (डीआईएन 00637818), डॉ. धीरज शर्मा (डीआईएनः 07683375) ओर श्रीमती कनक अग्रवाल (डीआईएन : 00074469) को नियुक्त किया गया। इन्होंने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अन्तर्गत अपेक्षित स्वतंत्र होने की घोषणा की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में अपेक्षित स्वतंत्रता का मापदंड पूरा किया है। स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त स्वतन्त्रता की घोषणा को प्राप्त करके निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया जिसे विधिवत नोट करके और रिकॉर्ड में रखा गया।

8. आम सभा की बैठकें

i) वार्षिक आम सभा (एजीएम)

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्न प्रकार हैः

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
15वीं	2013-14	11.09.2014	बृहस्पतिवार	1200 बजे	कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001	नहीं
16वीं	2014-15	18.09.2015	शुक्रवार	1600 बजे	कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001	नहीं
17वीं	2015-16	27.09.2016	शुक्रवार	1200 बजे	कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001	नहीं

ii) असाधारण आम सभा बैठक (ईजीएम)

वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी की असाधारण आम सभा दिनांक 30.03.2017 को आयोजित की गई जिसमें कम्पनी के शेयर धारकों ने पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर को कम्पनी के वर्तमान शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में जारी करने अर्थात् 10/–रू. के एक बोनस शेयर को प्रत्येक 10/–रू. के वर्तमान इक्विटी शेयर को वर्तमान शेयरधारकों को कम्पनी की आरक्षित सरप्लस पूंजी 20 करोड़ से भुगतान करने की सहमति प्रदान की है।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2016–17 में आयोजित असाधारण आम सभा (इजीएम) का विवरण निम्न प्रकार है:

ईजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
1ली	2016-17	30.03.2017	बृहस्पतिवार	1100 बजे	कमरा नं. 237, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001	नहीं

9. प्रकटन

I. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 में सभी अपेक्षाओं का आईसीएसआई के द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है सिवाय प्रथम तिमाही से तीसरी तिमाही में बोर्ड की संरचना और इसकी समितियों का गठन।

II. कंपनी के निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों अथवा कंपनियों और फर्मों आदि जिनमें वे प्रत्यक्ष अथवा उनके संबंधियों के माध्यम से निदेशक के रूप में और/या साझेदार के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

III. ऐसी किसी भी मद का खर्च, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं हैं, बही खातों में नहीं डाला गया है। व्यक्तिगत प्रकृति का कोई भी खर्च निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।

IV. कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों को मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड को इस संबंध में सूचना दी जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी नियमों का उचित अनुपालन हो सके।

V. कम्पनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखाकरण मानक के अनूसार वित्तय विवरण तैयार किए है। कम्पनी ने आपने वित्तिय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 जिसे कम्पनी(लेखा) नियम 2014 के पैराग्राफ के साथ पड़ा जाये के अनूसार तैयार करती है। तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए लागू भारतीय लेखाकरण मानक का पालन करते हुए लेखाकरण नीतियों मे उल्लेखित सारांश के अनूसार 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के तुलनात्मक आकड़ो के साथ तैयार किये है।

VI. पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

VII. कम्पनी आवधिक रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़ें जोखिमों के संबंध में बोर्ड को सूचित करती रहती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रबंधन विचार विमर्श ओर विश्लेषण रिपोर्ट में ''जोखिम और चिंताएं'' नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं।

VIII. निगरानी तंत्रः– कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुपालन में कम्पनी पुष्टि करती है कि व्हिसल ब्लोअर नीति के अन्तर्गत अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को गैर कानूनी या अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे देने के लिए आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अर्न्तगत निगरानी तंत्र मौजूद है। यहां अपने सभी व्यवसाय गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। कम्पनी पुष्टि करती है कि किसी भी व्यक्ति या लेखा परीक्षा समिति से मिलने से रोका नहीं गया है व व्हिसल ब्लोअर नीति कम्पनी वेबसाइट www.irctc.com पर उपलब्ध है।

IX. वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय और बढ़ने के कारण का विवरण है। वर्ष 2016–17 में कुल खर्चे की तुलना में प्रशासनिक और कार्यालयी खर्चों का प्रतिशत 7.99 रहा।

10. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेन्स मेनुअल और बोर्ड चार्टर, भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू कार्य–निष्पादन, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स, सीएसआर एवं धारणीयता नीति,

जोखिम प्रबंधन नीति, धोखाधड़ी पता करने और बचाव नीति आदि इस उदेद्श्य से आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.com पर अपलोड़ किए गए हैं और वेबसाइट से इसे डाऊनलोड किया जा सकता है। विभिन्न विभागों की निविदाएं, दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा अन्य अधिकारिक प्रेस रिलीज के साथ भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। रेल पर्यटन, खानपान सेवाएं, रेल टिकटिंग सेवाएं आदि जैसी अग्रणी सेवाप्रदाता के रूप में भूमिका निभाने के कारण आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाएं हैं।

11. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण एवं उनका मूल्यांकन

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट अभिशासन के सिद्धातों के अनुसार आईआरसीटीसी के कारोबार मॉडल, जोखिम प्रोफाइल तथा अत्यधिक उचित उपायों, जिनमें वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, के बारे में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। व्यवहार के तौर पर बोर्ड में नए निदेशक का कार्यभार संभालने पर कंपनी से संबंधित रिपोर्ट और आंतरिक नीति के दस्तावेज, ब्रॉउशर उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिनमें वार्शिक रिपोर्ट, ज्ञापन एवं अंतर्नियम, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन जिससे उन्हें कम्पनी की कार्यप्रणाली, व्यवसाय और जोखिमों के रूप रेखा से परिचित होने में मदद मिलती है।

12. निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की नीति

चूंकि आईआरसीटीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) है और कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है इसलिए कम्पनी ने निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए कोई नीति नहीं बनाई है तथापि रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है और उसे रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को भेज दिया जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(2) के अर्न्तगत अपेक्षित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की छूट सरकारी कम्पनियों के लिए कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना के अर्न्तगत दी गई है। इसके अतिरिक्ति कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जुलाई 2017 के अर्न्तगत सरकारी कम्पनियों के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की भी छूट प्रदान की है।

13. लेखा परीक्षा की शर्तें

कंपनी इस बात के लिए प्रयासरत रही है कि बिना शर्त वाली वित्तीय विवरणियां प्रयोग में लाई जाना सुनिश्चित करे और इससे यह सांविधिक लेख परीक्षक से बिना शर्त वाली रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल रही है।

14. शेयरधारियों के लिए सामान्य सूचना

(क) चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 20 सितम्बर 2017

समय : 1100 बजे

स्थान : समिति कक्ष, दूसरा तल, रेल भवन, नई दिल्ली–110001

(ख) शेयर होल्डिंग का प्रतिशत

श्रेणी	लिए गए शेयरों की संख्या	लिए गए शेयरों का प्रतिशत
केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) भारत के राष्ट्रपति और इसके नामितों	4,00,00,000	100
कुल	**4,00,00,000**	**100**

(ग) संयंत्रों के स्थान/परिचालन इकाइयां

रेलनीर संयंत्र और विभिन्न राज्यों में स्थित जोनल कार्यालयों की सूची कंपनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार का पता (इस रिपोर्ट में शामिल कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित मामलों के संबंध में)

कंपनी सचिव, आईआरसीटीसी
11वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाऊस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001
टेलीफोन नं. : 91–11–23327746
ई–मेल का पता companysecretary@irctc.com; Website:www.irctc.com

15. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) ने बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष विशिष्ट विषयों को प्रमाणित किया है और उक्त मार्गनिदेशों के अनुसार मुख्य वित्त अधिकारी, श्री एम. पी. मल्ल, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एल ए) तथा श्री अजय श्रीवास्तव मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा विधिवत रूप हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 21 अगस्त 2017 को को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की 44वीं बैठक में और तत्पश्चात् उसी दिन निदेशक मंडल की 88वीं बैठक में, प्रस्तुत किया गया था। लेखा समीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **अनुबंध – ''ख–1''** में संलग्न है।

16. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा।

मैं, एम. पी. मल्ल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिए एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने पुष्टि की है कि उन्होंने 2016–17 के दौरान आचरण संहिता और कंपनी के प्रमुख मूल्यों का अनुपालन किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता / –
(एम. पी. मल्ल.)
निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन :02316235

दिनांक 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

17. निगम अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा रेटिंग :–

आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूपों में रेल मंत्रालय और डीपीई को सार्वजनिक उद्यम विभाग और केन्दीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन मार्गनिदेश 2010 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गई थी।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने कॉरपोरेट अभिशासन की कोटि में आईआरसीटीसी को वर्ष 2015–16 में **''उत्कृष्ट''** की श्रेणी में रखा है।

18. कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित कम्पनी के द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र मैसर्स बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स प्रैक्टसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया है, को इस रिपोर्ट के **अनुबंध–''ख–2''** के रूप में संलग्न किया गया है।

19. सचिवीय लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और इसके बाद के नियमों के अन्तर्गत मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कम्पनी प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2016–17 की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षा पर टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध–''**ङ**'' के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता / –
(एम. पी. मल्ल.)
निदेशक (वित्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन :02316235

दिनांक 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–"ख–1"

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मंडल,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

i. मैने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोशन लि. के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह की समीक्षा की है और अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं किः

(क) इन विवरणों में कोई वास्तविक असत्य विवरण शामिल नही है या न ही किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया गया है या दिग्भ्रमित किए जाने वाले विवरण निहित हैं;

(ख) इन विवरणों में कपंनी मामलों का सही एवं निष्पक्ष परिदृश्य एक साथ प्रस्तुत किया गया है और ये प्रचलित लेखांकन मानकों, लागू नियमों एवं विनियिमों के अनुरूप हैं।

ii. मेरी जानकरी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी, किसी धोखाधड़ी वाले लेन–देन, गैर कानूनी या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन वाली गतिविधियों में, शामिल नहीं रही है।

iii. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कपंनी के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्याकंन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आन्तरिक नियंत्रण की संकल्पना और संचालन संबंधी कमियों, यदि कोई हों, जो हमारी जानकारी में हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों, से अवगत करा दिया है।

iv. हमने लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है किः–

क. वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

ख. वर्ष 2016–17 के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

ग. ऐसी किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना की जानकारी हम लोगों को नहीं है और न ही कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी प्रबंधन या कर्मचारी की कोई संलिप्तता है।

हस्ता. / –
(एम.पी.मल्ल)
निदेशक (वित्त) और
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
डीआईएनः 02316235
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 21.08.2017

हस्ता. / –
(अजय श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त अधिकारी

अनुबंध ख–''2''

बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकेट ए/3, सेक्टर–7,
रोहिणी, नई दिल्ली–110085
फोन : 011–27931217
मोबाइल : 9811387946
ई–मेल : balikasharma@gmail.com

कॉरपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,
11वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाऊस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001
सीआईएन यू74899डीएल1999जीओआई101707

हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों में के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप कंपनी ने, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

तथापि वित्त वर्ष 2016–17 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक कम्पनी में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के न होने से कम्पनी अधिनियम 2013 एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई–2010 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी लागू सांविधिक बोर्ड स्तर की समिति की संरचना नहीं थी।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की अर्थक्षमता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या कार्यकुशलता का प्रमाण है।

कृते बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/–
बालिका शर्मा
(कम्पनी सचिव)
सदस्यता नं. 4816
सीपी. सं. 3222
एम. सं. 4816
सेवाकर सं. एएमएपीएस 9564 केएसटी 001

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2017

निदेशकों की रिपोर्ट – अनुबंध – ''ग''

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता के संबंध में रिपोर्ट

1. **कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का संक्षिप्त वर्णन जिसमें षुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों की रूप रेखा का वर्णन और सीएसआर नीति और परियोजना अथवा कार्यक्रमों के वेबलिंक का संदर्भ शामिल है।**

कम्पनी अपनी सीएसआर एवं धारणीयता नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति को प्राप्त करने का प्रयास करती हैः

''रेलयात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समाज के अन्य वर्गों आदि जैसे सभी हित धारकों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के लिए एक जिम्मेदार कॉरपोरेट कंपनी बने रहने के लिए प्रयासरत रहना है।''

कम्पनी की सीएसआर और धारणीयता कार्यक्रम में कम्पनी अधिनियम 2013की अनुसूची VII और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अन्य गतिविधियों समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए होती है। कम्पनी राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची में सबसे अधिक महत्व के कार्य अर्थात् स्वास्थ्य और साफ–सफाई, शिक्षा, पीने का पानी, सक्षमता बढ़ाना, महिला सःशक्तिकरण, शारीरिक रूप से असमक्ष व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और पर्यावरण धारणीयता की गतिविधियों में योगदान देने को प्राथमिकता देती है।

कम्पनी सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं को कम्पनी के व्यावसायिक प्रक्रिया और परिचालन के आस–पास के क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय की भलाई के कार्यक्रमों को समग्ररूप से करती है। और आम लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक रूप से सबल करने व समाज के कमजोर वर्ग के तबकों के लिए विकास पर बल देने के लिए सभी कदम उठा रही है।

आईआरसीटीसी हितधारकों के प्रति अपने कॉरपोरेट मिशन, दृष्टिकोण और संगठन के द्वारा अपनाई गई नीतियों के द्वारा बचनबद्धता सुनिश्चित करती है। सीएसआर और धारणीयता संबंधी गतिविधिया इसकी नीति में उल्लिखित व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतू कार्यान्वित की जाती है अर्थात् संगठन में सभी स्तरों पर पूरी वचनबद्धता को सुनिश्चित करना, व्यवसाय किफायती रूप से करना, दीर्घ कालीन तरीकों और कॉरपोरेट सामाजिक दायित पहलकदमियों से आईआरसीटीसी के लिए समाज के मन में साख उत्पन्न करना और एक कॉरपोरेट इकाई के रूप में उनकी सकारात्मक और सामाजिक दृष्टि से आईआरसीटीसी की जिम्मेदार छवि का निर्माण करने में सहायता करना आदि है।

आपकी कंपनी सामाजिक आर्थिक अथवा पर्यावरण संबंधी क्षमताओं को अधिकाधिक बढाने के लिए अन्य सीपीएसई कम्पनियों के साथ संसाधनों के इष्टतम उपयोग, विषेषज्ञता के तालमेल के लिए बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन और उनकी मानीटरिंग करने के लिए सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहती है।

सीएसआर नीति का वेब लिंक :

कंपनी की सीएसआर नीति वेबसाइट पर लिंक

link:http://www.irctc.com/DownloadDocumets?workflow=getFile&doc_cat_id=5doc_id=2251&get_filename=IRCTC_CSR_n_SD_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

2. **आईआरसीटीसी की सीएसआर एवं एसडी समितियांः**

निदेशक मंडल स्तर की सीएसआर और धारणीयता समिति गतिविधियों पर होने वाले खर्च की राशि के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को सिफारिश करने तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता की नीति की समय–समय पर निगरानी करनी है।

31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल स्तर पर गठित सीएसआर और धारणीयता विकास का गठन निम्नप्रकार हैः–

डॉ. ए.के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी	:	अध्यक्ष
श्री एम.पी. मल्ल, निदेशक (वित्त)/आईआरसीटीसी	:	सदस्य
श्रीमती स्मिता रावत, कार्यकारी निदेशक (यातायाता एवं वाणिज्य), रेलवे बोर्ड एवं अंशकालिक (सरकारी) निदेशक	:	सदस्य
डॉ. रबी नारायण बोहिदर, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
डॉ. धीरज शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य

स्तर–II समिति जो कि बोर्ड से नीचे के स्तर की है इस समिति में तीन सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में आईआरसीटीसी के नोडल अधिकारी सहित दूसरा सदस्य, शुरू की जाने वाली परियोजना की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग का प्रतिनिधि तथा तीसरा एक सदस्य वित्त विभाग से होता है।

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभः

उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पनी की सीएसआर एवं धारणीयता नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर के बजट की गणना करने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रु. में)	औसत शुद्ध लाभ (लाख रु. में)
1	2013-14	12724	21738
2	2014-15	21623	
3	2015-16	30866	

4. निर्धारित सीएसआर खर्च (ऊपर क्रम सं. 3 पर दर्ज राशि का 2 प्रतिशत)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ 2 प्रतिशत अर्थात् 434.76 लाख रू.।

5. वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर की मद में खर्च की गई राशि का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि — 434.76 लाख रू. *

*434.76 लाख रू. (वित्त 2016–17 में सीएसआर का वार्षिक बजट) के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 24.73 लाख रू. सीएसआर ट्रस्ट के पास था जो विधिवत भंग हुआ था, को भी खर्च किया गया। इससे सीएसआर के अन्तर्गत कुल खर्च 459.49 लाख रू. हुआ।

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो — कोई नहीं

(ग) वित्त वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई उसका विवरण निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार परिव्यय (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2016–17 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2016–17 के दौरान खर्चा (लाख रू. में)	31.03.017 तक संचयी खर्च (लाख रू. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे।	कुल (लाख रू.में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रू.में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख रू.में)			
1.	नम्माः शौचालय का निर्माण (08)	स्वच्छता	जयपुर (01) गोरखपुर (02) ग्वालियर (01) आगरा (02) वड़ोदरा (01) थाने (01)	125.00	60.65	-	60.65	60.65	प्रत्यक्ष
2.	एम्स के लिए चिकित्सा उपकरण –व्हील चेयर फोल्डेबल –35 नॉन फोल्डेबल –35 मरीज ट्रॉली –30 आईसीयू वेन्टीलेटर–02	स्वास्थ्य देखभाल	नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	36.01	36.01	--	36.01	36.01	प्रत्यक्ष
3.	काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर पीईटी बोतल क्रशर	स्वच्छता	काचीगुडा रेलवे स्टेशन, हैदराबाद मंडल के अधीन	1.91	1.91	--	1.91	1.91	प्रत्यक्ष

क्र. सं.	चिन्हित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके अन्तर्गत परियोजना आती है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार परिव्यय (बजट) की राशि	परियोजना या कार्यक्रम पर वर्ष 2016–17 के दौरान खर्च की गई राशि		वर्ष 2016–17 के दौरान खर्चा (लाख रू. में)	31.03.017 तक संचयी खर्च (लाख रू. में)	प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा खर्च की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम शुरू किए गए थे।	कुल (लाख रू.में)	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रू.में)	(2) ऊपरि खर्च (लाख रू.में)			
4.	गोल्फ कार्ट संचालन अनुरक्षण पर खर्च	स्वच्छता एवं पर्यावरण	अखिल भारतीय स्तर पर	3.10	3.10	--	3.10	3.10	प्रत्यक्ष
5.	पश्चिम क्षेत्र में वाटर वेन्डिंग मशीन लगाना	पश्चिम क्षेत्र मुम्बई	मुम्बई	2.25	2.25	--	2.25	2.25	प्रत्यक्ष
6.	शौचालयों का नवीनीकरण	स्वच्छता	वाराणसी और गाजीपुर रेलवे स्टेशन	14.08	14.08	--	14.08	14.08	प्रत्यक्ष
7.	सीएसआर परियोजना के लिए विशेषज्ञ मत के लिए खर्च	सामाजिक अधिकारिता	अखिल भारतीय स्तर पर	0.15	0.15	--	0.15	0.15	प्रत्यक्ष
8.	कैंसर मरीज ऐड एसोसिएशन (सीपीए) के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को गोद लेना।	स्वास्थ्य देखभाल	मुम्बई	10.00	10.00	--	10.00	10.00	कैंसर मरीज एसोसिएशन (सीपीए)
9.	एचएमसीपीएफ (स्वास्थ्य मंत्री कैंसर मरीज फंड) के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को गोद लेना।	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल भारतीय स्तर पर	156.61 24.73	181.34	--	181.34	181.34	स्वास्थ्य मंत्री कैंसर मरीज फंड
10.	सीएसआर फंड का कुल 33 प्रतिशत स्वच्छ भारत कोष में आबंटन	स्वच्छता एवं पर्यावरण	अखिल भारतीय स्तर पर	150.00	150.00	--	150.00	150.00	स्वच्छ भारत कोष
		योग		**523.83**	**459.49**	**--**	**459.49**	**459.49**	**--**

6. **यदि कम्पनी ने पिछले तीन वर्ष या उसके किसी अंश के दौरान शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि का खर्च नहीं किया तो कम्पनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसा न करने के कारण बताएगीः–**

31.03.2017 तक आबंटित बजट पूरी तरह से खर्च कर दिया गया है।

7. **दायित्व घोषणा**

कम्पनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग कम्पनी के सीएसआर एवं एसडी नीति का अनुपालन कम्पनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(एम. पी. मल्ल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और (एल/ए) एवं (अध्यक्ष)
(सीएसआर एवं एसडी समिति के)
डीआईएनः 02316235

दिनांक : 21.08,2017
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/–
(डी.जी. प्रसाद)
समूह महाप्रबंधक (इन्फ्रा)
नोडल अधिकारी,
आईआरसीटीसी,
सीएसआर गतिविधियां

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध – ''घ''

फॉर्म सं. एमजीटी –9

वार्षिक विवरण सार

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसर

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

सीआईअन	**U74899DL1999GOI101707**
पंजीकरण की तारीख	**27 सितम्बर 1999**
कम्पनी का नाम	**इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड**
कम्पनी की कोटि/उपकोटि	**कम्पनी शेयरों द्वारा लिमिटेड/सरकारी कम्पनी**
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क का विवरण	**11वां तल, बी–148, स्टेट्स्मैन हाऊस, बाराखंभा, नई दिल्ली–110001, टेलि. नं. 011–23311263–64 फैक्स. नं. 011–233311259 ईमेल : companysecretary@irctc.com**
क्या कम्पनी सूचीबद्ध है अथवा नहीं	**जी नहीं**
पंजीकार और अन्तरण एजेन्ट, यदि को हो, का नाम पता और सम्पर्क विवरण	**लागू नहीं**

II. कम्पनी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां :

कम्पनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दर्शायी गई है:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादन/सेवाओं का नाम एवं उनका विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	इंटरनेट टिकटिंग	–	25.34%
2	खानपान एवं अतिथ्य सत्कार	–	27.30%
3	यात्रा एवं पर्यटन	–	36.53%
4	रेल नीर	–	10.83%

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट कम्पनी के विवरण :

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग, सहायक/एसोसिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू होने वाली धारा
1	रॉयल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड भूतल, एसटीसी, बिल्डिंग, (जवाहर व्यापार भवन), 1– टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001	U60100DL2008 PLC185285	एसोसिएट	50%	कम्पनी अधिनियम 2013 का 2(6)

***इक्विटी साझेदारी के बीच विवाद के कारण आईआरसीटीसी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ करार 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया था और कम्पनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के अन्तर्गत कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई तथा मामला कोर्ट में न्यायधीन हैं आगे आईआरसीटीसी ने कम्पनी लॉ बोर्ड से बिना सीएलबी के अनुमोदन से बोर्ड और आम बैठक आयोजित नहीं करने के लिए जुलाई, 2013 में अनुमति प्राप्त कर ली है।**

IV. शेयर होल्डिंग का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

i) कोटिवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की कोटियां	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2016 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/हिन्दू अविभाजित परिवार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केन्द्रीय सरकार	0	2,00,00,000	2,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
ग) राज्य सरकार(रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप+जोड़ (क) (1):–	0	2,00,00,000	2,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
(2) विदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क) विदेषों में रहने वाले भारतीय–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य–व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/वितीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–जोड़ (क) (2);–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रोमोटरों की कुल शेयर होल्डिंग (क)=(क)(1)+(क)(2)	0	2,00,00,000	2,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्युचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड़) वेन्चर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफआईआईज़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) फॉरन वेन्चर कैपिटल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप जोड़ (ख)(1):–	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2. गैर सांस्थानिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) निकाय/निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) इंडियन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) ओवरसीज़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) 1 लाख रूपए तक की नाम मात्र शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) 1 लाख रूपए से अधिक की नाम मात्र की शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (विषिष्ट रूप उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप जोड़ (ख) (2):–	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)त्र(ख)(1)+(ख) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ग. जीडीआर्स और एडीआर्स के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सकल जोड़ (क+ख+ग)	0	2,00,00,000	2,00,00,000	100%	0	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	0.00

ii. प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग (01.04.2016 की स्थिति के अनुसार)			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत/कुल शेयरों का भारित	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत/कुल शेयरों का भारित	
1	भारत के राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा नामित*	2,00,00,000	100%	0.00	4,00,00,000	100%	0.00	0.00.
	कुल	**2,00,00,000**	**100%**	**0.00**	**4,00,00,000**	**100%**	**0.00**	**0.00.**

iii. प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि इसमें कोई परिवर्तन नही ंतो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	2,00,00,000	100%	2,00,00,000	100%
2.	दिनांक : 30.03.2017 वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता वृद्धि। वृद्धि के कारणः बोनस शेयर जारी होना (1:1)	2,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%
3.	वर्ष के अंत में	4,00,00,000	100%	4,00,00,000	100%

iv. पहले 10 शेयरहोल्डरों की शेयरहोल्डिंग का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

v. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी के कारणों को बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि):	0	0.00	0	0.00
3.	वर्ष के अंत में	0	0.00	0	0.00

V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की, बकाया ब्याज/प्रोदभूत, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित, ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष (01.04.2016) के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन की राषि				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि		**शून्य**		
कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष (31.03.2017) के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मूलधन की राषि				
ii) देय ब्याज परंतु अदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		पूर्ण कालिक निदेशक				
		डॉ. ए.के. मनोचा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री एम.पी. मल्ल निदेशक (वित्त)	श्रीमती ए.के. बरार निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	श्री वी. श्रीराम निदेशक (खानपान सेवाएं)	
1.	कुल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अर्न्तनिहीत उपबंधों के अनुसार वेतन	30,52,407	25,59,210	25,98,698	27,30,797	**10,941,112**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत पर अनुलाभ की राषि	17,51,726	12,68,195	6,09,373	7,73,610	**44,02,904**
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–	**–**
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	**–**
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–	**–**
4.	कमीषन– लाभ के % के रूप– अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–	**–**
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	6,79,322	–	–	**6,79,322**
	2. मनोरंजन खर्च	33,500	12,134	77,805	–	**1,23,439**
	3. विद्युत खर्च	66,800	47,610	–	10,670	**1,25,080**
	4. टीएडीके	2,19,479	2,39,475	2,50,865	1,20,000	**8,29,819**
	कुल जोड़ (क)	**51,23,912**	**48,05,946**	**35,36,741**	**36,35,077**	**1,71,01,676**
	अधिनियम के अनुसार सीमा*	**लागू नहीं**				

*कम्पनी कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 से छूट प्राप्त है।

ख. अन्य निदेशकों पारिश्रमिक

(रू. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	श्री रवि नारायण बोहिदर (31.01.2017 से नियुक्ति)	डॉ. धीरज शर्मा (31.01.2017 से नियुक्ति)	श्रीमती कनक अग्रवाल (31.01.2017 से नियुक्ति)		
	क) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	90,000	90,000	75,000		**2,55,000**
	ख) कमीषन	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	ग) अन्य कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	कुल (1)	**90,000**	**90,000**	**75,000**		**2,55,000**
2.	**गैर–कार्यकारी निदेशक**	श्री बी. प्रशांत कुमार	श्री रंजन प्रकाश ठाकुर (18.06.2016 से निदेशक पद से हटे)	सुश्री सुनीरा बस्सी (15.11.2016 से निदेशक पद से हटे)	सुश्री स्मिता रावत (08.12.2016 से निदेशक पद पर नियुक्त हुए)	
	क) बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख)त्र (1+2)	90,000	90,000	75,000		2,55,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**लागू नहीं**				
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा*	**लागू नहीं**				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि (रू. में)
		मु.का.अ. @	सुश्री सुमन कालरा कम्पनी सचिव	मु.वि.अ. *	
1.	कुल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अर्न्तनिहीत उपबंधों के अनुसार वेतन	–	13,23,656	–	13,23,656
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलाभ की राशि	–	3,63,630	–	3,63,630
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–
	कुल	**–**	**16,87,286**	**–**	**16,87,286**

@ सीएमडी आईआरसीटीसी को मु. का. अ. माना जाता है।

*निदेशक वित्त को मु.वि.अ. के रूप में घोषित किया गया है।

vii. जुर्माना / सजा / समाधान

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड / सजा / समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कम्पनी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ख. निदेशक					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
दण्ड	कोई नहीं				
सजा					
समाधान					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता. / –
(एम. पी. मल्ल)
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएन : 02316235

दिनांक : 21.08,2017
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट अनुबंध – ''ङ''

अखिल रोहतगी
एम.कॉम, एल.एल.बी., एफ.सी.एस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054,
फोन 011–23926504, 9810690633
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

फार्म नं. एमआर–3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कम्पनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,
11वां तल, स्टेट्स्मैन हाऊस,
बी–148, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (जिसे एतद्पश्चात कम्पनी के रूप में जाना जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट कार्यविधियों का पालन करने के संबंध में कॉरपोरेशन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट के आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर मेरे द्वारा अपना मत व्यक्त किए जाने के लिए यथोचित आधार प्राप्त हो।

हमारे द्वारा कम्पनी की किताबों, काग़जात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड का सत्यापन करने तथा सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेन्टों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान नीचे दी गई सांविधिक व्यवस्थाओं का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में एतद्पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्ययधीन यथोचित व्यापक आधार वाली प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र की व्यवस्था है:

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अनुसार इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रखी गई किताबों, काग़जात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए फॉर्म और विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;

(ii) सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रक्ट्स (रेग्यूलेशन्स) एक्ट 1999 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम इस पर लागू नहीं होंगे क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए लेनदेन के उक्त अधिनियम के कोई उपबंध/विनियम/नियम लागू नहीं होते इसमें कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक कर्ज शामिल नहीं था।

(iv) डिपॉज़िटरीज़ एक्ट 1996 उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर में उक्त अधिनियम में उल्लिखित किसी भी डिपोज़िटरी में पंजीकृत नहीं है।

(v) सिक्योरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित विनियम और मार्ग निदेश लागू नहीं होते क्योंकि इस कम्पनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं है।

(vi) अन्य लागू नियम, नियम और मार्गनिदेश नीचे उल्लिखित हैं:

क. ''सार्वजनिक उद्यम विभाग'', भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के मार्गनिदेश।

ख. खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके नियम और विनियम।

ग. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ड़. शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट

च. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

छ. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

ज. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

झ. कार्यस्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण अधिनियम 2013

ञ. यथा लागू पर्यावरण नियम

ट. यथा लागू श्रम कानून

हमने 01 जुलाई 2015 से प्रभावी आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों को लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमें दी गई व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार कम्पनी ने ऊपर उल्लित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्ग निदेशों की व्यवस्थाओं का पालन किया है तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी तीनों स्वतंत्र निदेशक दिनांक 31.01.2017 को नियुक्त किए गए।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड, कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के यथोचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बोर्ड में सभी तीनों स्वतंत्र निदेशक 31.01.2017 को नियुक्त किए गए हैं। आलोच्य अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुपालन में किया गया था।

सभी निदेशकों को बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय रहते सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थी। इसके अलावा, बैठक के आयोजन और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची की मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बैठकों में अधिकांश निर्णय पूर्ण बहुमत से लिए गए हैं। प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि बोर्ड में विचारविमर्श के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कार्यसूची की किसी भी मद पर किसी भी सदस्य द्वारा विरोध नहीं जताया गया।

हम यह भी रिपोर्ट करते है कि हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गनिदेशों को मॉनिटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने 10 रू. प्रत्येक के 2,00,00,000 बोनस शेयर जिनका मूल्य 20,00,00,000 रूपए था दिनांक 30.03.2017 को जारी किया।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी

हस्ता/–
अखिल रोहतगी
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी
एफसीएस नं. 1600
सीपी नं. 2317

दिनांक : 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

अखिल रोहतगी
एम.कॉम, एल.एल.बी., एफ.सी.एस

अखिल रोहतगी एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054,
फोन 011–23926504, 9810690633
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,
11वां तल, स्टेट्स्मैन हाऊस,
बी–148, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट निम्न के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिपोर्ट का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की सत्यता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यविधिओं का अनुसरण किया है। इसका सत्यापदन हमने परीक्षण के आधार पर किया था ताकि, सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्यों का दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां हमारे मत के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उनकी उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटित होने वाली घटनाओं के संबध में प्रबंधन से अभ्यावेदन से प्राप्त किए हैं।
5. कॉरपोरेट के उपबंधों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी के भविष्य में अर्थक्षम होने और न ही कम्पनी के कार्यों को प्रबंधन द्वारा संचालित करने की कारगरता अथवा प्रभावोत्पदकता के संबंध में आश्वासन हैं।

कृते अखिल रोहतगी एंड कम्पनी

हस्ता/–
अखिल रोहतगी
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी
एफसीएस नं. 1600
सीपी नं. 2317

दिनांक : 21.08.2017
स्थान : नई दिल्ली

सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : 8/28, तीसरा तल, डब्ल्यू. ई. ए.
अब्दुल अज़िज़ मार्ग, करोल बाग, दिल्ली–110005
फोन नं.: 011–42502244, 3562
ई–मेल : info@serva.in; website : www.serva.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,

भारतीय लेखाकरण मानक पर स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे केटरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की भारतीय लेखाकरण मानक पर स्टैन्ड–अलोन वित्तीय विवरणों व इसके साथ संलग्न 31 मार्च, 2017 की मौजूदा तुलन पत्र, उस समय समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, (अन्य महत्वपूर्ण आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण, समाप्त वर्ष में इक्विटी में बदलाव विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे आगे स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण कहा गया है।) शामिल है की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखाकरण मानकों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) ("अधिनियम") में उल्लिखित लेखाकरण सिद्धांतों (भारतीय लेखाकरण मानक) के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार इन स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन महत्वपूर्ण अन्य आय सहित और नकदी प्रवाह और कम्पनी की इक्विटी शेयर में बदलाव की सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं।

इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिततओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, यथोचित लेखाकरण नीतियों का चुनाव करने और उन्हें लागू करने, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और ये किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से मुक्त हैं भले ही वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा भूलवश हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की व्यवस्थाओं को अपनाया है, और अधिनियम की व्यवस्थाओं और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लेखाकरण और लेखा परीक्षा मानको और ऐसे मामलों को जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित था, के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा की है।

हमने अपने लेखा परीक्षाा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार हमसे यह अपेक्षा की जाती है हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह जानने के लिए पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण सभी प्रकार के असत्य तथ्यों से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती है कि स्टैण्ड अलोन भारतय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटीकरणों के संबंध में लेखा परीक्षा वाले साक्ष्य प्राप्त हो सकें। अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं जिसमें स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश किन्हीं गलत तथ्यों के जोखिम का मूल्यांकन करना शामिल होता है। ऐसे जोखिम वाले मूल्याकंन करते समय लेखा परीक्षक स्टैन्ड अलोन लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि, ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो ऐसी स्थितियों में उचित हों। लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाई जाने वाली लेखाकरण नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है साथ ही वित्तीय स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखा मानक विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखाकरण परीक्षा साक्ष्य हमें मिलें है वे पर्याप्त हैं और हमारे स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक विवरणों को लेखा परीक्षा का मत तैयार करने के लिए उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गई व्याखाओं के अनुसार उपर्युक्त स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखारकरण सिद्धांतों जिनमें भारतीय लेखामानक शामिल हैं, के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैंः जिसमें कम्पनी की स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक

में 31 मार्च 2017 को वित्तीय स्थिति, इसकी वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य महत्वपूर्ण आय, इसका नकदी प्रवाह और इस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी बदलाव को दर्शाता है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 जिसे धारा 143 की उपधारा (11) ''आदेश'') के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम अनुबंध 'क' 1 के रूप में एक विवरण दे रहे हैं जो आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के संबंध में जहां तक लागू हो, से संबंधित है।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित हमारी रिपोर्ट निम्नलिखित हैः

(क) हमें वह सारी सूचना व व्याख्याएं प्राप्त हो गई है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के परियोजन के लिए आवश्यक थी सिवाए अधिशेष पुष्टिकरण जैसा कि पैरा (ज) में नीचे उल्लेखित है।

(ख) हमारे मतानुसार कम्पनी द्वारा कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार लेखा संबंधी बही खातों को संजोकर रख गया है। जैसा कि हमें उक्त बही खातों की जांच करने पर पता चला है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा के बहीखातों के अनुरूप है।

(घ) हमारे मतानुसार उपर्युक्त स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखाकरण मानको के अनुरूप हैं सिवाय निम्नानुसारः

i. सम्पत्तियों, प्लांटों उपस्करों के **भारतीय लेखाकरण मानक 16** के संबंध में जैसा कि प्रबंधन ने पुरानी परिसम्पत्तियों के निपटान के प्राधिकारी की सीमाओं के कारण ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पति रजिस्टर में रिलाईजेवल वैल्यू या 1/–रू. दिखाई जारी रखी है इसलिए परिसम्पत्तियों को थोक रूप मं बढ़ा–चढ़ा कर दिखाने के साथ–साथ उन पर मूल्यह्रास संचित दिखाया है तथापि ग्रोस ब्लॉक परिसम्पत्तियों इस मूल्यह्रास और चल सम्पत्तियों की वास्तविक लिखित बुक वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। (नोट सं. 3 एवं 5)

ii. भारतीय लेखाकरण मानक 31 के संबंध में संयुक्त उपक्रमों के लिए यथा अपेक्षित मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी मैसर्स रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड के साथ चल रही मुकदमेबाजी के कारण वित्तीय लेखा 2010–11 से तैयार नहीं हो सका है और इसलिए कम्पनी न तो समेकित वित्तीय नहीं दे रही और न ही संयुक्त कम्पनी के वित्तीय स्थिति का प्रकटन कर पा रही है। कम्पनी के पास उपलब्ध काननूी मत के आधार पर और संयुक्त उपक्रम करार को समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का मत है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड अपेक्षित राहत पाने के लिए मध्यस्थता वाले खण्ड का सहारा नहीं ले सकती है। इस समय इसके परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं किए जा सकते। (नोट सं. 37.3 और 45 को देखें)।

iii. छिटपुट देनदारी और छिटपुट परिसम्पत्ति के संबंध में भारतीय लेखाकरण मानक 37 की व्यवस्था में वैट कमीशनर के दिनांक 23 मार्च 2006 के आदेशों में गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री समझकर वैट लगाया गया है। कम्पनी के तर्क को अपीलीय प्राधिकारी और माननीय उच्च न्यायलय ने स्वीकार नहीं किया है और उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन है। कम्पनी की दूरदर्शी नीति के रूप में वैट दायित्व प्रदान किया जा रहा है क्योंकि केवल एक ही कर लागू हो सकता है। यदि कम्पनी के विरूद्ध निर्णय आता है तो वैट ब्याज सहित (जो लगाया है) कम्पनी के द्वारा व्यय की पूरी राशि से पहले से भुगतान किए गए सेवा कर को छोड़कर करनी होगी और सेवा कर की वापसी के लिए अलग से दावा दायर करना होगा (नोट सं. 37.4 देखें)

(ड़) 31 मार्च 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कोई भी निदेशक ऐसा नहीं था जो अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2017 को निदेशक बनने के लिए अर्हता प्राप्त न हो।

(च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण का परिचालन प्रभावीकरण को अलग रिपोर्ट में अनुबंध 'ख' में दिया गया हैः और

(छ) विचाराधीन वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने पहली बार अस्थगित कर परिसम्पत्तियों की पहचान की है परिणाम स्वरूप 6923.41 लाख रूपए की प्रतिधारित आय बढ़ी है। प्रबंधन ने इसे वित्तीय विवरणें में भारतीय लेखाकरण मानक अभिसरण समायोजन के रूप में मान्यता दी है। (वित्तीय विवरण का नोट संख्या 7)

(ज) पूर्व की नीति के अनुसार व्यवसाय स्वीकार योग्य बकाया को 02 वर्ष से अधिक गैर वर्तमान वर्गीकृत है, वित्त वर्ष के दौरान सभी व्यवसाय स्वीकार योग्य बकाया (दो वर्ष से अधिक बकाया सहित) को चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों को एक तरफा वर्गीकृत पुनः वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार 31 मार्च 2017 को पूर्व नीति के पुनः वर्गीकृत कर भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यवसाय प्राप्तियां 14,639.95 लाख रूपए रही है।

(झ) रेल मंत्रालय ने कम्पनी को रेल यात्रियों से 23 नवम्बर 2016 से इंटरनेट टिकटिंग प्रभार नहीं वसूलने के निर्देश दिए गए थे। इंटरनेट टिकटिंग से 26,168.56 लाख रू. (वित्त वर्ष 2015–16) एवं 18,447.46 लाख रू. (वित्त वर्ष 2016–17) (नोट–65 देखें)

कम्पनी के लाभ का महत्वपूर्ण अंश होता है और इसको समाप्त कर देने से लाभ पर काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय रेलवे की खानपान नीति 2017 के अर्न्तगत प्रबंधकों के द्वारा रेल खानपान सेवा को अलग–अलग करने और कम्पनी को खानपान व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए लिखा है। जिससे परिणामस्वरूप कम्पनी के परिचालन को महत्वपूर्ण विस्तार हो सकेगा। (नोट सं. 52 देखें) प्रबंधन ने रेलवे से सेवा प्रभार वसूलने (पूरे अथवा कुछ भाग) के लिए लिखा गया है। तथापि इस पर रेलवे की कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

(ञ) **बाहरी पुष्टिकरण के संबंध में लेखाकरण मानक 505 में सूचित किया जाता है कि** भारतीय रेलवे, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र और अन्य सरकारी संस्थाओं/एजेन्सियों आदि सहित व्यापारिक प्राप्तियां, व्यापारिक देयता आदि हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त नहीं की गई और इसलिए पार्टियों के साथ सामंजस्य के वित्तीय प्रभाव का पता लगाना नहीं हो सका। इसी प्रकार, कम्पनी के इंटरनेट टिकटिंग मंडल के लेन–देन के संबंध में किए जा रहे कुछ बैंकों के लेन–देन के लेन–देन समाधान का कुछ बैंक खातों के साथ नहीं हो सका क्योंकि लेन–देन संख्या की मात्रा बहुत अधिक थी (नोट सं. 39 एवं 38 देखें)

(ट) रिकॉर्डों एवं कागज़ातों के सत्यापन के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी के साइज और परिचालन की प्रकृति पर विचार करते हुए संगठन के अंदर आंतरित नियंत्रण प्रणाली को आवधिक आखरी बंदी गतिविधियों, वित्तीय आंकड़ों का सार/प्रविष्टियां और कम्पनी आदि के वित्तीय खातों के लिए अलग ऐपलीकेशन पर सूचनाएं अनुरक्षित सहित मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारा मत है कि परम्परागत लेन–देन का समाधान और पहचान अनुसार है चूंकि पहले के वित्तीय प्रणाली से आंकड़ों को वर्तमान ओरेकल प्रणाली में अनुरक्षित करने के साथ–साथ रेलवे से/को परिचालन को स्थानांतरण किया जा रहा, जिसे पूरा करने की आवश्यकता है।

(झ) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं के अनुसारः–

(क) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर बकाया मुकदमेंबाजी के प्रभाव को अपने भारतीय मानक लेखा वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दिया है– (टिप्पणी संख्या 31 देखें;)

(ख) कम्पनी डेरीवेटिव ठेके सहित किसी भी दीर्घकालीन ठेकों में शामिल नहीं हुए हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा निवेशकों के शिक्षा और सुरक्षा निधि के लिए अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि का कोई अंतरण नहीं हुआ।

(घ) कम्पनी ने अपने स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के स्वामित्व के साथ–साथ लेन–देने अपेक्षित प्रकटन किया गया है तथापि विभिन्न स्थानों पर कई एजेन्टों के द्वारा बड़ी संख्या में जमा कराकर रखे गए हैं तथापि इसका भरोसा लेखा खातों में पोस्टिंग करके दिया गया है और संबंधित बैंकों से पुष्टिकरण की शर्तों के साथ कम्पनी ने इसका अभ्यावेदन किया है। स्टैण्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण के नोट–68 को देखें।

(ङ) वर्ष 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय सूचनाएं जैसा कि विशेष उद्देश्य स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में दी गई इस पर हमने कम्पनी के शेयरधारकों के संबंध में अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 17 अगस्त 2016 को दी गई है। हमारा मत है कि इस मामले को संशोधित नहीं किया जाए क्योंकि कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक में अपनाए लेखाकरण सिद्धांतों में अन्तर ट्रांजिशन परिवर्तन को समायोजित कर लिया है जिसकी हमने लेखा परीक्षा कर चुके हैं। आगे 01 अप्रैल 2015 को ट्रांजिशन तिथि को इतिशेष तुलन पत्र में इन विशेष उद्देश्य स्टैन्ड अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किए हैं जिसका आधार कम्पनी (लेखाकरण मानक) नियम 2006 के अनुसार तैयार की गई पिछली जारी संवैधानिक वित्तीय विवरणों के अनुसार है इसे पिछले लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन स्टैन्ड–अलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित का मत व्यक्त किया जिसे कम्पनी ट्रांजिशन को भारतीय लेखाकरण मानक में अपनाएं गए सिद्धांतों में अन्तर को समायोजित किया गया है। जिसकी हमने लेखा परीक्षा की है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता/–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

दिनांक : 21.08,2017
स्थान : दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–'क'

मैसर्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की समसंख्यक तारीख वाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारतीय लेखाकरण मानकों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट के संदर्भ में रिपोर्ट है:

(i) (क) जैसा कि हमें सूचित किया गया है और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए रिकार्ड के आधार पर कंपनी, मात्रात्मक ब्यौरा और अचल परिसम्पत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रख रही है तथापि अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर के सत्यापन पर यह देखा गया है कि पुरानी अचल परिसम्पत्ति जिसमें मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और सहायक उपकरणों जिन्हें बहुत पहले खरीदा गया था, को काफी समय से परिसम्पत्ति रजिस्टर में निपटान नीति के न होने से वसूले योग मूल्य 01 रूपया परिसम्पत्ति मूल्य दिखाया गया है।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर वर्ष में एक बार कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन कराया जाता है। हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन का सविस्तार एवं औपचारिक किए जाने की आवश्यकता है। इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) अचल परिसम्पत्तियों की टाईटल डीड कम्पनी के नाम पर है।

(ii) (क) वस्तु सूची की भौतिक जांच उचित अंतरण पर कम्पनी द्वारा कराई जा रही है और वर्ष के दौरान वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। वस्तु सूची में परिभाषित मात्रा, मूल्य लिया गया और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर के तहत आने वाली किसी कंपनी, फर्म, सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी (एलएलपी) वाले या अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के अधीन आने वाले निदेशकों और पार्टियों के धारा 186 के अन्तर्गत ऋण और अग्रिम नहीं दिया। अतः अनुच्छेद (iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(v) कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः अनुच्छेद (v) लागू नहीं होता है।

(vi) जैसी कि हमें सूचना एवं स्पष्टीकरण दिया गया है, कंपनी अधिनियम, की धारा 148 के उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी के लिए लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है, किन्तु कम्पनी के द्वारा इसको स्वैच्छिक रूप से रखा जा रहा है।

(vii) (क) कंपनी नियमित रूप से कटौती/उपार्जित अविवादित संवैधानिक देयताओं जिनमें आयकर, सेवाकर, उपकर और अविवादित सांविधानिक है जो भी लागू हो, को नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2017 को अपने देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि का कोई भी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और अन्य संवैधानिक देयता बकाया नहीं था

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष बकाया मामलों के कारण लेखा विवरण नोट के पैरा 37.2 और 37.4 के अन्तर्गत वैट की आगे किसी प्रकार के दायित्व के अर्न्तगत निम्नलिखित विवादास्पद राशि को जमा नहीं किया गया है :–

क्र. सं.	कानून का नाम	बकाया की प्रकृति	वह मंच जहां विवाद बकाया है	राशि लाख रू. में
1.	सेवा कर – दक्षिण जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	सीस्टैट, ट्राईब्यूनल	679.03
2.	सेवा कर – पूर्वी जोन	विविध	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, कोलकाता	54.80
3.	सेवा कर – उत्तर जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	390.03
4.	सेवा कर – दक्षिण मध्य जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	283.44
5.	सेवा कर – पश्चिम जोन	अचल सम्पत्तियों का किराया	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, अपील, नई दिल्ली	978.33
	कुल			**2385.30**

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अुनसार कंपनी ने बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी के मामले में चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या कोई डिबेन्चर जारी करके ऋण नहीं लिया है।

(ix) कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट सहित) के द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

(x) कम्पनी के लेखों और रिकॉर्ड के जांच के दौरान सामान्यतः भारत में अपनाई जाने वाली लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार की गई है और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी पर और कम्पनी के द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई न हीं प्रबंधन द्वारा ऐसा कोई मामला सूचित किया गया था।

(xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान या व्यवस्था कम्पनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 में अपेक्षित व्यवस्था/अनुमोदनों के शासनादेश के अनुरूप किया जा रहा है।

(xii) कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है अतः आदेश का पैराग्राफ (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन की हमारी जांच में अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन किया गया है। जहां लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित ऐसे लेन–देन का विवरण का स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानकों में वित्तीय विवरण में प्रकटन किया गया है।

(xiv) कम्पनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान शेयरों का कोई प्राइवेट प्लेसमेन्ट नहीं किया है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत अपेक्षित लागू नहीं होता है।

(xv) कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेन देन नहीं किया है। अतः आदेश का पैराग्राफ (xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कम्पनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के अधीन पंजीकृत करना अपेक्षित नहीं है।

कृते सर्वा एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता/–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21.08,2017

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–ख

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 143 के 34 अनुच्छेद (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुच्छेद (i) के अर्न्तगत आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने मैसर्स इंडियन रेलवे केटरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय लेखाकरण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 31 मार्च, 2017 को मौजूद कम्पनी के स्टैन्ड–अलोन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है जो इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट के द्वारा वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर दिशा निदेशों के नोट में कहा गया है, के लिए जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में, कपंनी की परिसम्पत्तियों और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाना, व्यावहारिक और भरोसेमंद निर्णय लेने एवं अनुमान तैयार करने और सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, जो लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावी रूप से परिचालित किए जा रहे थे, के तौर तरीके शामिल हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित इस जिम्मेदारी में समय पर भरोसेमंद वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कम्पनी के वित्तीय लेखाकरणों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर अपने लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करता है। हम अपनी लेखा परीक्षा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा वितीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्त नियंत्रणों के गाईडेन्स नोट के अनुसार और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित मानी गई जो कि आंतरिक नियंत्रणों को लेखा परीक्षा ('गाईडन्स नोट') पर आवश्यक सीमा पर लागू दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू और दोनों ही इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकान्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों और गाईडेन्स नोट के अुनसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह जानने के लिए आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बना कर लेखा परीक्षा करे कि वित्तीय विवरणों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण क्या पर्याप्त हैं, स्थापित है और अनुरक्षित किए जा रहे है और क्या ऐसे सभी नियंत्रण सभी प्रकार के तथ्यों के अनुसार हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती है कि वित्तीय लेखाकरण में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्तता और उनका प्रभावी रूप से परिचालन के साक्ष्य प्राप्त हो सके। वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में भारतीय लेखाकरण मानकों वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आपसी समझ बनानी, किसी तथ्यात्मक कमियों का मूल्यांकन और डिजायन की जांच एवं मूल्यांकन, जोखिम आंकलन पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन पर आधारित है। इसके लिए चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करना है, जिसमें वित्तीय विवरणों में असत्य तथ्यों के जोखिम का धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मूल्यांकन करना शमिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा लेखा परीक्षा में मिले साक्ष्य नीचे दी गई हमारी टिप्पणी में निहित सीमाओं को छोड़कर पर्याप्त है और कम्पनी के वित्तीय लेखाकरण पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर वे पर्याप्त है और लेखा परीक्षा मत तैयार करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय लेखाकरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कम्पनी का वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया डिजायन की है जो भरोसेमंद वित्तीय विवरणों के संबंध में आश्वस्त करती है और जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरित नियंत्रण में जो नीतियां और प्रक्रिया शामिल है उनमें (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का लेन–देन और विन्यास से संबंधित रिकॉर्डों का अनुरक्षण, उचित विवरण, शुद्धता और न्यायपूर्ण झलके (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेन–देन के रिकॉर्ड अपेक्षित वित्तीय विवरण को तैयार करने की अनुमति और भरोसेमंद आश्वासन और कम्पनी की प्राप्तियों और खर्चों को प्रबंधनों और निदेशकों के प्राधिकार पर ही, होना और (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में अनाधिकृत अधिग्रहण को रोकना या समय पर पता लगाने, प्रयोग करने, निपटान के संबंध में भरोसेमंद आश्वासन हैं जो कि भारतीय लेखाकन मानक वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं होने के कारण, सांठगांठ या नियंत्रण रखने में खराब प्रबंधन, त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण या धोखाधड़ी होना और पता नहीं लगना। वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी प्रकार का मूल्यांकन प्रदर्शन भी भविष्य की अवधि के लिए जोखिम हो सकता है क्योंकि स्थिति में बदलाव के कारण वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की मात्रा या पद्धति बिगड़ सकती है।

हमने प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कागज़ातों के द्वारा कम्पनी की परिचालन पद्धतियों और शामिल जोखिमों की संभावना की पहचान के लिए विस्तार से समीक्षा की है। चूंकि वित्तीय विवरणों पर आन्तरिक नियंत्रण पर ऐसा प्रलेखन का पहला वर्ष होने के कारण कम्पनी के पूरे व्यापार को काफी हद तक शामिल करने का प्रयास किया है। बहुभौगोलिक स्थानों पर होने के कारण जोखिम नियंत्रण उपायों की जांच कुछ चुने हुए स्थानों पर की गई। तथापि हमने उपरोक्त सीमाओं के वर्णन में कम्पनी के भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लागू प्रकृति और लेखा परीक्षा जांच तक सीमित कर विचार किया है और यह सीमाएं कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं कर सकती है।

मत

हमारे मतानुसार कम्पनी को सभी महत्वपूर्ण अनुपालन, वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और 31 मार्च 2017 तक वित्तीय लेखाकरण पर ऐसा वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित है, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंण्डिया के द्वारा वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा परीक्षा पर जारी गाईडेन्स नोट में बताए गए आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक कम्पनी द्वारा वित्तीय लेखाकरण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मापदंड पर आधारित है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता/–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21.08,2017

अनुबन्ध

वर्ष 2015–16 से लेखों के लागू कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन निर्देश।

1. क्या कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व पट्टे वाली स्पष्ट स्वामित्व यहां विलेख है यदि नहीं तो कृपया बताएं कि फ्री होल्ड और लीज़ होल्ड भूमि में कौन सा टाईटल/लीज़ डीड उपलब्ध नहीं है। – हां

2. क्या कोई नामे/ऋण /ब्याज आदि माफ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है यदि हां तो कारण बताएं और राशि का उल्लेख करें। – नहीं

3. क्या तृतीय पक्ष के पास पड़ी सूचियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों का उचित रूप से उपहार/अनुदान (अनुदानों) से प्राप्त परिसम्पत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है – हां, आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सरकार/अन्य प्राधिकारियों से कोई परिसम्पत्तियां उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

कृते सर्वा एसोसिट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स
एफआरएनः 000272एन

हस्ता/–
सी.ए. नितिन जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. 506898

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21.08.2017

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2016 को
I. परिसम्पत्तियां				
1 गैर–चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	15,839.36	15,379.21	14,741.95
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	4	1,682.92	1,419.16	1,647.82
(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	5	1,261.92	1,118.39	1,494.70
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां	6			
(i) निवेश	6.1	0.32	0.32	0.32
(ii) ऋण	6.2	1,177.76	1,071.45	1,012.21
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6.3	40.88	123.95	173.87
(ड़) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	7	6,923.41	6,760.50	5,639.63
(च) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	8	1,179.42	1,760.15	1,551.80
		28,105.99	27,633.13	26,262.30
2 चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सूचियां	9	658.05	826.07	953.63
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10			
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	28,866.52	25,147.95	25,004.05
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	48,611.71	19,026.28	14,038.73
(iii) बैंक अधिशेष (ii) उपर्युक्त को छोड़कर	10.3	36,684.50	42,762.05	21,369.74
(iv) अन्य	10.4	1,529.47	3,575.88	1,626.15
(ग) अन्य कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	683.59	811.78	1,065.03
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	37,523.59	31,315.72	32,236.10
		154,557.42	123,465.74	96,293.43
कुलपरिसम्पत्तियां		**182,663.41**	**151,098.87**	**122,555.73**
II- इक्विटी और देयताएं				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	4,000.00	2,000.00	2,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	73,833.89	68,057.16	51,209.88
		77,833.89	70,057.16	53,209.88
2 देयताएं				
(i) गैर–चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	15			
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	10,373.28	9,941.08	9,260.95
(ख) प्रावधान	16	7,797.35	7,162.40	5,492.34
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	17	833.06	807.66	849.63
		19,003.69	17,911.14	15,602.92
(ii) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं	18			
(i) व्यापार देय	18.1	13,718.16	5,130.11	4,035.94
(ii) अन्य	18.2	35,899.41	29,737.55	27,104.82
(ख) अन्य चालू देयताएं	19	35,535.66	25,431.56	20,732.99
(ग) प्रावधान	20	121.18	258.75	397.29
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	21	551.42	2,572.60	1,471.89
		85,825.83	63,130.57	53,742.93
कुल इक्विटी और देयताएं		**182,663.41**	**151,098.87**	**122,555.73**
सामान्य सूचना	1			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश	2			

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

हस्ता. /–
सीए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता. /–
महेन्द्र प्रताप मल्ल
निदेशक (वित्त) अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएनः 02316235

हस्ता. /–
अमृतबीर कौर बरार
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
डीआईएनः 06780608

हस्ता. /–
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता. /–
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

राशि (₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्ता वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व (उत्पाद शुल्क सहित)	22	143,262.15	138,173.15
II	अन्य आय	23	16,369.41	14,080.00
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**159,631.56**	**152,253.15**
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	9,593.95	10,259.41
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	25	11,493.49	12,770.92
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, चल रहे कार्य और स्टॉक–इन–ट्रेड	26	63.16	253.37
	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं का खर्च	27	8,162.44	4,992.10
	पर्यटन का खर्च	28	41,561.19	29,869.95
	उत्पादन एवं प्रत्यक्ष खर्च	29	25,343.97	35,482.21
	कर्मचारी हित खर्च	30	18,259.65	16,656.33
	वित्तीय लागत	31	253.53	181.21
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	2,241.37	2,122.32
	अन्य खर्च	33	10,152.80	9,073.77
IV	**कुलव्यय (IV)**		**127,125.55**	**121,661.59**
V	**आपवादिक एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III – IV)**		**32,506.00**	**30,591.56**
VI	आपवादिक मदें		340.97	87.37
VII	**कर पूर्व लाभ (V – VI)**		**32,846.97**	**30,678.93**
VIII	कर खर्च :			
	(1) चालू कर	34	11,787.14	12,002.72
	(2) आस्थगित कर		(111.40)	(1,053.33)
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ/हानि (VII+VIII)**		**21,171.24**	**19,729.54**
X	अविछिन्न परिचालनों से लाभ/हानि		–	–
XI	अविछिन्न परिचालनों के कर खर्च		–	–
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ/हानि (x+xi)		–	–
XIII	**अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)**		**21,171.24**	**19,729.54**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत की गई मदें			
	(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।		–	–
	ख. (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की गई मदें		–	–
	कार्यरत कर्मचारियों के रोजगार के दायित्वों का प्रमाण	35	148.87	195.15
	(ii) कर से संबंधित मदों को लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया। (XIII+XIV)		51.52	67.54
XV	**(xiii+xiv) अवधि के लिए कुल व्यापक आय व्यापक लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**21,371.63**	**19,992.23**
XVI	**प्रति इक्विटी अर्जित शेयर**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)	36	52.93	49.32
	(2) डाईलूटिड(रू.)	36	52.93	49.32
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	अ(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)		–	–
	(2) डाईलूटिड (रू.)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	(निरंतर और अनिरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (रू.)	36	52.93	49.32
	(2) डाईलूटिड (रू.)	36	52.93	49.32

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

हस्ता./–
सीए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2017

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–
महेन्द्र प्रताप मल्ल
निदेशक (वित्त) अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएनः 02316235

हस्ता./–
अमृतबीर कौर बरार
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
डीआईएनः 06780608

हस्ता./–
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - U74899DL1999GOI101707

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) का विवरण

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्ता वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
आपवादिक मदों और कर पूर्व लाभ		**32,846.97**	**30,678.93**
निम्न के लिए समायोजनः–			
मूल्यहरास		2,241.37	2,122.32
अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ		92.03	15.81
ब्याज आय		(4,439.13)	(4,803.63)
परिचालन पूंजी परिवर्तन से परिचालन लाभ	**(1)**	**30,741.25**	**28,013.43**
निम्न के लिए समायोजनः–			
वस्तुसूची में कमी/(वृद्धि)		168.02	127.56
व्यापार एवं अन्य प्राप्ताओं में कमी/वृद्धि		(3,718.57)	(143.90)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/वृद्धि		88.82	32.89
प्रचलित कर परिसम्पतियों में कमी/वृद्धि		128.19	253.25
अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियों में कमी/वृद्धि		(6,207.86)	920.37
अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियों में कमी/वृद्धि		580.72	(208.35)
वित्तीय परिसम्पत्तियों ऋण में कमी/वृद्धि		(106.31)	(59.24)
अप्रचलित वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि		432.20	680.14
अप्रचलित प्रावधानों में कमी/वृद्धि		783.82	1,865.21
अन्य अप्रचलित देयताओं में कमी/वृद्धि		25.41	(41.97)
व्यापार प्राप्तियों में कमी/वृद्धि		8,588.05	1,094.17
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि		6,161.86	2,632.73
अन्य प्रचलित देयताओं में कमी/वृद्धि		10,104.10	4,698.57
वर्तमान प्रावधानों में कमी/वृद्धि		(137.57)	(138.54)
	(2)	16,890.88	11,712.89
परिचालन से प्राप्त कैश	**(1+2)**	**47,632.13**	**39,726.32**
प्रदत्त आयकर		(13,808.32)	(10,902.01)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश		**33,823.81**	**28,824.31**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो			
सम्पत्ति का क्रय/विक्रय, संयंत्र और उपकरण के अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों		11.69	39.47
की क्रय संयंत्र और उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों से		(3,212.52)	(2,209.90)
ब्याज प्राप्तियां		6,479.79	2,870.93
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव		6,077.56	(21,392.31)
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद् नकद		**9,356.52**	**(20,691.81)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो			
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		(13,594.90)	(3,144.95)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद		**(13,594.90)**	**(3,144.95)**
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) शुद्ध में कमी/(वृद्धि)		29,585.43	4,987.55
अथशेष नकद और नकद समकक्ष		19,026.28	14,038.73
इतिशेष नकद और नकद समकक्ष		**48,611.71**	**19,026.28**
नकद और नकद सम कक्ष का समाधान			
नकद और नकद समावेशी के			
नकद हस्ते		63.26	82.70
चेक्स/ड्राफ्ट्स हस्ते		53.25	55.49
बैंक में अधिशेष			
– चालू खाते में		27,243.38	7,421.44
– फ्लेक्सी खाते में		21,251.82	11,402.02
– तीन महिनों से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा		–	64.63
तुलन–पत्र के अनुसार नकद और नकद सम कक्ष		**48,611.71**	**19,026.28**

नोटः– 1. चार्टर्ड अकाऊन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया इन्सटीट्यूट द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय एएस–7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के तहत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्षों के आंकड़ों का जहां भी आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टिकरण की पुष्टि करने के लिए पुर्नव्यवस्थित/पुर्नसमूहित किया गया है।

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सर्व एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाऊन्टेट्स
फर्म रजि. सं.: 000272N

हस्ता./–
सीए. नितिन जैन
पार्टनर
एम नं.: 506898

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हस्ता./–
महेन्द्र प्रताप मल्ल
निदेशक (वित्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में
डीआईएनः 02316235

हस्ता./–
अमृतबीर कौर बरार
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
डीआईएनः 06780608

हस्ता./–
अजय श्रीवास्तव
समूह महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
सुमन कालरा
कम्पनी सचिव
एम नं.: एफसीएस-9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (लाख रु. में)
1 अप्रैल 2016 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपए का 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	200.00	2,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए का 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	200.00	2,000.00
31 मार्च 2017 तक बैंक अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपए का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**400.00**	**4,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रु. में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	34,991.70	33,065.46	68,057.16
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	–	–	–
वर्ष के आरंभ में पूर्व बताया बैंक अधिशेष	**34,991.70**	**33,065.46**	**68,057.16**
वर्ष के लिए लाभ	–	21,171.24	**21,171.24**
वर्ष (आयकर का शुद्ध) के लिए अन्य व्यापक आय	–	200.39	200.39
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**–**	**21,371.63**	**21,371.63**
प्रतिधारण आय से अंतरण	3,500.00		3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	–	(11,295.40)	(11,295.40)
लाभांश पर लाभांश कर का भुगतान इक्विटी शेयर को दिया जाता है।		(2,299.50)	(2,299.50)
सामान्य आरक्षित का अन्तरण	–	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर		(2,000.00)	(2,000.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष	**38,491.70**	**35,342.19**	**73,833.89**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में इक्विटी शेयर में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (लाख रु. में)
1 अप्रैल 2016 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपए का 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	200.00	2,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए का 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	–	–
31 मार्च 2017 तक बैंक अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपए का 4,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**200.00**	**2,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रु. में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
वर्ष के आरंभ में अधिशेष	31,491.70	19,718.18	51,209.88
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	–	–	–
वर्ष के आरंभ में बैंक अधिशेष	**31,491.70**	**19,718.18**	**51,209.88**
वर्ष के लिए लाभ	19,729.54	**19,729.54**	
वर्ष (आयकर का शुद्ध लाभ) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	262.69	262.69
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**–**	**19,992.23**	**19,992.23**
प्रतिधारण आय से अन्तरण	3,500.00	–	3,500.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान	–	(2,613.00)	(2,613.00)
लाभांश पर लाभांश कर का भुगतान इक्विटी शेयर को दिया जाता है।	(531.95)		(531.95)
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	–	(3,500.00)	(3,500.00)
जारी किए बोनस शेयर	–	–	–
वर्ष के अंत में अधिशेष	**34,991.70**	**33,065.46**	**68,057.16**

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार लेखाकरण नीतियां (भा. ले.मा.)

1. कॉर्पोरेट सूचना

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की स्थापना की गई है। आईआरसीटीसी अधिवासी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में 27 सितंबर, 1999 को रेलवे की पूरी खानपान और पर्यटन गतिविधियों को नए कॉरपोरेशन में जोड़ने के मूल उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ इन सेवाओं को व्यावसायिक और उन्नयन कर सकें। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के साथ समन्वय से उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट वाहन होगा। कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी–148 स्टेट्समैन हाऊस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली –110001 पर स्थित है।

2. तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर और जिसे वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानकों, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम 2016 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं, के अनुसार तैयार किए गए हैं। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष सहित सभी अवधियों तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 (पिछला जीएएपी) के अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरणों में कंपनी का पहला भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण है।

ख) मापन का आधार

कॉरपोरेशन ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के अन्तर्गत निम्न लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार का उपयोग कर रही और भारतीय लेखाकरण मानक में अपेक्षित निम्न मद का उचित मूल्य पर माप किया जा रहा हैः

i. परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ii. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय साधन पर नीति देखें) को उचित मूल्य पर मापा गया है।

ग) अनुमान और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का निर्णय, अनुमान और कल्पनाओं की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन नीतियों के सिद्धांतों और वित्तीय विवरणों की तारीख में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि को प्रभावित करती है। ऐसे अनुमानों के उदाहरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान आदि के अनुमानित उपयोगी जीवन शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच में भविष्य में परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं और परिणाम उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनके परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हो चुके हैं।

घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की जाती है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपए में दो दशमलव अंकों के साथ पूर्णांक किया जाता है, सिवाए जिसमें अन्यथा कहा गया हो।

ङ) वैधानिक भुगतान योग्य और वापसी योग्य को देयताओं को प्रचलित देयताएं को प्रचलित प्रकृति के कारण प्रचलित परिसम्पत्तियां कहलाती है।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अपरोक्ष विधि से तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना रोकड़ वाले लेन देन करने और विगत के आस्थगित अथवा प्रोद्भवन अथवा भविष्य में नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी की परिचालन, वित्तपोषण और निवेश वाली गतिविधियों को अलग–अलग करके दर्शाया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से नकदी प्रवाह और नकद और नकद समकक्षों में हस्ते नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों के साथ मांग जमा, शुद्ध बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि मांग पर प्रतिदेय हो, को कंपनी के नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

छ) विदेशी मुद्रा

i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक के साथ–साथ प्रस्तुतीकरण मुद्रा भी है।

ii) लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा संपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर विनिमय की दरों में बदला या परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेनदेन के निपटारे के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय लाभ और हानि, वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं के बदलाव लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण की लागत जिसमें इंस्टॉलेशन प्रभार और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं, में दर्ज किया जाता है बशर्तें ये मान्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

ii) पहचान मानदंड पूरा होने पर प्रतिस्थापन की लागत प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत को पूंजीगत में रखते हैं यदि ये स्वीकृत मापदण्ड को पूरा करते हैं।

iii) कंप्यूटर के मामले में कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की लागत कंप्यूटर के साथ पूंजीगत व्यय में की गई है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव प्रभार को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv) कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर ली गई इमारतों पर व्यय को लीजहोल्ड–ऑफिस डेवेलपमेंट के रूप में पूंजीगत व्यय में दर्ज किया गया है।

v) खानपान इकाइयों में रखे गए उपकरण और संयंत्रों को जहां है जैसा के आधार पर रखा जाता है। ऐसी संपत्तियों के मूल्य की अनुपलब्धता के कारण, भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते में ऐसी परिसंपत्तियों को 1/–रू. के प्रति मद के नाम मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।

vi) लक्जरी पर्यटन ट्रेन को पूंजीगत और फिक्स्ड परिसम्पत्ति अनुसूची में ''लग्ज़री पर्यटक ट्रेन'' के रूप में दिखाया गया है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान को सरकारी अनुदान मानने पर नीति देखें।

vii) परिसंपत्ति की लागत से बिक्री और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरणों में मान्यता दी गई है।

viii) भारतीय लेखाकरण मानक में शुरू होने से कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 (संक्रमण तिथि) से मान्यता प्राप्त अपनी सभी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के कैरिंग मूल्य के साथ जारी रखा है, जो पिछले अंतराल के अनुसार मापा जाता है और इसका कैरिंग मूल्य डीम्ड लागत शुरू होने की स्थिति से समझा जाता है।

झ) मूल्यह्रास और परिशोधनः –

(क) मूल्यह्रास कुछ वस्तुओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अर्न्तगत यथाविनिर्दिष्ट जीवन काल के अनुसार पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए तैयार होने की तारीख से यथा–अनुपात के आधार पर गणना की जाती है। मूल्यह्रास वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री, खारिज़ और क्षति होने की तारीख तक दी जाती है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग–अलग हिस्सों की मदों का अलग–अलग मूल्यह्रास हो सकता है, यदि मद की कुल लागत पार्ट्स की लागत का महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है और यह इनहाउस तकनीकी विशेषज्ञ के अनुमान और प्रमाण पत्र के आधार पर है।

(ग) पट्टेधारक कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास और पट्टेदार भूमि (जिसके लिए पट्टा समझौते मौजूद है) का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के दौरान लिया गया है। रेलवे भूमि पर स्थित परिसर पर सिविल कार्य पर खर्च (जिसके लिए कोई पट्टा समझौते मौजूद नहीं है) को लीज़होल्ड सुधार के रूप में दिखाया गया है और दस वर्ष की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया गया है।

(घ) मूल्यह्रास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(ड़) पट्टेदार भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्यह्रास भूमि के पट्टे के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैः

विवरण	उपयोगी जीवन काल
संयंत्र और मशीनरी	25 वर्ष
कम्प्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	6 वर्ष
एयरकंडीशनर	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
भवन	35 वर्ष
अमूर्त परिसम्पत्तियां	4 वर्ष
संस्थापन एवं उपकरण	10 वर्ष
लग्ज़री टूरिस्ट गाड़ी	15 वर्ष

ञ) प्रगति पर पूंजीगत कार्य / पूंजीगत अग्रिम–

चालू पूंजीगत कार्यों में ऐसी परिसम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों (पीपीई) की कीमत जो उनके वास्तविक उपयोग के लिए तैयार नहीं हुई है और परिसम्पत्ति की कीमत को तुलनपत्र की तिथि से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता है को शामिल किया गया है, पी. पी. ई. अधिग्रहण के लिए भुगतान किए अग्रिमों को अप्रचलित परिसम्पत्तियों के अधीन पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है।

ट) अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेन्स, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल आदि अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकार्ड की जाती है और अमूर्त पसम्पत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु 4 वर्ष मानी गई है।

ठ) संयुक्त व्यवस्था में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इन्सट्रुमेन्ट में निवेश की लागत भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरूप अलग वित्तीय विवरणों में दी जाती है।

ड़) निवेश गुण

क) निवेश गुण लागत को मूल्यह्रास के शुद्ध संचित और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर दिखाया जाता है।

ख) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर निवेश की संपत्ति के भवन के मूल्यह्रास घटक को कम करता है।

ग) निवेश संपत्तियों की तब मान्यता हटा दी जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लेते हैं और उनके निपटारे से कोई भविष्य में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। शुद्ध निपटान प्राप्ति के बीच का अंतर और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि मान्यता हटाने की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

ढ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियांः

क **प्रावधानः** – देयताएं के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित परिणाम का उपयोग करके मापा जा सकता है जबः

(क) पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो।

(ख) दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; तथा

(ग) दायित्व की मात्रा विश्वसनीय अनुमान से लगाया जा सकता है। किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति केवल तब ही पहचानी जाती है जब यह वास्तव में निश्चित है, कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जिस प्रावधान में 12 महीनों से अधिक में निपटान होने की आशा है, को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो कि दायित्वों के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। समय अधिक लगने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(क) निम्नलिखित देयताओं का प्रकटन निम्न मामलों में किया जाता है:

i. पूर्व घटना के परिणामस्वरूप स्वरूप उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है तो दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

ii. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है; या

iii. एक संभव दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ हो।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन वहां किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव हो।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधानों की आवश्यकता होती है और आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

(डी) आकस्मिक देयताओं के निपटान पर संभावित बहिर्वाह के अनुमान के अनुसार अनुमानित प्रावधानों का शुद्ध है।

ण) राजस्व मान्यता : –

कॉरपोरेशन खानपान सेवाओं (दोनों चल और स्थैतिक दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल सेवाएं, विभागीय खानपान यूनिटों के परिचालन, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा, स्थैतिक खानपान स्टालों, ऑटोमेटिक वेन्डिंग मशीानों, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंधन, विख्यात टूर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज की व्यवस्था, संपूर्ण टूर पैकेजों का प्रबंधन रेलनीर–पैक किए गए पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के व्यवसाय में है।

i. **बिक्री**

रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, में जाती है और भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसार वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

ii. **इंटरनेट टिकटिंग से आय :–**

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है और तद्नुसार रेलवे के शेयर को खर्च दिखाया जाता है।

iii. **खानपाना सेवाओं से आय :–**

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि गाड़ियों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी खानपान सेवाओं से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है:–

ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी, दुरंतों और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गई खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :–

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना	रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पूर्व की नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ।
5.	रेलवे स्टेशनों पर स्थैतिक यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	जिन्हें ठेका दिया जाता है के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

- **कन्सेशन फीस** : राजस्व की पहचान से संबंधित भारतीय लेखाकरण मानक 18 में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।
- **उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को तब तक प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।
- **लाइसेंस शुल्क :**

  (क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।

  (ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

  (ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

➢ **ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय :** निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :–

i. ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

ii. अन्य आय : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

iv. पैकेज टुअर से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष चार्टरों कोच और शायिकाओं की बुकिंग करते हैं और एयर टिकटों की बुकिंग कॉरपोरेशन ग्रुप आधारित विदेशी टूर की बुकिंग का कार्य भी करती है। विशेष ट्रेनों चार्टरों कोच से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन के सेवा प्रभार सम्मिलित होते हैं।

संपूर्ण टुर पैकेजों, बौद्ध सर्किट विशेष गाड़ियों और भारत दर्शन गाड़ियों के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर को छोड़कर कुल रकम शामिल होती है।

v. टीडीआर सहित सावधि जमा राशियों पर ब्याज से आय :

सावधि जमा और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

vi. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस

विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के अनुसार 'सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसएफआईएस) के अन्तर्गत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

विदेशी व्यापार नीति 2015–2020 के अनुसार अब सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम को सर्विस एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम में बदल दिया है।

एसईआईएस (2015–2020) के अन्तर्गत जारी ड्यूटी बीजक बिना रोक टोक के हस्तांरणीय होगा और इंडिया स्कीम के अन्तर्गत निर्यात के लिए जारी बीजक को सीमाकर, उत्पाद शुल्क और सेवाकर के भुगतान हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

त) व्यय :–

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चित नहीं हैं, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाते हैं।

(i) रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भुगतान किया गया खानपान प्रभार

(क) ऑनबोर्ड केटरिंग प्रभार :

ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :–

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय की निम्नलिखितानुसार पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है:

- **भुगतान की गई कन्सेशन फीस** : ऑन बोर्ड खानपान ठेका, ऑटोमेटिक वेन्डिंग मशीन, स्थैतिक यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द /समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।
- **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है जिस अवधि तक परियोजना परिचालन में है।
- **भुगतान की गई लाइसेंस फीस :**
  (क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है जब तक कि परियोजना परिचालन में है।
  ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।
- **पर्यटन व्यय** :
  भारतीय रेल द्वारा ली जाने वाली टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हो, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/ बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

  पूरे टूर पैकेज और बौद्ध सर्किट विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा ली गई टिकट की कीमत, सेवा प्रभार अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय और आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना की प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

थ) पट्टों –

जहां कंपनी पट्टेदार है:

वित्त पट्टा

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टें पर हैं के सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफलों को वस्तुतः हस्तांतरित कर दिए गए हैं, को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर ली गई संपत्ति के उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर जो भी कम हो, पट्टे की स्थापना पर वित्तीय पट्टों का पूंजीकरण किया जाता है। संबंधित किराये को दायित्वों, वित्त प्रभार का शुद्ध, उचित रूप में उधार या अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान के दायित्वों और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टे की अवधि में लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है, जब तक कि वह सीधे योग्य परिसंपत्ति के कारण नहीं हो, इस स्थिति में वे उधार लेने की लागत नीति के अनुसार पूंजीकृत होते हैं। आकस्मिक किराया उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। पट्टेदार संपत्ति परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रास होता है।

परिचालन लीज

पट्टे पर जहां पट्टादाता अप्रभावी रूप से पट्टे की शर्तों में सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभ को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि के विवरण में पट्टा अवधि में सीधे–रेखा के आधार पर खर्च के रूप में पहचाना जाता है, इसके अलावा, जहां लीज भुगतान अपेक्षाकृत सामान्य मुद्रास्फीति के साथ–साथ अपेक्षित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।

जहां कंपनी पट्टादाता है:

वित्त पट्टा

ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पट्टे पर है, व सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफल हस्तांतरित कर दिए गए हैं को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों के अन्तर्गत पट्टों से प्राप्त राशि को कम्पनी के पट्टों से शुद्ध निवेश में प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखा अवधि में प्राप्तियों मे शामिल किया जाता है ताकि शुद्ध बकाय निवेश में लीज के रूपये में लगातार आवधिक रिर्टन के रूप में प्रदर्शित रहे।

परिचालन पट्टा

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टों को परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के अधीन परिसम्पत्तियों में

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों लागत शामिल हैं, इसमें शामिल मूल्यह्रास को लाभ और हानि के विवरण में एक खर्चे के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पट्टे की आय को लाभ और हानि के विवरणों में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय जहां पट्टा भुगतान अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए संरचित हैं।

द) परिसम्पत्तियों की हानिः –

परिसंपत्तियों की हानि' पर भारतीय लेखाकरण मानक 36 में नकदी अर्जित इकाइयों में परिसंपत्तियों की हानि के रूप में परिभाषित की पहचान तुलन–पत्र की तारीख में उपलब्ध रकम के साथ–साथ उसके बाद वसूली योग्य राशि और आस्तियों की हानि यदि कोई हो को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्रदान की है। परिसम्पत्तियों की हानि यदि बाद में वापस की जाती है तो उसे वापिस वर्ष के लेखा में लिया जाता है।

ध) उधार लागतः–

संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष और विशिष्ट उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। एक क्वालीफाइंग परिसंपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो उसके इच्छित उपयोग के लिए निर्धारित समय पर तैयार हो जाती है। अन्य सभी उधार की लागत उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उन्हें खर्च किया है।

न) कर्मचारी लाभः –

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी लाभ अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। लाभ, जैसे कि वेतन, मजदूरी, और अल्पकालिक मुआवजे की अनुपलब्धता आदि, उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व, जैसे दीर्घकालिक मुआवजा अनुपलब्धता, अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी को उसी तरीके से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि (ग) (iii) में उल्लिखित परिभाषित लाभ योजनाओं के मामले में है।

(ग) सेवा के पश्चात् के लाभ

(i) **परिभाषित योगदान योजनाः** कंपनी भविष्य निधि योजना में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित योगदान प्रदान करती है। योजनाओं के तहत भुगतान/देय योगदान उस अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) **परिभाषित लाभ योजनाः** कंपनी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का अधिकार इस शर्त पर की कर्मचारी सेवा में सेवानिवृत्ति की उम्र तक और न्यूनतम सेवा अवधि तक सेवा की है। परिभाशित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किए गए एक ही लेखा पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अनुमानित लागत रोजगार की अवधि में अर्जित की जाती है।

(iii) ग्रैच्युटी एक सेवा के पश्चात् परिभाषित लाभ योजना है। तुलनपत्र में देयताओं की पहचान पत्र की तारीख में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य का योजना संपत्तियों से घटाते हैं। परिभाषित लाभ दायित्व को परिलक्षित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा गणना की जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में अभिज्ञ समायोजन और बीमांकिक अवधारणाओं में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न लाभ और हानि का पुर्नःमापन उन अन्य अवधियों में पहचाने जाते हैं। जिस अवधि में सीधे रूप से अन्य व्यापक आय में वे हुए हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में आय में शामिल रखा गया है।

(घ) विदेशी सेवा अंशदान के प्रति प्रावधान/देयताएं – पेंशन और छुट्टी वेतन, प्रतिनियुक्ति /डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के मामले में किए गए हैं और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते है।

न) वस्तुसूचियांः

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फीफो (FIFO) के आधार पर शामिल होता है।

(iii) तैयार माल और कार्य प्रगति पर है, में कच्चा माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथा लागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

(iv) पैक्ड मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फीफो (FIFO) पर लागत या एनआरवी के आधार पर किया जाता है।

क) कराधान :–

(क) वर्तमान आयकर : –

(i) करों में वर्तमान आयकर सहित कर लागू दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है।

(ii) टैक्स की दरें और कर कानून से जो राशि की गणना की जाती है वे उन देशों में रिपोर्टिंग की तिथि पर, जो अधिनियमित या वैध रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां कंपनी चल रही है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर संपत्ति और देनदारियों से कर वसूल करने की अपेक्षा की गई राशि या कराधान प्राधिकरणों को भुगतान किया जाता है अतिरिक्त करों के लिए दायित्व, यदि कोई हो, कर निर्धारण पूरा होने पर दिया/भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

(ख) आस्थगित कर

कॉरपोरशन ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक–12 'आय कर' में जारी आस्थगित करों के अनुसार लेखाकरण किया है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति और देनदारियों को अस्थायी मतभेदों के लिए पहचाना जाता है जो कि अधिनियमित टैक्स दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है या रिपोर्टिंग तिथि पर वस्तुतः अधिनियमित किए गए हैं।

ii. आस्थिगित आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यहां संभवतः है कि कर योग्य लाभ कटौतियों अस्थाई अन्तर पर उपलब्ध होगा और उपयोग नहीं किए कर जमा आगे बढ़ा दिया जाएगा और उपयोग नहीं कर हानियों का उपयोग किया जाएगा।

iii. आस्थगित आयकर संपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह संभव नहीं है कि आस्थगित आय कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

प) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ मानता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर डायल्युटिड आय का निर्धारण करने में, इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायल्युटिड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित की जाती है।

फ) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान देयताओं में आस्थगित आय के रूप में शामिल हैं और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के लिए जमा किया जाते हैं और अन्य आय में रखा जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदान संबंधित खर्चों में समायोजित किया जाता है। राजस्व और पूंजी अनुदान का अप्रयुक्त भाग दायित्व के रूप में दिखाया जाता है।

iii. गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और तुलन–पत्र में अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके रखा जाता है।

ब) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समकक्ष में नकद और बैंक बैलेंस, चैक, तीन महीने या उससे कम की

मूल परिपक्वता वाली मांग जमा, जो कि मूल्य में परिवर्तन और शद्ध बैंक ओवर ड्राफ्टों का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

भ) **वित्तीय साधन : –**

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को अपने उचित मूल्य में अधिक या कम लेनदेन की लागत से मान्यता प्राप्त है जो कि प्रत्यक्ष अधिग्रहण या वित्तीय साधनों के जारी होने के कारण हो सकते हैं।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, अगर ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत शर्तों को निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उजागर करना है जो केवल पूरी तरह से मूलधन और मूलधन पर ब्याज के बकाया का भुगतान करना है। प्रभावी ब्याज दर विधि में कम हानि, यदि कोई हो, का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित वित्तीय संपत्ति का परिशोधित मूल्य पर मापा जाता हैः –

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) रिटेंशन मनी

(iii) नकद और नकद समकक्ष

(iv) अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोज्य अग्रिम

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाती हैं यदि ये वित्तीय संपत्ति एक ऐसे व्यवसाय में प्रयोग होती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तों दोनों के द्वारा निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह बनता है, को बकाया मूलधन और मूलधन पर ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधानों को पहले और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधियों अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, नुकसान हानि और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पीएंडएल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता हटाने संचयी लाभ या हानि को इक्विटी को पहले ओसीआई में मान्यता को पी एंड एल में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो कि वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में नहीं पूरा करती है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को परिलक्षित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफओवीटीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसी मानदंडों को पूरा करती है। यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर सकता है

एफ.वी.टी.पी.एल श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें पीएंडडी के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन हैं।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देनदारियों, प्रतिभूति जमा, प्रतिदेय अग्रिम और रिटेंशन मनी को प्रदत्त परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं में शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया गया है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय देनदारियों को परिलक्षित नहीं किया है।

मान्यता हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल है, को स्थानांतरित करता है।

वित्तीय दायित्व

जब देयताओं के अन्तर्गत दायित्व की बाध्यता खारिज या रद्द या समाप्त की जाती है तो वित्तीय देयता की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से हटाकर उसी ऋणदाता से बदल मौजूदा दायित्वों की शर्तों को काफी हद तक संशोधित करके बदल दिया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त माना जाता है और एक नई देयताओं के रूप में मान्यता में माना जाता है और नई देयता के मान्यता और संबंधित कैरिंग राशि में अंतर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

क) उचित मान मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाता है। उचित मूल्य माप अनुमान पर आधारित है जो कि परिसंपत्ति को बेचने के लेन–देन या दायित्वों का स्थानांतरण निम्न प्रकार करता हैः–

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या दायित्व के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी को प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग संपत्ति या दायित्वों के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने उनके आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी वैल्यूएशन तकनीकों का उपयोग, करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनत्मक इनपुट के उपयोग को अधिकतम करके और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करते हैं।

परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए जो उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार करते हैं जो सम्पूर्ण रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैः

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) बाजार मूल्य

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकों जिसके लिए न्यूनतम मूल्य इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण सबसे कम स्तर का इनपुट अप्रभावी है।

परिसम्पत्तियों और देयताओं पर वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार में पहचाने जाते हैं, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का क्या फिर से मूल्यांकन (निम्न स्तर इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है) अनुक्रम स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया गया है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में झुकाव का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी अनुबंधों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में नवीनतम मूल्यांकन में प्रमुख लागू इनपुट का सत्यापन करने जानकारी को स्वीकार करने में करती है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि प्रासंगिक बाह्य स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन और देयता में परिवर्तन क्या उचित है।

उचित मूल्य प्रकटन के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों की प्रकृति, विशेषताओं और परिसंपत्तियों या दायित्वों के जोखिम और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित किया है जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है।

x) समूह के वित्तीय विवरणों को जारी करने की तारीख तक जारी किए गए मानकों में संशोधन, लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, का प्रकटन नीचे किया गया है। समूह इन मानकों को अपनाने की इच्छा रखता है, यदि लागू हो, जब वे प्रभावी हो जाएंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों (भारतीय लेखांकरण मानक) संशोधन नियम, 2017 जारी किए हैं और निम्नलिखित मानक में संशोधन किया है:

- **नकद प्रवाह में भारतीय लेखाकरण मानक 7 विवरण में संशोधन**

भारतीय लेखाकरण मानक 7 के संशोधनों में एक संस्था को प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जिसमें वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तन से उत्पन्न दोनों परिवर्तन शामिल हैं।

संशोधन के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर, संस्थाओं को पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। इस संशोधन के अनुप्रयोग में कोई मान्यता और माप प्रभाव नहीं होगा। तथापि वित्तीय विवरणों में इसके अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी।

- **शेयर आधारित भुगतान के रूप में भारतीय लेखाकरण मानक 102 में संशोधन**

एमसीए ने भारतीय लेखाकरण मानक 102 का संशोधन जारी किया है जिसमें तीन मुख्य क्षेत्रों को ध्यान दिया है: नकद–सेवित शेयर–आधारित भुगतान लेन–देन के माप पर निषेध शर्तों का प्रभाव, टैक्स दायित्वों को रोकने के लिए नेट सेटलमेंट सुविधाओं के साथ शेयर आधारित भुगतान लेनदेन का वर्गीकरण और लेखांकन जहां शेयर–आधारित भुगतान लेन–देन के नियमों और शर्तों में संशोधन किया गया है, उसके वर्गीकरण को कैश सेटल्ड से इक्विटी सेटल्ड में बदला जाना है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। इस संशोधन के अनुप्रयोग से कोई मान्यता और माप प्रभाव नहीं होगा।

नोट सं. 3 : सम्पत्ति, संयंत्रों और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	लीज़ होल्ड लैंड	फ्री होल्ड लैंड	लीज़होल्ड भूमि पर फ्लैट	लीज़होल्ड सुधार	भवन फैक्ट्री लीजहोल्ड	भवन कार्यालय लीज़होल्ड	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत उपकरण लगाना	कम्प्यूटर	एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं स्थापना	लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
सकल आगे बढ़ाई राशि														
1 अप्रैल 2015 को	226.17	1,128.75	951.87	1,387.72	2,180.56	79.52	4,181.98	460.76	7,001.34	454.04	1,858.17	637.07	5,079.34	25,627.29
जोड़े	1,018.06	167.56	–	39.68	10.71	90.09	387.20	28.15	376.01	12.65	112.38	29.23	–	2,271.73
निपटान/समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	59.18	1.94	215.05	14.58	–	290.75
31 मार्च 2016 को	**1,244.23**	**1,296.31**	**951.87**	**1,427.40**	**2,191.27**	**169.61**	**4,569.18**	**488.91**	**7,318.17**	**464.75**	**1,755.50**	**651.72**	**5,079.34**	**27,608.27**
जुड़ी	43.07	–	–	15.12	270.80	–	1,057.43	42.62	605.39	18.59	73.75	29.49	33.21	2,189.47
निपटान/समायोजन	–	–	–	140.72	–	–	–	–	12.33	0.39	33.76	7.38	–	194.58
31 मार्च 2017 को	**1,287.30**	**1,296.31**	**951.87**	**1,301.80**	**2,462.07**	**169.61**	**5,626.61**	**531.53**	**7,911.23**	**482.95**	**1,795.49**	**673.83**	**5,112.55**	**29,603.16**
संचित मूल्यह्रास और हानि														
31 मार्च 2015 को	–	–	108.88	608.28	244.91	14.93	1,492.74	202.77	4,052.01	177.92	1,363.47	430.49	2,188.94	10,885.34
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	1.33	–	30.07	113.72	58.37	2.70	126.29	29.97	676.50	41.74	180.66	34.71	283.10	1,579.16
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निपटान/समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	51.47	1.07	173.60	9.33	–	235.47
31 मार्च 2016 को	**1.33**	**–**	**138.95**	**722.00**	**303.28**	**17.63**	**1,619.03**	**232.74**	**4,677.04**	**218.59**	**1,370.53**	**455.87**	**2,472.04**	**12,229.03**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	1.33	–	29.99	108.69	58.39	12.85	137.55	32.60	728.57	41.45	144.12	30.93	299.11	1,625.60
हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निपटान/समायोजन	–	–	–	51.17	–	–	–	–	10.37	0.13	25.78	3.42	–	90.87
31 मार्च 2017 को	**2.66**	**–**	**168.94**	**779.56**	**361.67**	**30.48**	**1,756.58**	**265.34**	**5,395.24**	**259.91**	**1,488.87**	**483.38**	**2,771.15**	**13,763.79**
शुद्ध आगे बढ़ाया मूल्य														
31 मार्च 2017 को	**1,284.64**	**1,296.31**	**782.93**	**522.24**	**2,100.40**	**139.14**	**3,870.03**	**266.19**	**2,515.99**	**223.04**	**306.62**	**190.45**	**2,341.39**	**15,839.36**
31 मार्च 2016 को	**1,242.90**	**1,296.31**	**812.92**	**705.40**	**1,887.99**	**151.99**	**2,950.15**	**256.17**	**2,641.13**	**246.16**	**384.95**	**195.85**	**2,607.30**	**15,379.21**
31 मार्च 2015 को	**226.17**	**1,128.75**	**842.99**	**779.44**	**1,935.65**	**64.60**	**2,689.24**	**257.99**	**2,949.33**	**276.12**	**494.70**	**206.58**	**2,890.40**	**14,741.95**

नोट :– 3.1 कम्पनी ने अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणें के आगे बढ़ाए मूल्य को वित्तीय विवरण में लेन देन भारतीय लेखामानकों के अनुसार की तिथि से आंका जाए।

नोट : 3.2 कम्पनी ने वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान एक पैन इण्डिया लग्ज़री पर्यटन गाड़ी को अधिग्रहण किया जिसकी कुल लागत 5,046.57 लाख रूपए थी। पर्यटन मंत्रालय ने 1,237 लाख रूप की सब्सिडी दी जिसे आस्थगित अनुदान में मान्यता दी गई और मूल्यह्रास के अनुपात में चुकता किया गया।

नोट सं. 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(लाख रू. में)

विवरण	रेल नीर संयंत्र	कॉरपोरेट कार्यालय	रेल नीर संयंत्र संक्रेल	रेल नीर संयंत्र बिलासपुर	रेल नीर संयंत्र, मसूरी, गुलावटी रोड	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	267.19	304.05	362.52	–	520.91	193.15	1,647.82
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	–	554.28	–	500.50	–	–	1,054.78
समायोजन	267.19	–	362.52	–	520.91	132.82	1,283.44
1 अप्रैल 2016 को इतिशेष	–	**858.33**	–	**500.50**	–	**60.33**	**1,419.16**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	–	678.23	–	–	–	86.03	764.26
समायोजन	–	–	–	500.50	–	–	500.50
31 मार्च 2017 को इतिशेष	–	**1,536.56**	–	–	–	**146.36**	**1,682.92**

नोट सं. 4.1 (i) रेल नीर संयंत्रों के अलावा रेलवे ने रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में किए गए सिविल कार्य के व्यय को लीज़ में सुधार के रूप में माना गया है और इसमें 10 साल की अवधि में मूल्यह्रास हुआ है।

(ii) रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण लीज़ पर किया गया है और उसी अवधि में मूल्यह्रास हुआ है।

नोट सं. 4.2 आईआरसीटीसी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की स्थापना के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली है, जिसकी लीज़ अवधि रेलवे के प्राधिकारियों ने द्वारा तय नहीं की गई। रेलवे की नीति के अनुसार लीज़ की अधिकतम समय सीमा 35 वर्ष तक हो सकती है जो कि आगे 35 वर्ष के लिए नवीकरणीय योग्य होगी। नांगलोई, दानापुर, पालूर और अम्बरनाथ में रेल नीर संयंत्रों की बिल्डिंगों का मूल्यह्रास को सीधे रूप में वित्तीय पॉलिसी का निरंतर पालन करके किया है। आईआरसीटीसी ने रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को प्रदान की गई भूमि लीज़ की अधिकतम समयसीमा की पुष्टि के लिए रेलवे को लिखा है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेन्स	कुल
नोट : 5 मूर्त परिसम्पत्तियां			
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	1,952.22	1,341.32	**3,293.54**
वर्ष के दौरान जोड़	166.36	0.49	166.85
समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2016 को इतिशेष	**2,118.58**	**1,341.81**	**3,460.39**
वर्ष के दौरान जोड़	718.23	41.08	759.31
समायोजन	–	–	–
31 मार्च 2017 को इतिशेष	**2,836.81**	**1,382.89**	**4,219.70**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	580.72	1,218.12	**1,798.84**
वर्ष के दौरान परिशोधन	456.58	86.58	543.16
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–
31 मार्च 2016 को इतिशेष	**1,037.30**	**1,304.70**	**2,342.00**
वर्ष के दौरान परिशोधन	565.92	49.85	615.77
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–
31 मार्च 2017 को इतिशेष	**1,603.22**	**1,354.55**	**2,957.77**
शुद्ध आगे बढ़ाई वेल्यू			
31 मार्च 2017 को	**1,233.59**	**28.34**	**1,261.92**
31 मार्च 2016 को	**1,081.28**	**37.11**	**1,118.39**
31 अप्रैल 2015 को	**1,371.50**	**123.20**	**1,494.70**

नोट :– 5.1 कम्पनी ने इसकी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरणें के आगे बढ़ाए मूल्य को वृद्धि के लिए वित्तीय विवरण में लेनदेन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार आंका गया है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट :–. 6 वित्तीय परिसम्पत्तियां – अप्रचलित			
नोट :– 6.1 अप्रचलित निवेश			
क. संयुक्त उद्ययम के इक्विटी उपकरणों पर निवेश			
रॉयल इण्डियन रेल टूअर्स के प्रत्येक 10/–रू. 25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को 25,000 10/– रू. प्रत्येक इक्विटी शेयर)	250.00	250.00	250.00
घटाएं : निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)	(250.00)
ख. अन्य निवेश			
एनएससी 8वें इश्यू पर निवेश	0.20	0.20	0.20
जोड़ें : उपार्जित ब्याज	0.12	0.12	0.12
कुल निवेश	**0.32**	**0.32**	**0.32**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 6.1 क – कुल अप्रचलित निवेश			
बिना निवेश वाले निवेश की कुल राशि	250.00	250.00	250.00
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	(250.00)	(250.00)	(250.00)
नोट : 6.2 – ऋण			
क) प्रतिभूति जमा	1,177.76	1,071.45	1,012.21
कुल	**1,177.76**	**1,071.45**	**1,012.21**
नोट : 6.3 – अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिपक्वता के लिए 12 महीने से अधिक सावधि जमा जो मार्जिन मुद्रा या उधार प्रतिभूति गारंटी या अन्य जिम्मेदारी और बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी ली गई।	40.88	123.95	173.87
कुल	**40.88**	**123.95**	**173.87**
नोट : 7 – आस्थगित कर			
क. आस्थगित कर देयताएं			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,038.16	931.85	620.91
आस्थगित कर देयताओं का योग	**1,038.16**	**931.85**	**620.91**
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी लाभ	2,740.45	2,568.31	2,001.89
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	–	–	–
संदिग्ध कर्ज	1,353.63	1,353.63	1,184.63
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	3,780.98	3,683.89	2,989.05
निवेश	86.52	86.52	84.98
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	**7,961.58**	**7,692.35**	**6,260.54**
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पतियों	**6,923.41**	**6,760.50**	**5,639.63**

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/(देयताओं) का संचलन राशि (₹ लाख में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध ऋण	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	कुल
1 अप्रैल 2015 को अथशेष	**(620.91)**	**2,001.89**	**1,184.63**	**2,989.05**	**84.98**	**5,639.63**
वर्ष 2016–17 के दौरान प्रभार/(जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	(310.94)	498.89	169.00	694.84	1.55	1,053.33
अन्य व्यापक आय के लिए	–	67.54	–	–	–	67.54
31 मार्च 2016 को इतिशेष	**(931.85)**	**2,568.31**	**1,353.63**	**3,683.89**	**86.52**	**6,760.50**
वर्ष 2016–17 के दौरान प्रभार/(जमा)						
लाभ एवं हानि के लिए	(106.31)	120.61	–	97.09	–	111.40
अन्य व्यापक आय के लिए	–	51.52	–	–	–	51.52
31 मार्च 2017 को इतिशेष	**(1,038.16)**	**2,740.45**	**1,353.63**	**3,780.98**	**86.52**	**6,923.41**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 8 – अन्य गैर प्रचलित परिसम्पत्तिया			
क) अग्रिम पूंजी			
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए इंडियन रेलवे को अग्रिम पूंज (संदर्भ नोट :– 61)	211.43	211.43	211.43
फ्लैट निर्माण और भूमि के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को अग्रिम पूंजी (संदर्भ नोटः– 61)	342.00	342.00	342.00
इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में निक्सी कम्पनी को अग्रिम पूंजी	72.42	–	–
इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में क्रिस को अग्रिम पूंजी	–	698.40	668.40
जल उपचार संयंत्र को उन्नयन करने के लिए ऑयन एक्सचेंज (आई) लिमिटेड को अग्रिम पूंजी	–	–	59.58
अन्य			
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	517.65	454.39	196.76
पूर्वदत्त किराया	35.92	53.93	73.63
कुल	**1,179.42**	**1,760.15**	**1,551.80**

'यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :–9 सूचियां (जैसा कि लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)			
कच्चा माल	240.38	358.82	233.01
कार्य प्रगति पर	59.44	50.06	–
तैयार माल	276.80	313.10	617.98
व्यापार माल – पैक्ड (पीडी) मदें	81.43	104.09	102.64
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	**658.05**	**826.07**	**953.63**
नोट : 10 वित्तीय परिसम्पत्तियां			
नोट : 10.1 व्यापार प्राप्तियां			
असुरक्षित			
उचित पाया	28,866.52	25,147.95	25,004.05
संदिग्ध पाया	3,848.84	3,848.84	3,422.75
घटाएंः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(3,848.84)	(3,848.84)	(3,422.75)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**28,866.52**	**25,147.95**	**25,004.05**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 10.2 नकद और नकद समकक्ष			
नकदी उपलब्ध	63.26	82.70	73.99
चेक्स / ड्राफ्ट्स हाथ में	53.25	55.49	354.00
बैक में अधिशेष			
–चालू खाते में	27,243.38	7,421.44	4,498.23
–फ्लेक्सी खाते में	21,251.82	11,402.02	9,112.51
–तीन महीनों से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा		64.63	
कुल	**48,611.71**	**19,026.28**	**14,038.73**
नोट : 10.3 – नकद और नकद के समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष			
परिपक्वता के लिए तीन महीने या उससे अधिक परंतु 12 महीने से अधिक नहीं सावधि जमा (संदर्भ नोट 57)	36,250.32	42,500.00	20,974.40
बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि	434.18	237.32	99.11
बैक में अधिशेष			
–चालू खाते में – (आईएचएचए सम्मेलन के कारण सरप्लस को रेलवे को देय निर्धारित निधि)	–	–	162.40
–चालू खाते में – (सीएसआर ट्रस्ट से प्राप्त और सीएसआर खर्चों से निर्धारित)	–	24.73	133.83
कुल	**36,684.50**	**42,762.05**	**21,369.74**
नोट 10.4 अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां			
प्रोद्भुत ब्याज परंतु सावधि और फिक्स जमाओं पर देय नहीं	1,303.21	3,343.87	1,411.17
अन्य अग्रिम एवं प्राप्तियां	288.74	294.49	277.46
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(62.48)	(62.48)	(62.48)
कुल	**1,529.47**	**3,575.88**	**1,626.15**
नोट :– 11 प्रचलित कर परिसम्पत्तियां			
आयकर की वापसी	683.59	811.78	1,065.03
कुल	**683.59**	**811.78**	**1,065.03**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट :–12 अन्य चालू परिसम्पत्तियां			
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम			
पूर्वदत्त व्यय	535.92	431.50	262.71
पूर्वदत्त किराया	18.01	24.20	29.14
अन्य			
अन्य अग्रिम	1,779.72	1,530.41	1,405.32
सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	1,929.42	1,697.32	1,241.91
कर प्राप्तियां	18.43	0.89	–
रेलवे के पास जमा अन्य	33,172.33	27,631.40	29,297.02
("सर्वड फरोम इंडिया स्किम) के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स	69.76	–	–
कुल	**37,523.59**	**31,315.72**	**32,236.10**

*यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट : 13 – इक्विटी शेयर पूंजी			
प्राधिकृत शेयर पूंजी			
प्रत्येक 10 रू. मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(31 मार्च 2016 एवं 1 अप्रैल 2015, प्रत्येक 10 रू. की दर से 5,00,00,000 शेयर)	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी			
प्रत्येक 10 रू. मूल्य के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	2,000.00	2,000.00
(31 मार्च 2016 एवं 1 अप्रैल 2015, प्रत्येक 10 रू. की दर से 2,00,00,000 शेयर)	**4,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**

नोट : 13.1 – इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयरपूंजी का समाधान राशि (₹ लाख में)

	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की सं. लाखों में	राशि (लाख रू. में)	शेयरों की सं. लाखों में	राशि (लाख रू. में)	शेयरों की सं. लाखों में	राशि (लाख रू. में)
जारी/सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारंभ में बकाया	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी (बोनस) किए गए शेयर	200.00	2,000.00	–	–	–	–
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी (बोनस) किए गए शेयर जारी/सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया	**400.00**	**4,000.00**	**200.00**	**2,000.00**	**200.00**	**2,000.00**

नोट :– 13.2 शेयरों से संबंधित अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध

कम्पनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रू. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयर धारक को प्रतिशेयर के बदले एक मतदान का अधिकार है । अंतरिम लाभांष को छोड़कर, बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांष पर अनुमोदन आगामी आम सभा की बैठक में लिया जाना है। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं हैं, अतः तरलता की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने की पात्रता है।

नोट : 13.3 –

कम्पनी में संकलित शेयर के 5 प्रतिशत से अधिक के हिस्से के शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण

राशि (₹ लाख में)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
	शेयरों की सं. लाखों में	होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की सं. लाखों में	होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की सं. लाखों में	होल्डिंग का प्रतिशत
इक्विटी शेयर						
रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं इसके नामित	400.00	100.00%	200.00	100%	200.00	100%
कुल	**400.00**	**100.00%**	**200.00**	**100%**	**200.00**	**100%**

नोटः 13.4 – पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह से बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
	संख्या लाखों में है	संख्या लाखों में है	संख्या लाखों में है	संख्या लाखों में है	संख्या लाखों में है
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	200.00	–	–	–	–
कुल	**200.00**	**–**	**–**	**–**	**–**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 14			
अन्य इक्विटी			
सामान्य आरक्षित	38,491.70	34,991.70	31,491.70
प्रतिधारित आय	35,342.19	33,065.46	19,718.18
कुल	**73,833.89**	**68,057.16**	**51,209.88**
नोट : 14.1			
सामान्य आरक्षित			
अथशेष	34,991.70	31,491.70	27,991.70
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	3,500.00	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	**38,491.70**	**34,991.70**	**31,491.70**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 14.2 – प्रतिधारित आय			
अथशेष	33,065.46	19,718.18	19,718.18
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण के अन्तरण के दौरान लाभ	21,171.24	19,729.54	–
परिभाषित लाभ के शुद्ध दायित्व की मापक द्वारा कर से उत्पन्न अन्य आय	200.39	262.69	–
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(11,295.40)	(2,613.00)	–
इक्विटी शेयरों पर लाभांश कर का भुगतान	(2,299.50)	(531.95)	–
सामान्य आरक्षित को अन्तरण	(3,500.00)	(3,500.00)	–
	37,342.19	33,065.46	19,718.18
घटाएं: जारी बोनस शेयर	(2,000.00)	–	–
इतिशेष	**35,342.19**	**33,065.46**	**19,718.18**
प्रस्तावित और वितरित किया गया			
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किया गया नकद लाभांश			
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्तिम लाभांश : 37.73 रू. प्रति शेयर (01 अप्रैल 2015 को 13.07 रू. प्रति शेयर था।	7,545.40	2,613.00	–
अन्तिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	1,536.09	531.95	–
	9,081.49	**3,144.95**	**–**
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश 21.17 प्रति शेयर (31 मार्च 2016 37.73 रू. प्रति शेयर)	8,468.49	7,545.40	2,613.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	1,724.02	1,536.09	531.95
	10,192.51	**9,081.49**	**3,144.95**

*इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) शेयरधारकों के द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2017 तक उत्तरदायी नहीं माना गया है।

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 15 – वित्तीय देयताएं–अप्रचलित			
नोट : 15.1 – अन्य			
प्रतिभूति जमा	10,373.28	9,941.08	9,260.95
कुल	**10,373.28**	**9,941.08**	**9,260.95**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट : 16 – प्रावधान–अप्रचलित			
कर्मचारी लाभांश के लिए प्रावधान			
सेवानिवृत्ति लाभ (संदर्भ नोट :–42)	7,797.35	7,162.40	5,492.34
कुल	**7,797.35**	**7,162.40**	**5,492.34**
नोट : 17 – अन्य अप्रचलित देयताएं			
आस्थगित अनुदान	476.71	564.62	636.41
प्रतिभूति जमा का आस्थगित भाग *	356.35	243.04	213.22
कुल	**833.06**	**807.66**	**849.63**

*यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट : 18 – वित्तीय देयताएं–प्रचलित			
नोट : 18.1 – व्यापार देयता			
एमएसएमई को देय (नोट सं. 67 देखें)	36.30	53.90	69.53
अन्य को देय			
माल के लिए	1,753.12	1,066.43	856.02
सेवा के लिए	11,928.74	4,009.78	3,110.39
कुल	**13,718.16**	**5,130.11**	**4,035.94**
नोट : 18.2 – अन्य वित्तीय देयताएं			
बयाना राशि जमा	1,897.41	546.45	230.53
आईएचएचएए सम्मेलन के कारण रेलवे को सरप्लस के कारण देय निर्धारित निधि	–	–	162.40
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	910.75	1,195.57	325.88
कैपेक्स को देय	–	–	145.75
सीएसआर ट्रस्ट से प्राप्त	–	24.73	133.83
अन्य को देय के लिए–खर्चो का प्रावधान	31,349.75	26,229.30	24,364.93
अग्रिम लीज़ किराया	1,741.50	1,741.50	1,741.50
कुल	**35,899.41**	**29,737.55**	**27,104.82**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
नोट :–19 अन्य प्रचलित देयताएं			
क) अग्रिम में प्राप्त आय			
असमाप्त छूट शुल्क	2.15	43.96	65.12
असमाप्त लाइसेन्स शुल्क	7,442.92	4,804.95	3,743.88
असमाप्त उपभोक्ता प्रभार	36.32	19.92	18.83
रोलिंग जमा अग्रिम आय	12,242.87	3,175.58	3,902.34
अग्रिम प्राप्त	3,841.89	5,872.32	3,589.55
	23,566.15	13,916.73	11,319.72
ख) अन्य			
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (संदर्भ नोट :– 37.4)	8,210.01	7,979.01	7,263.00
देय कर (वैधानिक देयताएं)	725.55	623.38	437.52
प्रतिभूति जमा का आस्थगित भाग*	223.81	207.23	135.19
वैधानिक बकाया	2,722.24	2,633.41	1,509.17
आस्थगित अनुदान	87.91	71.79	68.39
कुल	**35,535.66**	**25,431.56**	**20,732.99**

* यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के अंतर के बीच परिशोधन के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट : 20 – प्रावधान–प्रचलित			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (संदर्भ नोट :– 42)	121.18	258.75	397.29
कुल	**121.18**	**258.75**	**397.29**

नोट : 21 – प्रचलित कर देयताएं			
आयकर के लिए प्रावधान	11,787.14	12,002.72	8,339.86
अग्रिम कर	(10,000.00)	(8,500.00)	(6,038.00)
टीडीएस प्राप्तियां	(1,235.72)	(930.12)	(829.97)
शुद्ध अग्रिमकर और टीडीएस के लिए आयकर प्रावधान	**551.42**	**2,572.60**	**1,471.89**

राशि (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट : 22 – परिचालन से राजस्व				
क. उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)				
रेलनीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)	15,456.07		13,051.95	
विभागीय खानपान				
–फूड एंड बेवरेज की बिक्री	21,711.28		22,655.37	
गैर–रेलवे व्यवसाय				
–खानपान से आय	1,574.72		2,655.06	
–अन्य सेवाओं से आय	10.65		68.87	
	38,752.72		**38,431.25**	
कुल–उत्पादों की बिक्री		**38,752.72**		**38,431.25**
ख. सेवा की बिक्री				
i) इंटरनेट टिकटिंग				
अर्जित सेवा प्रभार – भारतीय रेलवे टिकट	36,224.95		55,149.29	
(क)	**36,224.95**		**55,149.29**	
ii) लाइसेन्स खानपान सेवाएं से आय				
प्रदान की गई व्यापक सेवाओं ओर खानपान से आय राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य सेवाएं	3,604.29		2,209.09	
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क इत्यादि से आय				
कंसेशन शुल्क से आय	68.65		145.97	
लाइसेन्स शुल्क से आय	8,330.22		1,714.89	
उपभोक्ता प्रभार से आय–फूड प्लाजा	197.77		285.61	
लाइसेन्स शुल्क से आय–फूड प्लाजा (संदर्भ नोट सं. 58)	3,617.95		2,948.99	
(ख)	**15,818.88**		**7,304.55**	
iii) पर्यटन				
यात्रा एवं पर्यटन राजस्व	47,971.90		32,343.65	
उपभोक्ता प्रभार से आय–रेल यात्री निवास	123.18		115.12	
लाइसेन्स शुल्क से आय–रेल यात्री निवास	194.28		196.39	
महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	4,050.56		4,578.71	
(ग)	**52,339.92**		**37,233.87**	
कुल–सेवाओं की बिक्री (क+ख+ग)		**104,383.75**		**99,687.71**
अन्य परिचालन आय				
स्क्रैप बिक्री – रेल नीर	51.84		45.70	
स्क्रैप बिक्री – विभागीय खानपान	1.49		0.52	
स्क्रैप बिक्री – गैर – रेलवे खानपान	1.25		3.83	
"सर्वड फरोम इण्डिया स्किम" के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स के अन्तर्गत आय	71.10		4.14	
	125.68		**54.19**	
		125.68		**54.19**
परिचालन से राजस्व (सकल)		**143,262.15**		**138,173.15**

राशि (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
नोट :– 23 अन्य आय					
ब्याज आय					
एफडीआर एवं टीडीआर पर ब्याज से आय (सकल)		4,439.13		4,803.63	
ब्याज आय – अन्य		28.07		69.71	
	(क)	**4,467.20**		**4,873.34**	
अन्य गैर – परिचालनिक आय					
– लाइसेंस फीस कॉल सेन्टर से प्राप्त आय		250.00		225.00	
– प्रचार से प्राप्त आय/एसबीआई को–ब्रैन्डिड एवं लॉयल्टी कार्ड्स		8,085.42		5,935.85	
– आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे इत्यादि से प्राप्त आय		2,078.63		1,885.15	
– काऊंटरमेन्डिंग प्रभार एवं जमा प्रतिभूति जब्त		168.86		59.37	
– ठेकों पर जब्ती से प्राप्त आय		–		4.73	
– टेंडर फार्म की ब्रिकी		7.24		5.25	
– विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से आय		29.48		9.03	
– पिछले अवधि की आय		288.92		109.48	
– पूंजी अनुदान की ऋण मुक्ति		71.79		68.39	
– आस्थगित प्रतिभूति जमा – देयता से ऋणमुक्ति से आय		238.78		180.50	
– प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय		23.00		27.24	
– विविध आय		660.08		766.37	
	(ख)	**11,902.21**		**9,206.66**	
कुल	(क+ख)		**16,369.41**		**14,080.00**
नोट :– 24 उपभोग की गई सामग्री की लागत					
रेल नीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)					
अथशेष स्टॉक		235.10		130.96	
जोड़ें : खरीद और व्यय		6,625.47		5,640.62	
		6,860.57		**5,771.58**	
घटाएं : इतिशेष स्टॉक		189.30		235.10	
	(क)	**6,671.27**		**5,536.48**	
विभागीय खानपान					
अथशेष स्टॉक		123.71		102.05	
जोड़ें : खरीद और व्यय		2,863.63		4,744.59	
		2,987.34		4,846.64	
घटाएं : इतिशेष स्टॉक		64.66		123.71	
	(ख)	**2,922.68**		**4,722.93**	
कुल	(क+ख)		**9,593.95**		**10,259.41**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
नोट : 25 स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद				
पैक्ड भोजन/तैयार भोजन की पुनः बिक्री के लिए खरीद	10,661.13		11,014.88	
खरीद – गैर – रेलवे खानपान	832.36		1,756.04	
	11,493.49		12,770.92	
कुल		**11,493.49**		**12,770.92**
नोट : 26 – तैयार सामान की वस्तु सूची में बदलाव, कार्यप्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक				
रेल नीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)				
अथशेष स्टॉक	313.10		617.98	
तैयार माल	50.06		–	
कार्य प्रगति पर	**363.16**		**617.98**	
इतिशेष स्टॉक	272.51		313.10	
तैयार माल	59.44		50.06	
कार्य प्रगति पर	**331.95**		**363.16**	
कुल		**31.21**		**254.82**
विभागीय खानपान				
अथशेष स्टॉक	–		–	
तैयार माल	104.09		102.64	
पैक्ड मदें	**104.09**		**102.64**	
इतिशेष स्टॉक	–		–	
तैयार माल	72.14		104.09	
पैक्ड मदें	**72.14**		**104.09**	
	31.95		**(1.45)**	
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी		**63.16**		**253.37**
नोट : 27 – लाइसेन्स खानपान सेवाओं का खर्च				
प्रदान की गई व्यापक सेवाएं और खानपान सेवाओं का खर्च				
ऑनबोर्ड खानपान एवं अन्य प्रभार – राजधानी एवं शताब्दी/प्रीमीयम गाड़ियां	3,612.60		2,210.39	
	3,612.60		**2,210.39**	
कंसेशन शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, इत्यादि खर्च				
कंसेशन शुल्क	10.30		27.97	
लाइसेन्स शुल्क	2,981.90		323.06	
उपभोक्ता प्रभार – फूड प्लाजा	79.11		114.24	
लाइसेन्स शुल्क –फूड प्लाजा	1,428.11		1,179.85	
सेवा कर – फूड प्लाजा (संदर्भ नोट 37)	49.55		1,134.70	
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क – फूड प्लाजा	0.87		1.89	
	4,549.84		**2,781.71**	
		8,162.44		**4,992.10**

राशि (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
नोट :– 28 – पर्यटन के खर्च					
यात्रा एवं पर्यटन खर्च		37,576.04		26,461.43	
लाइसेन्स शुल्क – रेल यात्री निवास		48.57		49.10	
उपभोक्त प्रभार – रेल यात्री निवास		30.79		28.78	
रेलवे भूमि का लाइसेन्स शुल्क का भुगतान–रेल यात्री निवास		0.04		0.04	
मरम्मत एवं अन्य प्रभार		247.09		188.00	
महाराजा एक्सप्रेस के खर्च		3,658.66		3,142.60	
		41,561.19		**29,869.95**	
			41,561.19		**29,869.95**
नोट :– 29 – विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष खर्च					
रेल नीर (पैक किया हुआ पीने का पानी)					
– प्रचालन एवं रखरखव प्रभार		866.63		943.09	
– लाइसेन्स शुल्क रेलवे भूमि		186.70		210.26	
– विद्युत एवं ईंधन		712.60		666.60	
– रख–रखाव एवं मरम्मत–संयंत्र एवं मशीनरी		27.00		24.58	
– रख–रखाव एवं मरम्मत–अन्य		36.44		24.23	
– अन्य प्रत्यक्ष खर्च		136.19		78.06	
– वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क		1,573.55		1,490.71	
	(क)	**3,539.11**		**3,437.53**	
विभागीय खानपान					
– आगत लदान और उतरान भाड़ा –खानपान		33.00		50.03	
– भोजन निरीक्षण खर्च		1.37		0.82	
– ईंधन		289.45		433.90	
– प्रबंधन सेवाओं की सुविधाओं पर खर्च		218.22		70.74	
– अन्य प्रत्यक्ष खर्च		111.70		155.29	
	(ख)	**653.74**		**710.78**	
इंटरनेट टिकटिंग					
– रख–रखाव एवं अन्य प्रभार		2,763.28		1,747.15	
– रद्दीकरण प्रभार		43.77		183.72	
– रेलवे शेयर (नोट सं.–58 में उल्लेख)		18,112.47		29,142.13	
– इंटरनेट उपयोग प्रभार		129.42		162.55	
– संदेशों पर खर्च		102.18		98.35	
	(ग)	**21,151.12**		**31,333.90**	
कुल	(क+ख+ग)		**25,343.97**		**35,482.21**

राशि (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट : 30 – कर्मचारी हित खर्च				
कर्मचारी हित खर्च				
–वेतन, मजदूरी एवं बोनस	14,085.02		14,277.05	
–भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	3,386.45		1,616.30	
–उपादान	475.77		644.27	
–कर्मचारी कल्याण खर्च	312.41		118.72	
	18,259.65		**16,656.33**	
		18,259.65		**16,656.33**
नोट : 31 – वित्तीय लागत				
ब्याज खर्च	2.82		11.51	
प्रतिभूति जमा पर गैर वसूली छूट	250.71		169.70	
	253.53		**181.21**	
		253.53		**181.21**
नोट : 32 – मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत				
–मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (संदर्भ नोट–3)	1,625.60		1,579.16	
–अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (संदर्भ नोट–5)	615.77		543.16	
	2,241.37		**2,122.32**	
		2,241.37		**2,122.32**
नोट : 33 – अन्य निवेश				
विद्युत एवं पानी		306.67		337.51
कार्यालय किराया		1,234.26		1,110.01
कर्त्तव्य, दरें और कर		15.34		29.70
मरम्मत एवं अन्य		591.85		773.39
बीमा		40.12		78.32
यात्रा खर्च		562.47		534.52
निदेशक बैठक शुल्क		2.56		2.76
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट सं. 33.1 देखें)		11.70		8.97
लागत लेखा परीक्षा शुल्क		2.78		3.12
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क		2.62		2.62
विधि एवं व्यावसायिक शुल्क		442.85		482.64
ग्राहक संतुष्टी सर्वे पर खर्च		352.12		328.88
माल जावक एवं सीएफए प्रभार		2,451.87		2,320.45
संदिग्ध एवं अग्रिम ऋणों के लिए प्रावधान		–		426.09
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व		434.76		290.67
पूर्व अवधि व्यय		126.66		216.73
डिजीटलीकरण यात्रा व्यय (यात्रा बीमा)		1,080.00		–
विज्ञापन खर्च		593.55		596.35
व्यवसाय विकास/विपणन व्यय		409.29		143.55
वेन्डर कमीशन		347.67		394.32
विदेशी विनिमय उतार चढाव में घाटा		–		–
एमएसएमई पर ब्याज		8.79		–
विविध खर्च		1,134.87		993.17
कुल		**10,152.80**		**9,073.77**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट : 33.1 – लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
लेखा परीक्षाकों को भुगतान का विवरण		
ऑडिट शुल्क	6.55	5.24
कर ऑडिट शुल्क	2.27	2.43
अन्य क्षमता में		
कम्पनी के कानूनी मामले	–	–
व्यय की प्रतिपूर्ति	2.88	1.30
कुल	**11.70**	**8.97**
नोट :–33 – आपवादिक मदें		
अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	340.97	87.37
कुल	**340.97**	**87.37**
नोट : 34 – आयकर खर्च		
प्रचलित आयकर		
प्रचलित आयकर प्रभार	11,787.14	12,002.72
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(111.40)	(1,053.33)
कुल	**11,675.74**	**10,949.39**
अन्य व्यापक आय में आयकर खर्च		
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(51.52)	(67.54)
	(51.52)	**(67.54)**
कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान		
निरंतर परिचालन से लेखा लाभ कर पूर्व	32,995.85	30,678.93
लेखा लाभ से कर पूर्व आय	**32,995.85**	**30,678.93**
भारत की सांविधिक आय कर दर 34.608% दर	11,419.21	10,617.36
कर योग्य आय की गणना में छूट (कर योग्य) में कर योग्य राशि का प्रभाव		
जोड़ें : भारतीय मानक लेखाकरण में आयकर में समायोजन की अनुमति नहीं है	4.54	2.72
देरी से कर जमा कराने पर ब्याज का भुगतान	3.13	1.21
सीएसआर व्यय	150.46	100.60
पूर्व अवधि का व्यय	43.83	–
एमएसएमई पर ब्याज व्यय	3.04	–
दिए गए आयकर पर ब्याज	–	204.72
दरों में बदलाव और अन्य मदों पर असर	–	-44.77
	205.01	**264.48**
प्रभावी आयकर की दरों पर	**11,624.22**	**10,881.85**
लाभ और हानि के विवरणों पर दिखाए गए आयकर खर्च (सतत् परिचालन से संबंधित)	11,624.22	10,881.85
प्रभावी आयकर दर	**35.23%**	**35.47%**

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नोट : 35 – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक		
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन		
–उपादान	126.49	154.14
–छुट्टी यात्रा रियायत	22.38	41.02
कुल	**148.87**	**195.15**
निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन पर कर	51.52	67.54
कुल	**51.52**	**67.54**

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	(₹ प्रति शेयर)	
नोट :– 36 – प्रति शेयर आय		
मूल ईपीएस		
निरंतर परिचालन से	52.93	49.32
रूके हुए परिचालन से	–	–
प्रतिशेयर कम की गई आय		
निरंतर परिचालन से	52.93	49.32
रूके हुए परिचालन से	–	–

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
36.1 प्रति शेयर बुनियादी आय		
प्रति शेयर मूल्य आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत आय और भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान प्रतिशेयर आय को वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समायोजन के बाद पुनः पेश किया गया है।		
कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ		
निरंतर परिचालन से	21,171.24	19,729.54
रूके हुए परिचालन से	–	–
प्रति शेयर की मूल कमाई की गणना में प्रयोग की गई आय	**21,171.24**	**19,729.54**
इक्विटी शेयर की औसत आय प्रतिशेयर मूल आय की गणना में इस्तेमाल होन वाली	400.00	400.00
36.2 प्रति शेयर कम की गई आय		
प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल होने वाली इक्विटी शेयर की औसत भारित संख्या		
कम्पनी के इक्विटी धारकों के मुकाबले लाभ		
निरंतर परिचालन	21,171.24	19,729.54
रूके परिचालन से		
निरंतर परिचालन से प्रतिशेयर कम की गई आय की गणना में इस्तेमाल आय	**21,171.24**	**19,729.54**
प्रति इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कम की गई आय को औसतन भारित संख्या में समाधान की गणना में इस्तेमाल प्रतिशेयर मूल आय निम्न हैं:		
प्रतिशेयर बुनियादी संख्या के उद्देश्य के लिए भारित औसत शेयर	400.00	400.00
डाईलूशन का प्रभाव	–	–
शेयरों की प्रति शेयर की कमाई के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या प्रतिशेयर डाईल्यूटिड आय	**400.00**	**400.00**

नोट : 37 – सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (लाख रू. में)

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधन			संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			पेंशन के लिए प्रावधान			छुट्टी के बदले नकद भुगतान का प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)			उपादान के लिए प्रावधन (सेवानिवृत्ति लाभ)		
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
अथ शेष	3,848.84	3,422.75	2,361.45	62.48	62.48	62.48	2,291.96	2028.39	1332.98	2,123.39	1604.68	1392.99	656.13	390.26	59.46
जोड़	–	426.09	1,061.30	–	–	–	648.98	263.57	695.41	555.63	626.87	349.72	349.28	490.12	518.79
उपयोग / योगदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(2,606.76)	(108.16)	(138.03)	(130.76)	(224.25)	(187.99)
रिवर्सल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इति शेष	3,848.84	3,848.84	3,422.75	62.48	62.48	62.48	2940.94	2291.96	2028.39	72.26	2123.39	1604.68	874.66	656.13	390.26

(लाख रू. में)

विवरण	विकल्प देने वालों के लिए पेन्शन का प्रावधान			सेवानिवृति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान			अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए प्रावधान			छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान		
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
अथ शेष	398.43	497.95	444.24	630.30	565.20	–	1257.22	775.41	431.94	63.74	27.73	24.5
जोड़	1,341.90	–	153.35	227.37	65.1	565.2	144.68	481.81	343.47	30.76	47.7	12.3
उपयोग / योगदान	(28.71)	(99.52)	(99.64)	–	–	–	–	–	–	(34.99)	(11.69)	(9.07)
रिवर्सलस	–	–	-	–	–	–	–	-	–	–	–	–
इति शेष	1,711.62	398.43	497.95	857.67	630.3	565.2	1,401.90	1257.22	775.41	59.51	63.74	27.73

Notes:

(i) संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता हैं।

(iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने 01 जनवरी 2007 से कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना बनाई है। यह योजना अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय में लम्बित है तथापि कम्पनी ने ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार लेखों में देयता का प्रावधान किया है।

(iv) पेशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी –रेलवे के बीच) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेने वालों के लिए प्रावधान किया गया है। ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100 प्रतिशत परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सकें। इससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकेगा। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान में 67.45 लाख का प्रावधान शामिल है।

नोट : 37.2 – आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रमाणिकृत और प्रमाणित)

अपीलीय/न्यायिक निर्णय के तहत कंपनी के विरूद्ध लंबित दावेः

राशि (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क.	कर्मचारी अदालती मामले–दक्षिण मध्य जोन	9.20	9.20	9.20
ख.	सेवाकर	2,591.55	2,542.00	1,407.30
ग.	अन्य	12,143.80	9,880.50	9,362.95
	कुल	**14,744.55**	**12,431.70**	**10,779.45**

निगम के खिलाफ दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं

राशि (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क.	सेवाकर	8,405.73	8388.36	9373.54
ख.	वैट	2,560.80	2,484.27	2,337.89
ग.	अन्य कर	0.90	7.74	7.74
	कुल	**10,967.43**	**10,880.37**	**11,719.17**

वहां सेवाकर का प्रावधान रखा है जहां मांग हुई है और सेवाकर विभाग द्वारा जहां भी कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं, वहां इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया है।

नोट : 37.3

10.12.2008 को किए गए संयुक्त उपक्रम समझौते के कारण रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का गठन कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था जिसमें आईआरसीटीसी एंव कॉक्स एंड किंग्स इसके शेयरधारी थे।

23 कोचों की एक लग्ज़री गाड़ी का आईआरसीटीसी ने निर्माण निधि दे और साज–सज्जा के द्वारा तैयार करके रॉयल रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को परिचालन के लिए तदर्थ आधार पर सौंपा गया था और इसका नाम महाराजा एक्सप्रेस रखा गया था। यह गाड़ी मार्च 2010 से अप्रैल 2011 तक चलाई गयी थी । इस अवधि के दौरान यह देखा गया कि गाड़ी परिचालन से संबंधित पक्षों के बीच विभिन्न समझौतों को अंतिम रूप नहीं देने दिया गया जिसमें गाड़ी के लिए लीज़ समझौता और भारतीय रेल के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल था। इसके अलावा देय कर्षण प्रभार आदि का भी भुगतान नहीं किया गया। अंततोगत्वा, आईआरसीटीसी ने 12.08.2011 को कॉक्स एंड किंग्स के साथ समझौते को समाप्त कर दिया और इस गाड़ी को आरआईआरटीएल से वापस भी ले लिया।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायलय की खंड पीठ द्वारा आईआरसीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कॉक्स एंड किंग्स ने उच्चतम न्यायलय की शरण ली। इस मामले पर उच्चतम न्यायलय ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय दिया, साथ ही यह टिप्पणी भी दी कि दोनों पक्ष अपने विवादों को सुलझाने के लिए पंचाट अधिकरण की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचाट अधिकरण के समक्ष कॉक्स एंड किंग्स की प्रार्थना संयुक्त उपक्रम समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए है।

कंपनी के पास उपलब्ध कानूनी राय और संयुक्त उपक्रम समझौते के समाप्त होने के मद्देनज़र आईआरसीटीसी का यह मानना है कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड मांगी गई राहत के सम्बन्ध में पंचाट का लाभ नहीं उठा सकती। आई आर सी टी सी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।

आईआरसीटीसी कॉक्स एंड किंग्स के इस दावे को नहीं मानती कि संयुक्त उपक्रम समझौते और परिणामतः वित्तीय प्रभाव को फिर से शुरू किया जाए जो कि इस समय आंका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 और 398 के अंतर्गत कॉक्स एंड किंग्स तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है, जो न्यायाधीन है।

37.4 : भारत के उच्च न्यायलय के समक्ष दायर वैट मामला

कॉरपोरेशन उन गाड़ियों में ऑनबोर्ड केटरिंग सेवाओं के लिए सेवाकर का भुगतान करता रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान प्रभार शामिल होते हैं। वैट कमिश्नर ने अपने 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी) (vii) की धारा 2 के अर्थो के भीतर गाड़ियों में ऑनबोर्ड केटरिंग सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की। अधिकरण ने अपने 07.09.2006 के आदेश द्वारा अपील पर केन्द्रीय अधिनियम के संबंध में टिप्पणी देते हुए यह कहा कि यह कार्य कमिशनर न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बाहर एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायलय, दिल्ली में उक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की जिसमें यह प्रार्थना थी कि आईआसीटीसी सेवाओं पर दिल्ली के वैट अधिनियम 2004 के अन्तर्गत वैट नहीं लगाया जा सकता और यह कि कॉरपोरेट की ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से वे हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं और वे केवल सेवाकर के दायरे में ही आता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय वैट के आयुक्त के निर्णय को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका खारिज़ कर दी। माननीय उच्च न्यायलय ने कहा कि कॉरपोरेशन को वैट देना होगा। बहरहाल, वे पहले से भुगतान किए जा चुके सेवाकर की वापसी ले सकता है।

इस निर्णय के पश्चात् कॉरपोरेशन ने जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के 19.07.2010 को पारीत निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका दायर की 2010 की विशेष अनुमति याचिका सं. 25292–25319 स्वीकार कर ली गई है और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निदेश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि मामला न्यायधीन है और कॉरपोरेशन को इस समय वैट का भुगतान नहीं करना है। तथापि, कॉरपोरेशन ने अपनी विवेकसम्मत लेखाकरण नीतियों के कारण वित्त 2016–17 के लिए पूरे भारत में 8210.01 लाख रूपए बिक्री से घटाकर अपने सेवा कर की वैट देयता के लिए व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप वैट इनपुट ग्राहयता को सरकारी प्राधिकारी के पास शेष दिखाया गया है

नोट : 37.5 – आकस्मिक परिसम्पत्तियां

(लाख रू. में)

क्र. सं.	मध्यस्ता	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पारितोषित राशि
1	फूड वर्ल्ड	गाडी नम्बर 2859–60, 2975–76 गाड़ियों में लाइसेन्स शुल्क राशि	सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी लम्बित	148
2	ए.के रॉय व. आईआरसीटीसी	2577–78, 5279–80, 2395–96, 9165/66/67–68, 2555–56, 2569–70, 2213–14, 2203–04, 2061–62, 2209–10, 1043–44	पटियाला हाऊस कोर्ट में लम्बित	21.95
3	सत्यम, सनसाइन एवं रूप कैटर्स	गाड़ी नम्बर 2801–02, 2311–12, 2471–78, 2779–80, 2955–56, 2521–22, 2833–34, 2707–08, 2721–22, 2703–04 – 4005–06	कोई अपील दायर नहीं की गई	269.05
3	रेलवे – यात्रा बीमा	रेल यात्रियों को बीमे की राशि की वापसी के लिए रेलवे पर दावा	–	1080
4	रेलव	यात्री फीड बैक प्रणाली	–	720.8

नोट : 38 – भुगतान के माध्यम (गेटवेज)

कपंनी इंटरनेट के जरिए रेलवे आरक्षण का कार्य करती है जिसके लिए पांच भुगतान गेटवेज़ और लगभग सभी बैंकों के पैंतीस से अधिक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी खातों मे बड़ी मात्रा में लेन–देन होता है और टिकटों की बुकिंग दिन प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लेन–देन की प्रक्रिया को सुगम बनाने का समाधन कर लिया गया है। तथापि आईआरसीटीसी के वर्ष 2016–17 से पहले के डाटा साइकल और संबंधित बैंकों के डाटा साइकल में आपस में तुलनात्मक मेल न होने की वजह से अभी भी कुछ अंतर मौजूद हैं। इस मामले को संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे अपना डाटा तुलनात्मक स्वरूप में भेजे, ताकि, मौजूद अंतर को समाप्त किया जा सके।

नोट : 39 – व्यापार प्राप्तियां

क. **रेलवे अधिशेष** व्यापार प्राप्तियां, भुगतान योग्य व्यापार रेलों को अग्रिम और प्रतिभूति जमा समाधान पश्चात् और रेलवे से पुष्टि तथा रेलवे से खानपान संभालने से पिछले बकाया शामिल हैं। कम्पनी ने रेलवे से बकाया की पहचान और पृथक करने की प्रक्रिया शुरू की है तथा अपुष्ट हैं और इनका मिलान नहीं हुआ है।

ख. **तृतीय पार्टी अधिशेष** तृतीय पार्टियों से बकाया के समाधान का काम तृतीय पार्टियों से पुष्टिकरण के द्वारा किया जा रहा है। प्रबंधन को समाधान प्रक्रिया के लिए नीति और कार्यप्रणाली का उपाय किया जाना और सुनिश्चित किया जाए कि समाधान और पुष्टिकरण नियमित किया जाए। व्यापार प्राप्तियां की पुष्टि और समाधान होने तक कॉरपोरेशन ने विभिन्न पार्टियों जिनमें रेलवे भी शामिल हैं तथा प्रबंधन के विचार से वसूली जाने वाली संदिग्ध राशियां हैं, के लिए शून्य की व्यवस्था की है (यह 31 मार्च 2016 को 426.09 लाख रू. और 01 अप्रैल 2015 को 1061.30 लाख रू. थी) करने का निर्णय लिया है।

नोट :–40 – पूंजीगत वचनबद्धता

पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की बाकी अनुमानित राशि जिनकी व्यवस्था थी। 31 मार्च 2017 को 2533.14 लाख रूपए नहीं की गई है जबकि पिछले वर्ष 31 मार्च 2016 को इसके लिए राशि 1476.14 लाख रूपए और 1 अप्रैल 2015 को 2323.13 लाख रूपए नहीं की गई थी।

नोट :–41

प्रबंधन के विचार से चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होने वाली राशियां और व्यवसाय से देय राशियां, जैसी कि तुलन पत्र में दर्शायी गई हैं, पुष्टीकरण के अध्ययधीन हैं।

नोट : 42 – कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण :–

(i) उपदान : उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से सेवा छोड़ने पर देय है। 10 लाख रुपए के उपदान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) छुट्टियों का नकदीकरण : उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, सेवा छोड़ने पर देय है। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन–पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बनाया जाता है।

(iii) अर्धवेतन छुट्टी : पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र कर ली है उन्हें उनके लिए तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) छुट्टी यात्रा रियायतः (एलटीसी) पात्र कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान किया जाता है।

(v) भविष्य निधि : कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कारपोरेशन के समतुल्य अंशदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसका लेखा जोखा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

(vi) इतर सेवा अंशदान : सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर भारतीय लेखाकरण मानक–15 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) बीमांकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.37%	7.91%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006–08) (विधिवत शोधित)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2006–08) (विधिवत शोधित)
(iii)	परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित वापसी	7.91%	8%
(iv)	वेतन वृद्धि	15%	15%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रा स्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेते हैं।		

(ख) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सेवाकाल में मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(ग) नियोक्ता व्यय के अवयव राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	चालू सेवा लागत	175.80	316.81	403.40	317.64	8.99	7.03	4.71	4.98
(ii)	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	संक्षेप लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	समापन लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	कुल सेवा लागत शुद्ध ब्याज लागत	175.80	316.81	403.40	317.64	8.99	7.03	4.71	4.98
(vi)	डीबीओ पर ब्याज खर्च	177.00	112.11	145.30	108.55	99.45	60.40	3.66	1.70
(vii)	ब्याज (प्लान परिसम्पत्तियों पर आय)	(130.01)	(92.94)	(92.77)	-	-	-	-	-
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	46.99	19.17	52.53	108.55	99.45	60.40	-	-
(ix)	तात्कालिक स्वीकृत लाभ / हानि अन्य दीर्घावधि के लाभ	-	99.70	200.67	36.24	414.38	-	-	-
(xi)	लाभ / हानि को शामिल कर तय लाभ लागत	222.79	335.98	555.63	626.87	144.68	481.81	8.37	6.68

(घ) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों / दायित्वों की स्वीकृति

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओं में बीमांकिक (लाभ) / हानि	–	–	–	14.99	–	14.99	–	0.21
(ii)	वित्तीय अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओं में बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,389.92	1,553.60	642.76	483.61	642.95	483.80	(1.24)	19.41
(iii)	डीबीओं पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1,265.86)	1,164.56	(635.82)	(297.92)	(606.71)	(84.42)	23.62	21.39
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसम्पत्तियों (से अधिक) / से कम	2.43	(234.90)	92.77					
(v)	ओसीआई में कुल बीमांकि (लाभ) / हानि शामिल	126.49	154.14	-	-	-	-	22.38	41.01
(vi)	लाभ एवं हानि और ओसीआई में (निर्धारित लाभ लागत) स्वीकृत कुल लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल लागत	222.79	335.98	555.63	626.87	144.68	481.81	8.37	6.68
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित अमापन	126.49	154.14					22.38	41.01
(ix)	कुल आस्थगित लाभ लागत	349.28	490.11	555.63	626.87	144.68	481.81	30.75	47.70

(ङ) तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/दायित्वों की स्वीकृति राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,708.03	2,244.24	2,527.11	1,971.48	1,401.90	1,257.22	59.50	63.73
(ii)	प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,830.05	1,584.79	2,524.31	-	-	-	-	-
(iii)	वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष/हानि)	(877.98)	(659.45)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	(59.50)	(63.73)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों/दायित्वों की स्वीकृति	(877.98)	(659.45)	(2.80)	(1,971.48)	(1,401.90)	(1,257.22)	(59.50)	(63.73)
(vi)	वर्तमान मूल्य की नकदी का दायित्व	-	-	-	-	1.295.18	-	-	-
(vii)	प्राप्त दयित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-	-	-	106.72	-	-	-
	वर्तमान देयताएं	**30.29**	**27.83**	**2.80**	**46.37**	**78.37**	**73.69**	**9.72**	**10.84**
	अप्रचलित देयताएं	**847.69**	**631.62**	**-**	**1,925.10**	**1,323.53**	**1,183.53**	**49.78**	**52.89**

(च) अवधि की समाप्ति में दायित्वों में परिवर्तन राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	मूल्य का आस्थगित लाभ का वर्तमान मूल्य प्रारम्भ में दायित्व	2,244.24	1,440.96	1,971.48	1,442.38	1,257.22	775.41	63.73	27.73
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	175.80	316.81	403.40	317.64	8.99	7.02	4.71	4.98
(iii)	ब्याज लागत	177.00	112.11	145.30	108.55	99.44	60.40	3.66	1.70
(iv)	प्लान संशोधन	-	-	-	-	-	-	-	-
(v)	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	संक्षेप	-	-	-	-	-	-	-	-
(vii)	समझौता	-	-	-	-	-	-	-	-
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	124.06	389.04	(6.94)	200.67	36.24	414.38	22.38	41.01
(ix)	भुगतान किया गया लाभ	(13.08)	(14.69)		(97.76)			(34.98)	(11.69)
(x)	निर्धारित लाभ का (इतिशेष) वर्तमान मूल्य	2,708.03	2,244.24	2,527.11	1,971.48	1,401.90	1,257.22	59.50	63.73

(छ) प्लान परिसम्पत्तियों के मूल्य के अथशेष और इतिशेष का समाधान राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	अवधि के शुरू में प्लान परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य	1,584.79	1,086.94	–	–	–	–	–	–
(ii)	अधिग्रहण समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii)	प्लान परिसम्पत्तियों पर निर्धारित वापसी	130.01	92.94	92.76598	–	–	–	–	–
(iv)	योगदान	130.76	184.69	2524.3103	97.76	–	–	34.98	11.69
(v)	भुगतान किया।	(13.08)	(14.69)	–	(97.76)	–	–		
(vi)	प्लान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(2.43)	234.90	–92.76598	–	–	–	–34.98	–11.69
(vii)	अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,830.05	327.84	2524.3103	–	–	–	–	–

(ज) अन्य व्यापक आय में राशि की स्वीकृति

राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	ओसी अथशेष (संचयी अस्वीकृत हानियां / (लाभ)	368.02	213.88	-	-	0	0	50.18	9.16
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	124.06	389.04	(6.94)	200.67	36.24	414.38	22.38	41.01
(iii)	परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	2.43	(234.90)	92.77	-	-	-	0	-
(iv)	संयची हानि (लाभ) ऋणमुक्ति	-	-	99.70	200.67	-	-	0	-
(v)	ओसीआई में शुद्ध वृद्धि	126.49	154.14	-	-	-	-	22.38	41.01
(vi)	पूर्व सेवा लागत दर ऋणमुक्ति	-	-	-	-	36.24	414.38	-	-
(vii)	अन्य व्यापाक आय में कुल स्वीकृति	494.51	368.02	-	-	-	-	72.56	50.18

(झ) तुलन–पत्र में शुद्ध परिसम्पत्तियों / देयताओं की स्वीकृति

राशि (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्धवेतन छुट्टी		एलटीसी	
		31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां / देयताएं	(659.45)	(354.02)	(1,971.48)	(1,442.38)	–1257.22	–775.41	–63.73	–27.73
(ii)	अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत संचयी ओसीआई / हानि	368.02	213.88	–	–	0	0	50.17	9.16
(iii)	प्रारंभ में समायोजन से पहले (उपार्जित) / पूर्व भुगतान लागत	(291.43)	(140.14)	(1,971.48)	(1,442.38)	–1257.22	–775.41	–13.55	–18.56
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत) / आय	(222.79)	(335.98)	(555.63)	(626.87)	–144.68	–481.81	–8.37	–6.68
(v)	नियोक्ता का योगदान	130.76	184.69	2,524.31	97.76			34.98	11.69
(vi)	अवधि के अंत में समायोजन से पहले (उपार्जित) / पूर्व भुगतान लाभ	(383.47)	(291.43)	(2.80)	(1,971.48)	–1401.9	–1257.22	13.06	–13.55
(vii)	अवधि के अंत में स्वीकृत संचित अन्य व्यापक आय / हानि राशि	494.51	368.02	–	–	–	–	72.56	50.18
(viii)	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध तुलन पत्र परिसम्पत्तियां / (देयताएं)	(877.98)	(659.45)	(2.80)	(1,971.48)	–1401.9	–1257.22	–59.5	–63.73

(ज) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ञ) संवेदनशील विश्लेषण 31 मार्च 2017 समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹ लाख में)

	अनुमानों पर बदलाव	उपादान दायित्व पर प्रभाव		छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव		अर्धवेतन छुट्टी पर प्रभाव		एलटीसी पर प्रभाव	
		डीबीओ में वृद्धि	दायित्व	डीबीओ में वृद्धि	दायित्व	डीबीओ में वृद्धि	दायित्व	डीबीओ में वृद्धि	दायित्व
छूट दर	+100% आधार बिंदु	-30.24%	188912075	-44.52%	140191779	-80.29%	27636791	-6.50%	5563266
	-100% आधार बिंदु	-3.96%	260092496	57.51%	398040435	103.69%	285557631	8.10%	6431968
वेतन वृद्धि दर	+100% आधार बिंदु	-16.38%	226434341	10.09%	278216532	18.21%	165715529	6.24%	6321298
	100% आधार बिंदु	-20.91%	214173672	-9.75%	228065721	-17.59%	115525662	-4.30%	5694166
संधर्षण दर	+100% आधार बिंदु	-16.32%	226609990	-27.90%	182208941	-50.30%	69675810	-2.90%	5777467
	-100% आधार बिंदु	-22.11%	210916690	34.47%	339827686	62.15%	227320350	2.40%	6092817
मृत्यु दर	10% ऊपर	-18.42%	220911537	-0.90%	250431429	-1.63%	137909834	-0.70%	5908367

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धारणा में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखा जाता है। व्यवहार, में, ऐसा होने की संभावना नहीं होती है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। गणना करते समय महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता उसी विधि (अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि) के अनुसार विवरण में वित्तीय स्थिति मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

नोट :– 43

वर्ष 2016–2017 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

नोट :– 44

संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखामानक मानक ('संबंधित पार्टी प्रकटन) के अनुसार संबंधित पार्टी का नाम नीचे दिया गया है:–

संबंध का प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	(i) डॉ. ए. के. मनोचा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ii) श्री एम. पी. मल्ल, निदेशक (वित्त) (iv) श्री ए. के. बरार, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (v) श्री वी. श्रीराम, निदेशक (खानपान सेवाएं) (11.03.2016 से पद संभाला) (vi) श्रीमती कनक अग्रवाल (स्वतंत्र निदेशक) 31.01.2017 से (vii) रबि नारायण बोहिदर (स्वतंत्र निदेशक) 31.01.2017 से (viii) डॉ. धीरज शर्मा (स्वतंत्र निदेशक) 31.01.2017 से

संबंधित पार्टी और निगम के बीच लेनदेन का विवरण, जैसा कि लेखाकरण मानक में नीचे दिया गया है **राशि (₹ लाख में)**

नोट :– 44.1 संयुक्त उपक्रम के साथ लेनदेन

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016	04.01.2015
(i)	निवेश	250.00	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	250.00	250	250
(iii)	अग्रिम लीज़ किराया	1,741.50	1741.50	1,741.50
(iv)	लीज़ किराया प्राप्य	269.08	269.08	269.08
(v)	व्यापार भुगतान	(1,471.71)	(1,471.71)	(1,471.71)
(vi)	लीज़ किराया आय	–	–	–

आईआरसीटीसी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात् रू. 250.00 लाख रूपए का आरआईआरटीएल के लिए संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया, इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, एवं 2016–17 के तुलन–पत्रों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ चल रहा विवाद खत्म नहीं हुआ है।

नोट :– 44.2 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक के साथ लेन–देन

वर्ष के दौरान निवेश को और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्न था: **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
लधु अवधि के लाभ	179.87	159.16
सेवा के पश्चात लाभ	11.82	17.22
अन्य दीर्घ अवधि के लाभ	–	–
	191.68	**176.37**

नोट :– 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, कम्पनी अन्य सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये निम्न तक सीमित नहीं है:–

सरकार का नाम : रेल मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार (कम्पनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा इंक (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन :– **राशि (₹ लाख में)**

क्र.सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16	2014-15
1	क्रिस	इंटरनेट टिकटिंग की परिसम्पत्तियों की खरीद, मरम्मत और रखरखाव और विकास पर व्यय	2,338.13	472.79	1,668.32
2	रेलवे	राजधानी / शताब्दी / प्रीमीयम गाड़ियों में खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाआ से आय ऑनबोर्ड खानपान एंव अन्य सेवाओं से आय	3,604.29	2,209.09	2,793.18
3	रेलवे	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं पर रेलवे शेयर	4,500.29	1,647.01	1,471.46
4	रेलवे	इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं पर प्रभारों पर रेलवे का शेयर	18,112.47	29,142.13	1,991.52
5	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस गाड़ी पर ढुलाई प्रभार	1,570.92	1,233.63	1,044.46
6	निक्सी	इंटरनेट टिकटिंग की परिसम्पत्तियों की खरीद, मरम्मत, रखरखाव और विकास पर व्यय	274.06	5.04	–

अन्य प्रकटन :

*आरवीएनएल को फ्लैट और भूमि के निर्माण के लिए 342 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम

*इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में निक्सी के लिए 72.42 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम

*रेल मंत्रालय का फ्लैट और भूमि के निर्माण के लिए 211.43 लाख रू. का पूंजीगत अग्रिम

*इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में रेल मंत्रालय के पास 33172.33 लाख रू. दिए गए

*ये लेनदेन कम्पनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

नोट : 45 – संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिर्पोटिंग

कम्पनी ने कॉक्स एण्ड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50–50 भागीदारी के साथ रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के रूप में दिनांक 10 दिसम्बर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है। हालांकि, इक्विटी शेयर के बीच मुद्दों के कारण आईआरसीटीसी ने दिनांक 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एण्ड किंग्स से समझौता वापस ले लिया ओर आरआईआरटीएल से गाड़ियां वापस ले ली।

निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कॉरपोरेषन का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं दोनों पक्षों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च 2017 को उपलब्ध नहीं हैं। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है। ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अलग हैं।

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	कम्पनी के स्वामितव हित का प्रतिशत	परिसम्पत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट : 46 – परिसम्पत्तियों की क्षति

कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2017 को कॉरपोरेशन की सम्पत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त कैरिंग की रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन परिसंपत्तियों संयंत्र एवं उपकरणों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट टिकटिंग में डिजीटल इण्डिया को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी द्वारा वसूल किया जाने वाला सेवा प्रभार अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है, प्रबंधन ने प्रमाणित किया है कि इंटरनेट पोर्टल निरंतर नकदी प्रवाह करता रहेगा और क्षति इंटरनेट टिकटिंग विभाग में हार्डवेयर लागत से कोई क्षति नहीं होगी।

नोट : 47

लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित स्थैतिक केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने स्थैतिक केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। तथापि, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच इस संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में कॉरपोरेषन ने अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी शुल्क से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों में भारतीय लेखाकरण मानक (एएस–18) के अनुसार आय माना है।

नोट : 48

निम्नलिखित के संबंध में वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी द्वारा सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16
कच्चा माल	–	–
उपकरण	–	–
पूंजीगत माल	-	-

नोट : 49 – विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16
निदेशकों का विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	5.47	4.82
अन्य अधिकारियों की विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय	24.07	26.32
कुल	**29.54**	**31.14**

नोट : 50 – विदेशी मुद्रा में आय

राशि (₹ लाख में)

विवरण	2016-17	2015-16
एफ ओ बी के आधार पर परिकलित माल का निर्यात	–	–
रोयल्टी, नो–हाऊ, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	–	–
ब्याज और लाभांश		
अन्य आय	**4750.63**	**3522.72**

नोट : 51 लीज

कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों के संबंध में कम्पनी की लीज़ व्यवस्थाएं परिचालन लीज़ की प्रकृति की है ली़ज समझौतों के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण को उनके लिए किराए को प्रभारित किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण को प्रभारित कुल राशि 1,234.26 लाख रूपए है (पिछले वर्ष यह 1,110.01 लाख रूपए थी)।

नोट : 52

रेल मंत्रालय ने दिनांक 27.02.2017 के पत्र सं. 2016/टीजी–111/600/भाग (वाणिज्य परिपत्र सं. 20) के अनुसार खानपान नीति–2017 जारी की है जो निम्नानुसार है : आईआरसीटीसी को शासनादेश दिया गया है कि वे भोजन तैयार करने और भोजन वितरण के बीच भेद पैदा करके को अनबन्डलिंग करें। भोजन तैयार करने की गुणवत्ता के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने बेस किचनों की स्थापना कर और वर्तमान का उन्नयन करेगा।

(i) आईआरसीटीसी ए1 और 1 श्रेणी के स्टेशन पर चल खानपान यूनिटों, बेस किचनों, सेल किचनों, अल्पाहार कक्षों, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, ट्रेन साईड वेन्डिंग, जन आहार मे खानपान सेवाओं के लिए जिम्मेदार होंगे।

इस नीति के अन्तर्गत आईआरसीटीसी मोबाइल और शासनादेश स्थैतिक यूनिटों को रेलवे से ग्रहण करे और बेस किचनों की स्थापना करें।

जैसा कि विचारधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने विक्रेताओं को कुछ गाड़ियों में भोजन को खरीदने और परोसने की सेवा के लिए अल्पअवधि अनुबंध प्रदान किए गए है। हालांकि खानपान के ऐसे अनुबंध कम्पनी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन किया जाता रहा है, इसे विभागीय खानपान के जरिए चल रहा है जिससे इसका हिस्सा रेलवे के पास नहीं जाता है। तब से विभागीय खानपान सेवाए पूरी तरह कम्पनी स्तर पर कोई लाभ कम्पनी को नहीं दे रही है।

नोट : 53 – आईएचएचए सम्मेलन

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने रेलमंत्रालय के अनुरोध पर आईएचएचए क्रॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था।

रेलवे को दी जाने वाली राशि शून्य (31 मार्च 2016 को शून्य और 01 अप्रैल 2015 को 162.40 लाख रूपए) को तुलनपत्र में चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया है। आईआरसीटीसी ने अपने प्रभार वसूल कर लिए हैं।

नोट : 54 – ड्यूटी क्रेडिट लाइसेन्स

वर्ष 2016–17 के दौरान ''सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम'' के अन्तर्गत शुल्क भुगतान की तुलना में 1.34 लाख रूपए की राशि के शुल्क के क्रेडिट लाइसेन्स का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष यह 7.14 लाख रूपए था)।

नोटः 55 – सीएसआर व्यय

(क) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा की जाने वाली अपेक्षित सकल राषि 290.67 लाख रूपए है।;(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	विवरण	नकद में	रोकड़ में भुगतान शेष किया जाना	कुल
(i)	स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत खर्च	60.80	–	60.80
(ii)	रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च	171.34		171.34
(ii)	एम्स में चिकित्सीय उपकरणों और सीपीएए और एचएमसीपीएफ के जरिए कैंसर के रोगियों पर खर्च	227.35	–	227.35

सीएसआर ट्रस्ट, सीएसआर पर होने वाले खर्च के प्रयोजन के लिए वित्त वर्ष 2014–15 में कार्यरत था, जिसे मार्च 2015 में भंग कर दिया गया। 133.83 लाख रूपए की अप्रर्युक्त निधि ट्रस्ट द्वारा कम्पनी को अंतरित कर दी गई जिसे 31 मार्च 2015 में चालू देयताओं के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्षाया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 में कॉरपोरेशन द्वारा 133.83 लाख में से 109.10 लाख रू. की राशि खर्च की गई वित्त वर्ष 31 मार्च, 2016 के लिए बची हुई शेष राशि 24.73 लाख रू. थी। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उप अनुच्छेद 5(1) के प्रावधान अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत 434.76 लाख को निर्धारित बजट मे कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 459.49 लाख रू. खर्च किए। शेष राशि 24.73 लाख रूपये को अधिक खर्च हुई राशि में समायोजित कर लिया गया है।

नोट : 56 पूर्व अवधि की मदें

पूर्व अवधि की मदें, पुरानी अवधि के वस्तुओं से संबंधित कम्पनी ने मानकीकरण के उपलक्ष्य में वित्तीय वर्ष में नहीं ली गई है। हालांकि इसका वित्तीय वर्षों में पूरी तरह विवरण नहीं किया गया है।

नोट : 57 – नकद एवं नकद समकक्ष

आईआरसीटीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 12,000 लाख की सावधि जमा पर 10,000 लाख का ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाया है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा निर्धारित 0.25 प्रतिशत ओवरड्राफ्ट का लाभ इस अवधि में फिक्सडिपोजिट की दर से अधिक होगा। वर्ष के दौरान कोई भी राशि नहीं निकाली गई है। जो बढ़ी हुई सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट : 58 – रेलवे शेयर

लाईसेन्स फीस/सेवा प्रभारों को सफल मूल्य दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को समरूप शेयर भुगतान/देय को नोट सं. 27,28, एवं 29 के अधीन दिखाया गया है।

नोट : 59 – सातवें वेतन आयोग के लिए प्रावधान

कम्पनी ने शून्य रूपए के रूप में (पिछले वर्ष 41.57 लाख) अन्तर राशि की व्यवस्था उन कर्मचारियों के भुगतान के लिए की है जो केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न में आते हैं।

नोट : 60 – तीसरी वेतन वृद्धि के लिए समिति

कम्पनी ने 400.91 लाख रूपए के रूप में (पिछले वर्ष शून्य) अन्तर राशि की व्यवस्था उन कर्मचारियों के भुगतान के लिए की है जो औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न में आते हैं।

नोट : 61 – फ्लैटों और भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम

निम्नलिखित राशि का भुगतान फ्लैटों के आंबटन के लिए किया गया है जो कि आज की तारीख तक बकाया हैः– 211.43 भारतीय रेलवे को वर्ष 2002–03/2006–07 में, :– 342.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2010–11 मे रेल विकास निगम को भुगतान किया गया।

नोट : 62 – खंडवार रिपोर्टिंग (एएस–17)

कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोटिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है। कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित है :

- लाइसेंस धारक खानपान
- विभागीय खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन
- इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार परिणाम

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार परिणाम

राशि (₹ लाख में)

विवरण	लाइसेन्सी खानपान		रेल नीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय खानपान		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व												
आय	16,162.91	7,608.64	402.01	240.81	46,605.28	63,214.67	52,417.17	37,121.68	198.77	172.65	115,786.14	108,358.45
बिक्री (बिक्रीकर छोड़कर)		15,507.91	13,097.65						23,299.39	25,383.65	38,807.30	38,481.30
अंतर – खंडवार बिक्री		1,319.67	1,554.15								1,319.67	1,554.15
रेल यात्री निवास और रेलवे होटल							317.46	311.51			317.46	311.51
बिक्री / आय (बेडरॉल एवं सफाई)	–	–				–	–		–	–		
कुल राजस्व	**16,162.91**	**7,608.64**	**15,909.92**	**13,338.46**	**46,605.28**	**63,214.67**	**52,734.63**	**37,433.19**	**23,498.16**	**25,556.30**	**154,910.90**	**147,151.26**
खण्डवार परिणाम	**6,690.45**	**2,031.67**	**2,955.41**	**2,057.24**	**18,496.85**	**26,201.98**	**5,411.52**	**2,763.89**	**(5,329.53)**	**(6,657.12)**	**28,224.69**	**26,397.65**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय												
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च												
खण्डवार परिणाम	**16,162.91**	**7,608.64**	**15,909.92**	**13,338.46**	**46,605.28**	**63,214.67**	**52,734.63**	**37,433.19**	**23,498.16**	**25,556.30**	**154,910.90**	**147,151.26**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय							–	–				
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च							–	–				
संचालन लाभ	**6,690.45**	**2,031.67**	**2,955.41**	**2,057.24**	**18,496.85**	**26,201.98**	**5,411.52**	**2,763.89**	**(5,329.53)**	**(6,657.12)**	**28,224.69**	**26,397.65**
ब्याज और अन्य आय		–	–								4,700.91	5,011.38
आयकर											11,624.22	10,881.85
साधारण कार्यकलापों से लाभ	**6,690.45**	**2,031.67**	**2,955.41**	**2,057.24**	**18,496.85**	**26,201.98**	**5,411.52**	**2,763.89**	**(5,329.53)**	**(6,657.12)**	**21,301.39**	**20,527.18**
पूर्व अवधि आय लाभ (–) / व्यय	–	128.51	**1.31**	–	47.45	30.65	(211.02)	(51.90)	–	–	(162.26)	107.26
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	–	–	426.09	–	–	–	–	–	–		–	426.09
(लाभ) / हानि पर बेची गई परिसम्पत्तियां	0.40	0.26	0.05	0.69	1.64	2.77	1.36	5.57	88.57	(7.68)	92.02	1.61
ब्याज खर्च	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
शुद्ध लाभ	**6,690.04**	**1,902.89**	**2,954.05**	**1,630.46**	**18,447.76**	**26,168.56**	**5,621.17**	**2,810.22**	**(5,418.10)**	**(6,649.44)**	**21,371.63**	**19,992.23**
अन्य सूचना												
खण्डवार परिसम्पत्ति	37,618.25	31,102.27	9,432.30	7,962.89	144,072.57	118,496.43	6,247.63	5,348.42	(21,331.09)	(17,292.46)	176,039.65	145,617.55
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसम्पत्तियां						6,409.50	5,481.31					
कुल परिसम्पत्तियां	**37,618.25**	**31,102.27**	**9,432.30**	**7,962.89**	**144,072.57**	**118,496.43**	**6,247.63**	**5,348.42**	**(21,331.09)**	**(17,292.46)**	**182,449.15**	**151,098.86**
खण्डवार देयताएं	37,227.84	28,714.24	2,602.80	1,439.58	44,759.54	34,647.07	4,250.40	2,737.42	9,708.88	7,037.15	98,549.46	74,575.47
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएं						5,728.65	3,893.63					
कुल देयताएं	**37,227.84**	**28,714.24**	**2,602.80**	**1,439.58**	**44,759.54**	**34,647.07**	**4,250.40**	**2,737.42**	**9,708.88**	**7,037.15**	**104,278.11**	**78,469.11**
पूंजीगत व्यय	–	–	1,414.15	1,422.40	1,327.68	502.68	146.06	232.24	60.88	281.26	2,948.77	2,438.58
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च				–								
कुल पूंजीगत खर्च	**–**	**–**	**1,414.15**	**1,422.40**	**1,327.68**	**502.68**	**146.06**	**232.24**	**60.88**	**281.26**	**2,948.77**	**2,438.58**
मूल्यह्रास	20.45	10.31	256.99	247.77	1,373.40	1,269.08	380.72	345.82	209.81	249.34	2,241.37	2,122.32
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास												
कुल मूल्यह्रास	**20.45**	**10.31**	**256.99**	**247.77**	**1,373.40**	**1,269.08**	**380.72**	**345.82**	**209.81**	**249.34**	**2,241.37**	**2,122.32**

नोट :– 1. विभागीय खानपान में गैर–रेलवे खानपान शामिल है।
2. अंतर खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नही लिया गया है।
3. आंकड़ों, यथा आवश्यक पुनःव्यवस्थित / पुनःग्रुप और पुनः वगीकृत किया गया है, ताकि जहां आवश्यक हो उनका वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।

नोट : 63 – पूंजी प्रबंधन

कम्पनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रबंध करना और संबंधित शेयरधारकों को अधिक से अधिक शेयर रिटर्न प्रदान करने का उत्तरदायित्व है जिससे अन्य हितधारकों को भी लाभ दे सकें। कम्पनी के पास 31 मार्च 2017 से कोई भी उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कम्पनी इसके पूंजीगत ढ़ांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समायोजन करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रबंधन की पूंजीगत प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नोट : 64 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी के अनुसार साधन

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	एफवीटी पीएल*	एफवीटी ओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटी ओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटी ओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां									
(i) निवेश	–	–	0.32	–	–	0.32	–	–	0.32
(ii) प्रतिभूति जमा	–	–	1,177.76	–	–	1,071.45	–	–	1,012.21
(iii) व्यापार प्राप्तियां	–	–	28,866.52	–	–	25,147.95	–	–	25,004.05
(iv) नकद और नकद समतुल्य	–	–	48,611.71	–	–	19,026.28	–	–	14,038.73
(v) नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक अधिशेष	–	–	36,684.50	–	–	42,762.05	–	–	21,369.74
(vi) अन्य	–	–	1,570.35	–	–	3,699.83	–	–	1,800.02
	–	**–**	**116,911.15**	**–**	**–**	**91,707.89**	**–**	**–**	**63,225.08**
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां									
वित्तीय देयताएं									
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	12,270.69	–	–	10,487.53	–	–	9,491.48
(ii) व्यापार प्राप्तियां	–	–	13,718.16	–	–	5,130.11	–	–	4,035.94
(iii) अन्य	–	–	34,002.00	–	–	29,191.10	–	–	26,874.29
कुल वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**59,990.85**	**–**	**–**	**44,808.74**	**–**	**–**	**40,401.71**

***लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य**

****अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य**

(ii) सम्पत्ति और देनदारियां जो कि परिशोधित लागत पर ली मापी जाती है उनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
प्रतिभूति जमा	1,177.76	1,188.86	1,071.45	1,082.46	1,012.21	1,006.93
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**1,177.76**	**1,188.86**	**1,071.45**	**1,082.46**	**1,012.21**	**1,006.93**
वित्तीय देयताएं						
प्रतिभूति जमा	12,270.69	12,204.29	10,487.53	10,005.68	9,491.48	9,245.92
कुल वित्तीय देयताएं	**12,270.69**	**12,204.29**	**10,487.53**	**10,005.68**	**9,491.48**	**9,245.92**

क. व्यापार प्राप्तियां, व्यापार भुगतान, लघु अवधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समकक्ष और अन्य लघु अवधि की प्राप्तियां और अन्य देनदारियों की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण

ख. दीर्घकालिक प्रतिभूति जमा राशियों का उचित मूल्य वर्तमान सावधि जमा के बाजार दरों का उपयोग कर कैश फ्लों की गणना के आधार पर किया जाता है। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने

उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1– चिन्हित परिसम्पत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार में उदृधत मूल्य असंयोजित

स्तर 2 –उद्धत मूल्य के अलावा इनपुट स्तर 1 में जो कि परिसम्पत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (जो कि मूल्य के रूप में) लिया जाता है या तो अप्रत्यक्ष (जो कि कीमतों से उत्पन्न) रूप सें शामिल किया जाता है।

स्तर 3 –परिसम्पत्तियों और देनदारियों के लिए इनपुट जो कि बाजार मूल्य के अवलोकन योग्य नहीं होते हैं। (गैर अवलोकन योग्य इनपुट)।

निम्नतालिका में उचित मूल्य माप पदानुक्रम, वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत पर के आधार पर मापा जाता है।

31 मार्च 2017 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य दर मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	1,188.86	1,188.86
	–	**–**	**1,188.86**	**1,188.86**

31 मार्च 2017 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन परिशोधित मूल्य माप अनुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
वित्तीय देयताओं परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	12,204.29	12,204.29
	–	**–**	**12,204.29**	**12,204.29**

31 मार्च 2016 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
उचित परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	1,082.46	1,082.46
	–	**–**	**1,082.46**	**1,082.46**

31 मार्च 2016 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	10,005.68	10,005.68
	–	**–**	**10,005.68**	**10,005.68**

31 मार्च 2015 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
उचित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया:				
प्रतिभूति जमा	–	–	1,006.93	1,006.93
	–	**–**	**1,006.93**	**1,006.93**

31 मार्च 2015 तक वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप पदानुक्रम **राशि (₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
उचित परिसम्पत्ति का मूल्यांकन जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया				
प्रतिभूति जमा	–	–	9,245.92	9,245.92
	–	**–**	**9,245.92**	**9,245.92**

नोट : 65 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्तियां और नकद और नकद समकक्ष हैं जो अपने ऑपरेशनों से सीधे प्राप्त होते हैं। कम्पनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम का खुलासा करती कम्पनी के वित्तीय जोखिम गतिविधियों को विनियोजित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मण्डल इन जोखिमों में प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और उनसे सहमत जोखिमों का जो नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो कि बाजार की कीमतों में होने वाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव कर देता है बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

1) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो कि भविष्य में वित्तीय साधनों के कैश प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के कारण उतार–चढाव होता है। कम्पनी, कम्पनियों की नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधानों में बैंकों के साथ जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय उपकरणों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

2) विदेशी मुद्रा जोखिम

कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और विदेशी मुद्रा लेन देन से विदेशी मुद्रा जोखिमों को उजागर करती है कम्पनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम को बाधित नहीं कर सकती।

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कम्पनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्षी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कम्पनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कम्पनी अपनी वित्तीय गतिविधियों से व्यापार को प्राप्त करने योग्य, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमाराशि से जोखिम का सामना कर सकती है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसम्पत्तियों के ले जाने वाले मूल्य के बराबर है काऊन्टर पार्टी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में नुकसान को रोकने के लिए है। कम्पनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

ग) वित्तीय उपरकण एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ संतुलन से क्रेडिट जोखिम कम्पनियों की नीति के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। सरप्लस का निवेश प्रतिपक्षी पार्टी से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर केवल प्रतिपक्षी पार्टी के अनुमोदन से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कि कम्पनी उसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और वे देय रह जाते हैं। कम्पनी जहां तक संभव हो, अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन सुनिश्चित करें यह हमेशा उसके दायित्वों को पूरा करने के लिए देय होने पर कम्पनी की प्रतिष्ठा के लिए अस्वीकार्य हानि या जोखिम के बिना सामान्य और दबाव दोनों ही स्थितियों में पर्याप्त तरलता रखेगा। कम्पनी की तरलता का प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष और नकदी प्रवाह है जो कि संचालन से उत्पन्न

होता है। कम्पनी के पास कोई बैंक उधारी नहीं है। कम्पनी का मानना है कि कार्यशील पूंजी मौजूदा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी अल्पावधि–कार्यशील पूंजी प्रबंधन और अन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए जरूरी राशि से अधिक उत्पन्न सरप्लस नकद को नकद और बैंक के साथ अल्पावधि जमाओं में निवेश के रूप में रखा जाता है। उक्त निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त तरलता वाले उपकरणों में किया जाता है।

नोट :– आकलन और अनुमान

निम्नलिखित में से प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के कारक हैं और रिर्पोटिंग अवधि के अंत में आंकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसम्पत्तियों और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को मापने में किया जाता है। जहां तक संभव हो वहां इन तरीकों की जानकारी को प्रत्यक्ष बाजारोंसे लिया जाता है, लेकिन जहां तक संभव न हो उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

परिभाषित परिसम्पत्तियां उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरूद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर सम्पत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

ग) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती है जो कि भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यन्त संवेदनशील है। प्रत्येक अनुमानों की रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

घ) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल

नोट 2 (एन) में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल दिया गया है। सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धी और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन काल की समीक्षा करती है।

नोट : 67 – सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बकाया का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है।

राशि (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
क	वर्ष के अंत में भुगतान के लिए शेष मूल धन राशि और ब्याज निर्धारित तिथि के बाद किए भुगतान भी शामिल हैं।	36.30	53.9*
ख	वर्ष के दौरान देरी के लिए उपार्जित ब्याज और भुगतान	1.33	0.95*
ग	वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और बकाया भुगतान	8.79	7.46*
घ	आगामी वर्ष में भी लगने वाले ब्याज की राशि और बकाया भुगतान होना	–	–

*31 मार्च 2016 तक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया था।

नोट 68 : – 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के रखे जाने और लेन–देन के संबंध में प्रकटन

वर्ष के दौरान कम्पनी के पास एमसीए को अधिसूचना से जीएसआर 308 (ई) दिनांक 31 मार्च 2017 में परिभाषित विशिष्ट नोटों या अन्य तरह के नोटों के परिभाषित अनुसार उपलब्ध विशिष्ट बैंक नोटों और 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में लेन–देन का विवरण, अधिसूचना के अनुसार नोटों के मूल्यानुसार एसबीएन और अन्य निम्न प्रकार है।

राशि (₹ लाख में)

विवरण	एसबीएसन	अन्य मूल्य सूचक टिप्पणियां	कुल
18.11.2016 को हस्ते नकदी इतिशेष	17.78	1.88	19.66
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	434.31	924.46	1,358.77
(–) अनुमति प्राप्त भुगतान	–	0.03	0.03
(–) बैंक में जमा राशि	452.09	916.19	1,368.28
30.12.2016 को हस्ते नकद इतिशेष	**–**	**10.12**	**10.12**

नोट: इस अनुच्छेद के उद्देश्य से विशिष्ट बैंक नोटों का अर्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना एसओ 3407 (ई) दिनांक 08 नवम्बर 2016 में उल्लेखित उसी अर्थ से दें।

नोट : 69

कम्पनी में पूर्व रेल मंत्री के विरूद्ध जिसमें आईआरसीटीसी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने, मीडिया रिपोर्ट के संबंध में कोई वित्तीय दायित्वों का अनुमान नहीं लगा सकता है।

नोट : 69.1 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

21 अगस्त 2017 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया है।

नोट : 70 – भारतीय लेखाकरण मानक को पहली बार अपनाना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरणों के वित्तीय विवरणों का पहला समूह है जिसे कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किया गया है। वर्ष 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों जिसे कम्पनी (लेखा) नियम 2014 (भारतीय जीएएपी) के अनुच्छेद 7 के साथ–साथ पढा जाए के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। तद्नुसार कम्पनी ने वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए अवधि के लिए लागू भारतीय लेखाकरण मानक का पालन करने के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ जो कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में वर्णित है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया है कम्पनी का अथशेष बैलेंस शीट 01 अप्रैल 2015 अर्थात् कम्पनी के द्वारा भारतीय लेखाकरण मानक शुरू किया था, को तैयार की गई। यह नोट कम्पनी द्वारा 01 अप्रैल 2015 को तुलनपत्र सहित भारतीय जीएएपी विवरणों को दोहराने के लिए प्रमुख समायोजन करना है और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्त में वित्तीय विवरणों को शामिल करना है।

छूट आवेदन

भारतीय लेखांकन मानक 101 के तहत कुछ आवश्यकताओं का पूर्व प्रभावी आवेदन से पहली बार अपनाने वालों को छूट की अनुमति देता है। कम्पनी ने निम्नलिखित छूटों के लिए आवेदन किया है:

1. **अनुमान**

   01 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 के अनुमान भारतीय जीएएपी (लेखा नीतियां में किसी भी मतभेद को समायोजन के बाद) दर्शाए गए अनुरूप उसी तिथियों के लिए तैयार किया गए हैं। इंडस्ट्रीज के अनुसार इन राशियों को पेश करने के लिए कम्पनी द्वारा उपयोग किए गए अनुमान में वर्तमान में इन राशियों को भारतीय लेखाकरण मानकों को शुरू करने की तारीख से 01 अप्रैल 2015 को दर्शाए गए हैं और 31 मार्च 2016 को शर्तों को दिए गए।

2. माना मूल्य

कार्यात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण कम्पनी ने पिछली जीएएपी वित्तीय स्थिति में समस्त परिसम्पत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त को पिछले मूल्यों एवं पिछले जीएएपी को जारी रखने के लिए चुना है, जो कि लागू करने की तिथि से मूल्य माना है।

3. वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की मान्यता समाप्त करना।

भारतीय लेखाकरण 101 को पहली बार अपनाने वालों को भारतीय लेखाकरण मानक 109 के प्रावधानों को इसे अपनाने की तिथि या उससे पहले की तिथि से मान्यता समाप्त करने के लिए आवेदन समाप्त कर सकते हैं। तथापि भारतीय लेखाकरण मानक 101 में पहली बार अपनाने वालों को भारतीय लेखाकरण मानक 109 प्रावधानों कों चुनिंदा तिथि जब से अपनाया है, से पूर्व का चुनाव करने की अनुमति देता है बशर्तें कि पिछला लेन देन उन लेनदेन के लिए शुरू में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के ऐसे लेन–देन के लेखाकरण के समय मान्यता समाप्त करने की अनुमति ली गई है। कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक शुरू करने की पिछली तिथि से भारतीय लेखाकरण मानक 109 के प्रावधानों की मान्यता समाप्त करने के लिए आवेदन करने का चयन किया है।

4. वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और माप

भारतीय लेखाकरण मानक 101 में अपेक्षित है कि अपनाए जाने की तारीख में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों के माप का आकलन करने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर का समाधान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	फुट नोट्स	पिछल जीएएपी	समायोजन	भारतीय ले. मा.
I. परिसम्पत्तियां				
(1) गैर प्रचलित परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति यंत्र और उपकरण	6	14,742.78	636.41	15,379.21
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		1,419.16	–	1,419.16
(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां		1,118.39	–	1,118.39
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां				–
(1) निवेश		0.32	–	0.32
(2) ऋण	4	1,152.52	(81.07)	1,071.45
(3) अन्य		123.95	–	123.95
(ङ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	2	–	6,760.50	6,760.50
(च) अन्य गैर प्रचलित परिसम्पत्तियां	4	1,706.22	53.93	1,760.15
		20,263.34	**7,369.77**	**27,633.13**
(2) प्रचलित परिसम्पत्तियां				
(क) सूचियां		826.07	–	826.07
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(1) व्यापार प्राप्तियां		25,147.95	–	25,147.95
(2) नकद और नकद समकक्ष		19,026.28	–	19,026.28
(3) उपर्युक्त (3) की तुलना में बैंक अधिशेष		42,762.05	–	42,762.05
(4) अन्य		5,106.29	(1,530.41)	3,575.88
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां	10	811.78	–	811.78
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	4	29,761.11	1,554.61	31,315.72
		123,441.54	**24.20**	**123,465.74**
कुल परिसम्पत्तियां		**143,704.87**	**7,393.98**	**151,098.87**
II. इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजीगत		2,000.00	–	2,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	1,2,4,5	52,207.30	15,849.85	68,057.16
		54,207.30	**15,849.85**	**70,057.16**
(1) देयताएं				
गैर प्रचलित देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(1) अन्य	5	10,402.15	(461.07)	9,941.08
(ख) प्रावधान		7,162.40	–	7,162.40
(ग) अन्य गैर प्रचलित देयताएं	5,6	–	807.66	807.66
		17,564.55	**346.59**	**17,911.14**
(2) प्रचलित देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(1) व्यापार प्राप्तियां		5,130.11	–	5,130.11
(2) अन्य		29,737.55	–	29,737.55
(ख) अन्य प्रचलित देयताएं	5	25,152.53	279.03	25,431.56
(ग) प्रावधान	1	9,340.24	(9,081.49)	258.75
(घ) प्रचलित कर देयताएं	10	2,572.60	–	2,572.60
		71,933.03	**(8,802.46)**	**63,130.57**
कुल इक्विटी शेयर और देयताएं		**143,704.88**	**7,393.98**	**151,098.87**

01 अप्रैल 2015 से (शुरू की तारीख से) इक्विटी का समन्वय

राशि (₹ लाख में)

विवरण			फुट नोट्स	पिछल जीएएपी	समायोजन	भारतीय ले. मा.
I.	परिसम्पत्तियां					
1	**अप्रचलित परिसम्पत्तियां**					
	(क)	सम्पत्तियां संयंत्र और उपकरण	6	14,037.14	704.81	14,741.95
	(ख)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		1,647.82	–	1,647.82
	(ग)	अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां		1,494.70	–	1,494.70
	(घ)	वित्तीय परिसम्पत्तियां ेमजे				
		(1) निवेश		0.32	–	0.32
		(2) ऋण	4	1,114.98	(102.77)	1,012.21
		(3) अन्य		173.87	–	173.87
	(ङ)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	2	–	5,639.63	5,639.63
	(च)	अन्य प्रचलित परिसम्पत्तियां	4	1,478.17	73.63	1,551.80
				19,947.00	6,315.30	**26,262.30**
2	**चालू परिसम्पत्तियां**					
	(क)	सूचियां		953.63	–	953.63
	(ख)	वित्तीय परिसम्पत्तियां				
		(1) व्यापार प्राप्ताएं		25,004.05	–	25,004.05
		(2) नकद और नकद समकक्ष		14,038.73	–	14,038.73
		(3) उपर्युक्त (3) की तुलना में बैंक अधिशेष अन्य		21,369.74	–	21,369.74
		(4) अन्य		1,626.15	–	1,626.15
	(ग)	चालू कर परिसम्पत्तियां	10	1,065.03	–	1,065.03
	(घ)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	4	32,206.96	29.14	32,236.10
				96,264.29	**29.14**	**96,293.43**
	कुल परि सम्पत्तियां			**116,211.29**	**6,344.44**	**122,555.73**
II.	इक्विटी और देयताएं					
1	**इक्विटी**					
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजीगत		2,000.00	–	2,000.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	1,2	42,425.30	8,784.58	51,209.88
				44,425.30	**8,784.58**	**53,209.88**
2	**देयताएं**					
(i)	**अप्रचलित देयताएं**					
	(क)	वित्तीय देयताएं				
		(1) अन्य	5	9,609.35	(348.40)	9,260.95
	(ख)	प्रावधान		5,492.34	–	5,492.34
	(ग)	अन्य अप्रचलित देयताएं	5,6	–	849.63	849.63
				15,101.69	**501.23**	**15,602.92**
4	**प्रचलित देयताएं**					
	(क)	वित्तीय देयताएं				
		(1) व्यापार प्राप्ताएं		4,035.94	–	4,035.94
		(2) अन्य		27,104.82	–	27,104.82
	(ख)	अन्य प्रचलित देयाताएं	5	20,529.41	203.58	20,732.99
	(ग)	प्रावधान	1	3,542.24	(3,144.95)	397.29
	(घ)	प्रचलित कर देयताएं (शुद्ध)	10	1,471.89	–	1,471.89
				56,684.30	**(2,941.37)**	**53,742.93**
	कुल इक्विटी शेयर और देयताएं			**116,211.29**	**6,344.44**	**122,555.73**

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस नोट के उद्देश्य के लिए भारतीय लेखाकरण मानक प्रस्तुतीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2016 को कुल इक्विटी का समाधान

राशि (₹ लाख में)

	विवरण	पहली बार लिए गए नोट	पिछले जीएएपी	समायोजन	भारतीय ले. मा.
I.	राजस्वः				
	परिचालन से राजस्च (उत्पादन शुल्क सहितं)	7	136,678.30	1,494.85	138,173.15
II.	अन्य आय	**4,5,6**	13,808.00	272.00	14,080.00
III.	**कुल आय (1+2)**		**150,486.30**	**1,766.85**	**152,253.15**
IV.	खर्च				
	उपयोग की गई सामग्री की लागत		10,259.41	–	10,259.41
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		12,770.92	–	12,770.92
	तैयार माल की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति पर और स्टॉक–इन–ट्रेड		253.37	–	253.37
	लाइसेन्सी खानपान सेवाओं के खर्च		4,992.10	–	4,992.10
	पर्यटन के खर्च		29,869.95	–	29,869.95
	उत्पादन एवं प्रत्यक्ष खर्च		33,991.50	1,490.71	35,482.21
	कर्मचारी हित खर्च	3	16,461.18	195.15	16,656.33
	वित्त लागत		11.51	169.70	181.21
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	6	2,053.93	68.39	2,122.32
	अन्य खर्च	**4,5,7**	9,043.59	30.18	9,073.77
	कुल खर्च (**IV**)		**119,707.46**	**1,954.14**	**121,661.59**
V.	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ / हानि **(I – IV)**		30,778.84	(187.29)	30,591.56
VI.	आपवादिक मदें		87.37	–	87.37
VII.	कर पूर्व (**V-VI**) लाभ / (हानि)		30,866.21	(187.29)	30,504.19
VIII.	कर खर्च				
	(1) वर्तमान कर		12,002.72	–	12,002.72
	(2) आस्थिगित कर	2	–	(1,053.33)	(1,053.33)
IX	निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ / (हानि) **(VII – VIII)**		**18,863.49**	**866.04**	**19,554.80**
X	अनिरंतर परिचालन से लाभ / (हानि)		–	–	–
XI	अनिरंतर परिचालन से कर खर्च		–	–	–
XII	अनिरंतर परिचालन से (कर पश्चात्) लाभ / (हानि (X–XI)		–	–	–
XIII	अवधि के लिए लाभ / (हानि) **(IX+XII)**		**18,863.49**	**866.04**	**19,554.80**
XIV	अन्य व्यापक आय				
	क.(i) मदों को लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	3	–	195.15	195.15
	(ii) आयकर से संबंधित मदों को लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	2	–	67.54	67.54
	ख.(i) मदों को लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		–	–	–
	(ii) आयकर से संबंधित मदों को लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	–	–	–	
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX +X) (अवधि के लिए व्यापक लाभ और अन्य व्यापक आय)		**18,863.49**	**1,128.73**	**19,817.49**
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आयः (निरंतर परिचालन के लिए)				
	(1) मूल		94.32	(44.99)	49.32
	(2) डाइलूटीड		94.32	(44.99)	49.32
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर आयः (अनिरंतर गैर निरंतर परिचालन के लिए)				
	(1) मूल		–	–	–
	(2) डाइलूटीड		–	–	–
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर आयः (अनिरंतर परिचालन के लिए)				
	(1) मूल		94.32	(44.99)	49.32
	(2) डाइलूटीड		94.32	(44.99)	49.32

31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को कुल इक्विटी का समाधान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
पिछले वर्ष की जीएएपी के अनुसार, कल इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)		54,207.31	44,425.31
समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश पर टैक्स सहित	1	9,081.49	3,144.95
स्थिगित कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति	2	6,760.50	5,639.63
प्रतिभूति जमा–देयता पर परिशोधन छूट	5	180.50	–
प्रतिभूति जमा– परिसम्पत्तियों पर अनवाइन्डिंग छूट	4	27.24	–
प्रतिभूति जमा– देयताओं पर अनवाइन्डिंग छूट	5	(169.70)	–
प्रतिभूति जमा पर पहले ही आस्थगित खर्च का परिशोधन	4	(30.18)	–
भारतीय –लेखाकरण मानक के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधि)		**70,057.16**	**53,209.88**

31 मार्च 2016 समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का समाधान

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को
जीएएपी समायोजन के अनुसार करोपरांत लाभ :–		**18,863.49**
प्रतिभूति जमा–देयता पर परिशोधन छूट	5	180.50
प्रतिभूति जमा– परिसम्पत्तियों पर अनवाइन्डिंग छूट	4	27.24
प्रतिभूति जमा– देयताओं पर अनवाइन्डिंग छूट	5	(169.70)
प्रतिभूति जमा पर पहले ही आस्थगित खर्च का परिशोधन	4	(30.18)
आस्थिगित कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति	2	1,120.87
भा. ले. मा. के अनुसार कुल व्यापक आय		**19,992.23**

भारतीय लेखाकरण मानक के अंगीकार से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कैश–फ्लों वित्तीय विवरण पर प्रभाव

राशि (₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	पिछली जीएएपी के अुनसार	समायोजन	भा.ले.मा. कु अनुसार
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		28,774.41	(49.90)	28,824.31
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		700.49	21,392.30	(20,691.81)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद		(3,144.95)	–	(3,144.95)
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध कमी		**26,329.95**	**21,342.40**	**4,987.55**
01 अप्रैल 2015 को नकद एवं नकद समतुल्य	9	35,582.34	21,543.61	14,038.73
31 मार्च 2016 को नकद एवं नकद समतुल्य		**61,912.29**	**42,886.01**	**19,026.28**

भारतीय लेखाकरण मानक को पहली बार अपनाना

नोट : 1 – प्रस्तावित लाभांश

पिछले जीएएपी के तहत, तुलनपत्र की तारीख के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले ईवेंट समायोजन के रूप में माना जाता था। तद्नुसार, प्रस्तावित लाभांश के प्रावधान एक दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त था। भारतीय लेखाकरण मानक में ऐसे लाभांश को मान्यता दी जाती है, जब आम सभा बैठक में शेयरधारकों द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है। तद्नुसार 7545.40 लाख रू. के प्रस्तावित लाभांश और 31 मार्च 2016 लाभांश वितरण टैक्स की देनदारी 31 मार्च 2016 तक (2,613.00 लाख रू. का लाभांश और 1 अप्रैल 2015 तक 531.95 लाख रू. का लाभांश वितरण टैक्स) के अर्न्तगत पिछले जीएएपी के अर्न्तगत प्रावधानों को आय के अनुरूप समायोजन करके रखा गया है। जिससे परिणामस्वरूप कुल इक्विटी इसके बराबर राशि से बढ़ी है।

नोट : 2 – आस्थगित कर परिसम्पत्तियां की मान्यता

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार कम्पनी ने 01 अप्रैल 2016 को 6,760.49 लाख रूपये और 31 मार्च 2015 को 5,639. 65 लाख रूपये की आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को स्वीकृति दी गई है, तद्नुसार 5,639.65 लाख रूपये प्रतिधारित आय में वृद्धि हुई और 31 मार्च 2016 को 01 अप्रैल 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1053.31 लाख रूपये लाभ बढ़ा और अन्य व्यापक आय में वृद्धि 67.54 लाख रू. की वृद्धि हुई।

नोट : 3 – सेवा पश्चात् लाभ दायित्व का पुनः मापन

19 भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार, परिभाषित लाभ योजनाओं का पुर्नः मूल्यांकन अर्थात् बीमांकिक लाभ या हानि और योजना सम्पत्ति पर वापसी, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को लाभ की बजाय अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है न कि लाभ या हानि पिछले जीएएपी के तहत, ये पुर्नः मूल्यांकन वर्ष के लिए लाभ या हानि का हिस्सा बना रहे थे। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में 195.15 लाख रू. की कमी हुई और दूसरी ओर ओसीआई 195.15 लाख रूपए की वृद्धि हुई है, इसलिए 31 मार्च, 2016 तक कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट : 4 – प्रतिभूति जमा – परिसम्पत्तियां

पिछले जीएपीपी के अंतर्गत, ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा (जो कि नकद में वापसी योग्य है) को उनके लेन–देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। जबकि भारतीय लेखाकरण मानक 109 के अनुसार सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, कम्पनी भारतीय लेखाकरण मानक के अन्तर्गत इन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य को मापता है। उचित जमा और प्रतिभूति जमा के लेनदेन के मूल्य के बीच का अंतर उचित मूल्यांकन समायोजन– प्रतिभूति जमा (पूर्वभुगतान किराए) के रूप में पहचाना गया हैं इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2016 को प्रतिभूति जमा की राशि घटकर 78.13 लाख रू. (01 अप्रैल 2015 का 102.76 लाख रू.) और उचित मूल्यांकन समायोजन – प्रतिभूति जमा (पूर्व भुगतान किराया) में समान राशि की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान 31 मार्च 2016 तक लाभ प्रतिभूति कुल इक्विटी में 2.93 लाख रूपए की कमी हुई और उचित मूल्यांकन समायोजन – प्रतिभूति जमा (पूर्वभुगतान किराया) में समान राशि की वृद्धि हुई के रूप का परिशोधन 30.17 लाख जो कि आंशिक रूप से 27.24 लाख की सुरक्षा जमा पर मान्यता प्राप्त है।

नोट : 5 – प्रतिभूति जमा देयताएं

पिछले जीएएपी के अंतर्गत, ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा (जो कि नकद में वापसी योग्य है) को उनके लेन–देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। जबकि भारतीय लेखाकरण मानक 109 के अनुसार सभी वित्तीय देयताएं को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, कम्पनी भारतीय लेखाकरण मानक के अन्तर्गत इन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य को मापता है। प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य के बीच के अंतर को प्रतिभूति जमाओं के आस्थगित भाग के रूप में पहचाना गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा राशि 31 मार्च 2016 को 450.27 लाख रूपए (01 अप्रैल 2015 से 348.40 लाख रूपए) की कमी आई और उसी राशि से प्रतिभूति जमा राशि का आस्थगित भाग बढ़ा। वर्ष के लिए लाभ और 31 मार्च 2016 तक कुल इक्विटी में 10.79 लाख रूपए की वृद्धि हुई 180.49 लाख रूपये की प्रतिभूति जमा राशि के आस्थगित भाग के परिशोधन के कारण राष्ट्रिय हित में आंशिक तौर पर समायोजन से 169.70 लाख रूपये के खर्च को प्रतिभूति के रूप में मान्यता दी गई है।

नोट : 6 – सरकारी अनुदान

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 1237.00 लाख रूपए की सब्सिडी प्राप्त की है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पैन इण्डिया लग्ज़री टूरिस्ट ट्रेन) के संबंध में पिछले जीएएपी के अर्न्तगत, पूंजीगत सब्सिडी को परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत से काट लिया गया था। भारतीय लेखाकरण मानक के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को बकाया अनुदान 636.41 लाख रूपए (01 अप्रैल 2015 को 704.81 लाख रूपए में) को भारतीय लेखाकरण मानक 20 में अपेक्षित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों के अनुरूप समायोजन के साथ आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2015–16 के दौरान 68.39 लाख रूपए की आय मूल्यह्रास के अनुपात में सरकारी अनुदान की स्थगित आय के परिशोधन से मान्यता प्राप्त है और 68.39 रूपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। जिसके परिणामस्वप अन्य अप्रचलित देयताएं और सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वृद्धि हुई है।

नोट : 7 – उत्पाद कर

पिछले जीएएपी के अन्तर्गत उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को उत्पाद शुल्क छोड़कर दिखाया गया था भारतीय लेखाकरण मानक के अन्तर्गत माल की बिक्री में राजस्व उत्पाद शुल्क के साथ दिखाया जाता है। भुगतान किए उत्पाद शुल्क को लाभ और हानि में खर्चे के एक भाग के रूप में दिखाया जाता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल राजस्व और खर्च में वृद्धि होकर 1,490.71 लाख रू. रही। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के अन्त में इक्विटी और लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट : 8 – अन्य व्यापक आय

भारतीय लेखाकरण मानक के अन्तर्गत अवधि में मान्यता प्राप्त सभी मदों की आय और व्यय का लाभ या हानि को अवधि में शामिल किए जाने चाहिए जब तक कि किसी मानक या अनुमति की आवश्यकता न हो या आय और व्यय की मदें जो लाभ या हानि में नहीं पहचाने गए हैं, लेकिन लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य व्यापक आय' के रूप में दिखाया गया है जिसमें परिभाषित लाभ योजनाओं के पुर्नःमापन शामिल किए गए हैं। पिछली जीएएपी के तहत अन्य व्यापक आय की अवधारणा मौजूद नहीं थी।

नोट : 9 – नकद और नकद समतुल्य

अनुसूची III के अनुसार नकद और नकद समकक्ष के अनुसार 3 महीने से अधिक जमा शामिल नहीं थे और उन्हें अलग मद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात् नकद और नकद समकक्ष के अलावा नकद बैंक शेष राशि इस समायोजन के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी या लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट : 10 – प्रचलित कर परिसम्पत्तिया/देयताएं

एमसीए द्वारा अधिसूचित अनुसूची III के अनुसार प्रचलित परिसम्पत्तियां और देयताएं वित्तीय विवरणों में अलग मदों की श्रेणी के रूप में दिखाई जाएगी। परिणामस्वरूप कर परिसम्पत्तियों में 811.78 लाख रूपए (01 अप्रैल 2015 तक 1,065.63 लाख रूपए) की बढ़ोत्तरी हुई है और प्रचलित परिसम्पत्तियों की इसी राशि में कमी आई है और प्रचलित कर देयताएं में 2,572.60 लाख रू. (1 अप्रैल 2015 तक 1,471.89 लाख रूपए) की वृद्धि हुई है और प्रचलित देयताओं की इसी राशि में कमी आई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखा विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,** नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, अधिनियम, की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 21 अगस्त 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड,** नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अतंर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जिस पर कोई टिप्पणी दिए जाने की संभावना हो या जो सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

हस्ता / –
(बी.आर. मण्डल)
प्रमुख निदेशक लेख परीक्षा
रेलवे वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

IRCTC CONNECT

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23311263-64, फैक्स : 011-23311259

सीआईएन : U74899DL1999GOI101707

Regd. & Corp. Office :

11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

Tel.: 011-23311263-64, Fax: 011-23311259

CIN : U74899DL1999GOI101707